

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023—पौष 30, शक 1944

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 5-16-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4586 (दो-1-7-2021), दिनांक 25 नवम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 5-15-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-6401 (दो-1-14-2022), दिनांक 12 दिसम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 17 से 18 अक्टूबर 2022 तक, दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ

क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है।

क्र. एफ 5-15-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4688 (दो-1-18-2005), दिनांक 12 दिसम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 21 नवम्बर 2022 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023

क्र. एफ 1(ए)73-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनुराग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 5 से 13 जनवरी 2023 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अनुराग, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनुराग, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उमेश जोगा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन, जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 23 से 30 जनवरी 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

1.	श्री उमेश जोगा	-	स्वयं
2.	श्रीमती अपर्णा जोगा	-	पत्नी
3.	श्री मणिकान्त राजेन्द्र जोगा	-	पुत्र
4.	कु. जयन्तिका जोगा	-	पुत्री

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आर. एस. एस. परिहार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)188-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 1 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री व्ही. मधु कुमार भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरटीआई), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023

क्र. एफ 1(ए) 93-2002-ब-2 दो.—राज्य शासन, श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन, नर्मदापुरम का दिनांक 9 जनवरी से 17 मार्च 2023 तक, अड़सठ दिवस संतान पालन अवकाश एवं 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन, नर्मदापुरम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2023

पंजी क्र. 75-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विवेक सक्सेना, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, जबलपुर की सेवाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की रजिस्ट्री में अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्र. 18510-स्थापना-स्था. अवकाश-2022-23.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 की कंडिका चार के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा संपूर्ण जिला हरदा की सीमा अंतर्गत वर्ष 2023 के लिये निम्न 03 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :—

क्र.	दिनांक	दिन	त्यौहार जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित
(1)	(2)	(3)	(4)
1	31 अगस्त 2023	गुरुवार	भुजरिया (कजलिया)
2	23 अक्टूबर 2023	सोमवार	महानवमी
3	13 नवम्बर 2023	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा).

उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों/कोषालयों/उप कोषालयों पर लागू नहीं होगा.

ऋषि गर्ग, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) ] मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

डी-नोटीफिकेशन

क्र. 8174-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भी नहीं है.

अतः प्रकरण क्रमांक 11-अ-82-2011-12 अवार्ड दिनांक 25 अप्रैल 2014 मूण्डला सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के नाम से दर्ज भूमि सर्वे नम्बर 127-3-1-रकबा 3.035 हे. ग्राम मनरियादेह तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ को डूब क्षेत्र प्रभावित नहीं होने व मुआवजा भुगतान भी नहीं होने के कारण पुनः खाताधारक धीरपसिंह पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी मगरियादेह के नाम हस्तांतरण किया जाना है. जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

डी-नोटीफिकेशन

स. क्र.	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	वर्तमान भू-धारक	कृषक/पूर्व खाताधारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	127/3/1	3.035	जल संसाधन विभाग, मूण्डला बांध परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ का डूब क्षेत्र.	धीरपसिंह पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम मगरियादेह तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 जनवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.अ-82-22-23-पत्र क्र. 11-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	कोलहाई	21.50	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना जिला सतना (म. प्र.).	शारदा सागर बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.अ-82-22-23-पत्र क्र. 12-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) सहिलरा	(4) 7.200	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना जिला सतना (म. प्र.).	शारदा सागर बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 जनवरी 2023

क्र. 24अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-317.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पड़वार, पटवारी हल्का नंबर 14, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा, सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19(1) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. 23अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-316.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा हनौता उबारी, पटवारी हल्का नंबर 16, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा, सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19(1) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. 22अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-315.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा नीमोन, पटवारी हल्का नंबर 15, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा, सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19(1) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. 25अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-314.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा कुल्ल, पटवारी हल्का नंबर 09, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा, सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने मिसल बंदोबस्त में दर्ज रकबे से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे में भिन्नता होने से अवाई पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19(1) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. 39अ-82-18-19-भू-अर्जन-23-313.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा किरोला, पटवारी हल्का नंबर 10, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39अ-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 12 मार्च 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा, सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19(1) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. 86अ-82-20-21-भू-अर्जन-23-318.—बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा कुल्ल, पटवारी हल्का नंबर 09, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 86अ-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमियों का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 26 मार्च 2021 से बारह माह के भीतर धारा 19(1) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के तहत धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

क्र. 1272-भू-अर्जन-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन .—

(क)	जिला	-	रीवा
(ख)	तहसील	-	हुजूर
(ग)	ग्राम	-	अमिलकी
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	अमिलकी 43
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.165 हेक्टेयर

क्र	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	948/1	0.048	उप मुख्य अभियन्ता	ललितपुर-सिंगरौली रेल
2	949/1	0.206	(निर्माण) पश्चिम मध्य	लाईन के निर्माण हेतु
3	950/1	0.089	रेलवे रीवा	
(अ)	निजी पट्टे की भूमि का योग	0.165		
(ब)	म. प्र. शासन की भूमि का योग	0		
	(अ)+(ब) का योग	0.165		

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्रमांक : एफ-3-02/2020/तेरह : यह कि, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE-4, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (TBCB) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है।

और यह कि आवेदक मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त पैकेज-1 अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के 17 जिलों यथा रायसेन, होशंगाबाद, खरगोन, हरदा, सीहोर, अशोकनगर, गुना, भोपाल, बैतूल, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, देवास, धार, बुरहानपुर में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाइनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे।

अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है :-

- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा।

- (ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाइनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाइन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों में संबद्ध करेगी।
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
- (vi) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाइन के टावरों को खड़ा किया जाना है।
- (vii) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।
- (viii) यदि लाइनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।
- (ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रॉसिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।
- (x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- (xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।



- (xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जाकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (xiii) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जाकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
- (xv) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।
- (xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी।
- (xviii) लाइनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
- (xix) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है।
- (xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

**परिशिष्ट-1**

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मप्र में अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विकास: पैकेज - I

क्रमांक	पारेषण कार्य
1.	400/220/132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र मंडीदीप (जिला रायसेन)
i	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी (पीजीसीआईएल) - भोपाल 400 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य।
ii	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये होशंगाबाद - आदमपुर 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
iii	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप - भोपाल 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
iv	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 132 - बगरोदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
v	मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 220 - एमएसीटी भोपाल 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
2.	220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बिसौनीकलां (जिला होशंगाबाद)
i	बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी - हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
ii	बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा - हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
iii	बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी मालवा - हरदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
3.	220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र खरगोन (जिला खरगोन)
i	खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये छैगांव - निमरानी 220 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य।
ii	खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये खरगोन - जुलवानिया (तलकपुरा) 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
iii	खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये भीकनगांव - बिस्टान 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
4.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सोडलपुर (जिला हरदा)
i	बिसौनीकलां - सोडलपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii	सोडलपुर- सुलतानपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
5.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र जावरजोड़ (जिला सिहोर)
i	जावरजोड़ 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये आष्टा - सोनकच्छ 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।

क्रमांक	पारेषण कार्य
6.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पथारी (जिला रायसेन)
i	गैरतगंज - पथारी 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन ।
7.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बाड़ी (जिला रायसेन )
i	बरेली - बाड़ी 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii	बाड़ी - शाहगंज 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
8.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमराहाट (जिला गुना )
i	अशोकनगर - सेमराहाट 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii	सेमराहाट - आरोन 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
9.	132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र एचओडी भोपाल (जिला भोपाल)
i	मुगलियाछाप - एचओडी भोपाल 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन ।
10.	220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र शाहपुर (जिला बैतुल)
i	शाहपुर 220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा टीपीएस - इटारसी 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
11.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र छापीहेडा (जिला राजगढ )
i	खुजनेर - छापीहेडा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii	छापीहेडा - नलखेडा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
12.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र भाटपचलाना (जिला उज्जैन )
i	भाटपचलाना 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बडनगर - आरेंज बेरछा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन का लीलो कार्य।
13.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र ढोढर (जिला रतलाम )
i	ढोढर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये जावरा - दलोदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
14.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पीपलगांव (जिला खरगोन)
i	कसरावद - पीपलगांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
15.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अंबाजा (जिला अलीराजपुर)
i	अंबाजा 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बडवानी - कुक्षी 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
16.	132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र चौबाराधीरा (जिला देवास)
i	सोनकच्छ - चौबाराधीरा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
17.	132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र पीथमपुर सेक्टर - III (जिला धार )
i	पीथमपुर 220 - पीथमपुर सेक्टर-III 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन ।
18.	प्रणाली सुदृढीकरण कार्य
i	बहादुरपुर - बड़गांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

No. F-3/02/2020/13

Bhopal, the 13<sup>th</sup> January 2023

Whereas, the applicant M/s MP Power Transmission Package-I Limited with its head quarter at CORE-4, SCOPE COMPLEX, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003 intends to develop Intra-State Transmission System, in different area of MP regarding construction of 400 KV/220 KV/132 KV lines as per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) process.

And whereas, the applicant M/s MP Power Transmission Package-I Limited has applied for permission to construct 400kV/220kV/132kV lines in Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines as per Package-I are in 17 different districts of Madhya Pradesh i.e. Raisen, Hoshangabad, Khargone, Harda, Sehore, Ashoknagar, Guna, Bhopal, Betul, Rajgarh, Agar Malwa, Ujjain, Ratlam, Alirajpur, Dewas, Dhar and Bhurhanpur and line route covers main villages in the area.

Now therefore, the State Government, after consideration of the application received hereby, accords permission to M/s MP Power Transmission Package-I Limited, New Delhi, under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 400 KV/220 KV/132 KV overhead lines in different areas of Madhya Pradesh, on the following terms and conditions:-

- i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure for the purpose specified as above.
- ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way" (RoW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost.

- iii. The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substations in accordance with the Lay-out plan & line orientation as approved by MPPTCL.
- iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet.
- v. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 as amended time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 (as amended), CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2010 (as amended) and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2011 (as amended).
- vi. The Applicant Company will be required to obtain "NO OBJECTION CERTIFICATE" from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected.
- vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.
- viii. In case cutting of trees is required for construction of lines, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
- ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines, National / State highway, river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority.
- x. In case the lines are proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of the non-involvement of forest with laying of the line.
- xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities.
- xii. The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.

- xiii. On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost.
- xiv. If there is any damage to personal/public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
- xv. If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
- xvi. The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt. prevailing and as amended from time to time.
- xvii. The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work.
- xviii. The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL.
- xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period.
- xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions, the permission shall stand CANCELLED automatically.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
NEERAJ AGARWAL, Officer on Special Duty.

## Annexure

## Development of Intra-State Transmission Work in M.P. through Tariff Based Competitive Bidding: PACKAGE – I

S.No.	Transmission Elements
<b>1</b>	<b>400/220/132/33 KV GIS Substation at Mandideep (District-Raisen)</b>
i	LILO of both circuits of Itarsi (PGCIL) – Bhopal 400 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
ii	LILO of Hoshangabad – Adampur 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
iii	LILO of Mandideep – Bhopal 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
iv	LILO of Mandideep132 – Bagroda 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
v	LILO of Mandideep 220 – MACT Bhopal 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
<b>2</b>	<b>220/132/33 KV substation Bisonikala (District-Hoshangabad)</b>
i	LILO of Itarsi – Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/s
ii	LILO of Satpura – Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/s
iii	LILO of Seonimalwa – Harda 132 KV line at Bisonikala 220KV S/s
<b>3</b>	<b>220/132/33 KV Substation at Khargone (District-Khargone)</b>
i	LILO of both circuits of Chhegaon – Nimrani 220 KV line at Khargone 220 KV S/s
ii	LILO of Khargone – Julwaniya (Talakupura) 132 KV line at Khargone 220 KV S/s
iii	LILO of Bhikangaon – Bistan 132 KV line at Khargone 220 KV S/s
<b>4</b>	<b>132/33 KV substation at Sodalpur (District-Harda)</b>
i	Bisonikala – Sodalpur132KV DCSS line.
ii	Sodalpur – Sultanpur 132 KV DCSS line.
<b>5</b>	<b>132/33 KV substation at Jawarjod (District-Sehore)</b>
i	LILO of Ashta – Sonkatch 132 KV line at Jawarjod 132 KV S/s
<b>6</b>	<b>132/33 KV substation at Pathari (District-Raisen)</b>
i	Gairatganj – Pathari 132 KV DCDS line
<b>7</b>	<b>132/33KV substation at Badi (District-Raisen)</b>
i	Bareli – Badi132KV DCSS line
ii	Badi – Shahganj132KV DCSS line
<b>8</b>	<b>132/33KV substation at Semrahat (District-Guna)</b>
i	Ashoknagar – Semrahat 132 KV DCSS line
ii	Semrahat – Aron 132KV DCSS line

S.No.	Transmission Elements
9	<b>132/33 KV GIS substation at HOD Bhopal (District-Bhopal)</b>
i	Mugaliya Chhap – HOD Bhopal 132KV DCDS line
10	<b>220/33KV substation at Shahpur (District-Betul)</b>
i	LILO of Satpura TPS – Itarsi 220 KV line at Shahpur 220/33KV S/s
11	<b>132/33 KV substation at Chhapiheda (District-Rajgarh)</b>
i	Khujner – Chhapiheda 132KV DCSS line
ii	Chhapiheda – Nalkheda 132KV DCSS line
12	<b>132/33 KV substation Bhatpachlana (District-Ujjain)</b>
i	LILO of Badnagar – Orange Berchha 132KV DCSS line at Bhatpachlana 132KV S/s
13	<b>132/33KV substation at Dhodhar (District-Ratlam)</b>
i	LILO of Jaora – Daloda 132KV line at Dhodhar 132KV S/s
14	<b>132/33KV substation at Pipalgaon (District-Khargone)</b>
i	Kasrawad – Pipalgaon 132KV DCSS line
15	<b>132/33KV substation at Ambaja (District-Alirajpur)</b>
i	LILO of Barwani – Kukshi 132KV line at Ambaja 132KV S/s
16	<b>132/33KV substation at ChoubaraDheera (District-Dewas)</b>
i	Sonkatch – ChoubaraDheera 132KV DCSS line
17	<b>132/33KV GIS substation at Pithampur Sector-III (District-Dhar)</b>
i	Pithampur220 – Pithampur Sector-III 132KV DCDS line
18	<b>System Strengthening Works (Burhanpur)</b>
i	Bahadurpur – Badgaon 132KV DCSS line



**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभभवन भवन भोपाल**

क्र.-166-2022-FWAD

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का.स. 46) की धारा 20 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-6/60/73/2-14 दिनांक 24 सितंबर 1983 के स्थान पर कीटनाशी नियम 1971 की धारा (26) में निहित अर्हताएं (स्नातक कृषि या विज्ञान में स्नातक जिसमें रसायन शास्त्र का विषय शामिल हो) रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाए गये क्षेत्र पर अधिकारिता होगी, की कीटनाशी निरीक्षक नियुक्त करती है।

क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारिता
1	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी	संपूर्ण मध्यप्रदेश
2	संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी	अपना-अपना संभाग
3	जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी	अपना-अपना जिला
4	अनुविभागीय अधिकारी कृषि के कार्यालय में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी कृषि तथा समस्त विषय वस्तु विशेषज्ञ (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी)	अपना-अपना उप संभाग
5	विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	अपना-अपना विकासखंड
6	सर्किल स्तर पर पदस्थ कृषि विकास अधिकारी (विस्तार)	अपना-अपना विकासखंड का क्षेत्र

प्रत्येक कीटनाशी निरीक्षक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं संचालनालयीन संयुक्त संचालक (पौ.सं.), संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा जिले के सहायक संचालक, (पौध संरक्षण) एवं संचालनालयीन सहायक संचालक (पौध संरक्षण) का शासकीय रूप से अधीनस्थ होगा।

(माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन कृषि द्वारा अनुमोदित)

No.क्रमांक: 166/2022/FWAD in exercise of the power conferred by section 20 sub section 1,2 of the Insecticide Act 1968 and in supersession of the departmental notification No.B-6/60/73/2-14 dated 21September,1983 issued in this behalf, the state Government hereby appoint the following officers possessing the qualifications prescribed (Graduate in Agriculture or a Graduate in Science with Chemistry as special subject) in section 26 of Insecticide Rules 1971 of the said order, as Insecticide Inspector. Who shall have jurisdiction over the areas shown below:

S.N	Name of the Officer	Jurisdiction
1	All Assistant Directors/Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the directorate of farmer welfare and Agriculture Development Madhya Pradesh Bhopal	Whole of Madhya Pradesh
2	All Assistant Directors/Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the office of Joint Director of farmer welfare and Agriculture Development of the Division.	Respective Division
3	All Assistant Directors/Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the office of Deputy Director of farmer welfare and Agriculture Development, in the District	Respective District
4	Sub Divisional officers Agriculture/ All Subject Matter Specialists (Senior Agriculture Development Officers) posted in the office of Sub Divisional Agriculture officer farmer welfare and Agriculture Development in the Sub Division.	Respective Sub-Division
5	Senior Agriculture Development Officers posted at Block level	Respective Block
6	Agriculture Development Officer (Extension) posted at ADO circle level.	Respective area of Block

Each insecticide inspector will be officially subordinate to Director, Farmer Welfare and Agricultural Development, State Licensing Officer (PP) and Joint Director(PP) Directorate, Concerning Divisional Joint Director, Farmer Welfare and Agricultural Development, Concerning Deputy Director, Farmer Welfare and Agricultural Development and Assistant Director Agriculture (Plant Protection) of Concerning District, Assistant Director Agriculture (Directorate Plant Protection).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जितेन्द्र सिंह परिहार,उपसचिव.

**विभाग प्रमुखों के आदेश  
कार्यालय, कलेक्टर, (जनजातीय कार्य विभाग) डिण्डौरी जिला डिण्डौरी**

क्र.-3478-सहा.आयु.वन अधि.-2022

डिण्डौरी, दिनांक 18 नवम्बर 2022

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 23-2/2021/25-3/384 भोपाल दिनांक 22.04.2022 एवं ज्ञापन क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 भोपाल दिनांक 26.05.2022 द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में मंत्री परिषद आदेश आईएम क्रमांक 15 दिनांक 04 मई 2022 द्वारा किये गये अनु समर्थन के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (ज) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश के 827 वनग्रामों (वर्तमान में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन) को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से 86 वनग्राम डिण्डौरी जिले के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वनग्रामों की राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की गई। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा के परीक्षण उपरांत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा डिण्डौरी जिले के निम्नांकित वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

क्र.	तहसील का नाम	वनमण्डल का नाम	वन पक्षेत्र का नाम	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वनकक्ष / वक्षों का क्रमांक जिसमें वन ग्राम स्थित है	वन का नाम	वनग्राम का भौगोलिक रकबा	वनग्राम का क्षेत्र (हे.मै) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की चतुर्दिक सीमाएँ				ग्राम की कुल जनसंख्या	वन अधिकार पट्टेदारों की संख्या
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	डिण्डौरी	डिण्डौरी	दक्षिण समनापुर	धुरकुटा	डी-12 दाबा, से-2 बिजौरी	618B, 619B, 621B	धुरकुटा	344.620	291.070	वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने हेतु	आर.एफ. 622	आर.एफ. 618	आर.एफ. 619, 621	वनग्राम लमोटा	795	99
2	डिण्डौरी	डिण्डौरी	दक्षिण समनापुर	कादावानी	से-2 बिजौरी	622B, 623B, 624B	कादावानी	80.220	68.140	—	आर.एफ. 623	आर.एफ. 622	वनग्राम सिलपिड़ी	285	33	

**विकासखण्ड-समनापुर**

क्र. सहाय्यता का नाम	समाप्ति का नाम	वन परिसर का नाम	प्लॉट का नाम	वनकत / अकों या प्रमोड विसर्ग वन नाम स्थित है	वन प्राण का नाम	वनायक का नाम	वनायक का नाम	वनायक का क्षेत्र (है.मी) जो आवंटित वन नहीं रहेगा	आयोजित वन नहीं खेने का कारण	आयोजित वन नहीं खेने वाले क्षेत्र की वार्षिक सीमाएँ			ग्राम की कुल जनसंख्या	वन अधिकार पट्टेदारों की संख्या		
										उत्तर	दक्षिण	पूर्व				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	अजगर	डी-12 बाबा	571B	अजगर	अजगर	622.610	579.270	---	आर.एफ. 572	आर.एफ. 589	आर.एफ. 579 एवं वनग्राम रजनी सरई	114	98	
4	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	अजगर	डी-12 बाबा	590B, 570B	अजगर	लानोवा	239.160	167.940	---	आर.एफ. 586 एवं वनग्राम अजगर	आर.एफ. 590	वनग्राम धुरकुटा	650	35	
5	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	जीलंग	डी-12 बाबा, डी-2 डिण्डीरी	565B, 566B, 625B,	जीलंग	जीलंग	261.180	209.590	---	आर.एफ. 585	आर.एफ. 626	राजस्व क्षेत्र	342	12	
6	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	बंजरा	डी-12 बाबा, डी-10 दुल्हापानी	605B	बंजरा	बंजरा	403.920	384.920	---	आर.एफ. 608, 609	वनग्राम झालुल	आर.एफ. 608, 605	877	110	
7	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	फिटारी	डी-12 बाबा	585B, 586B, 600B, 595B	फिटारी	फिटारी	396.180	374.090	---	आर.एफ. 608, 588	आर.एफ. 600, 584	आर.एफ. 602	544	131	
8	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	झालुल	डी-12 बाबा	603B	झालुल	झालुल	314.000	306.680	---	आर.एफ. 604	पल्लीसगढ़ सीमा एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 602, 604	792	56	
9	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	रंजरा	डी-12 बाबा	579B, 581B, 583B, 594B	रंजरा	रंजरा	428.490	409.270	---	आर.एफ. 579	आर.एफ. 586, 584	आर.एफ. 580, 684	786	92	
10	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	कन्हारी	डी-12 बाबा	577B, 578B	कन्हारी	पौर-कन्हारी	582.610	488.280	---	आर.एफ. 614 एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 578	वनग्राम दावा	841	101	
11	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	कन्हारी	डी-12 बाबा	567B, 568B, 576B,	कन्हारी	दावा	498.640	439.230	---	वनग्राम गीरामकरी एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 588	वनग्राम रजनी सरई	708	47	
12	डिण्डीरी	दक्षिण समनापुर	रजनीसरई	डी-12 बाबा	572B, 573B, 574B, 575B	रजनीसरई	रजनीसरई	649.840	548.600	---	वनग्राम दावा	आर.एफ. 582, 589	आर.एफ. 582, 578	388	91	
13	डिण्डीरी	उत्तर समनापुर	हल्दीकरेली	डी-10 दुल्हापानी	438B,	हल्दीकरेली	हल्दीकरेली	424.960	412.660	---	राजस्व क्षेत्र, आर.एफ. 439	नदी सीमा	राजस्व क्षेत्र	743	83	
14	डिण्डीरी	उत्तर समनापुर	सिमरवा	डी-11 राजकीया	357B, 361B, 362B, 363B, 364B	सिमरवा	सिमरवा	345.730	308.360	---	आर.एफ. 337, 361	आर.एफ. 381, 384	आर.एफ. 365	636	36	
15	डिण्डीरी	उत्तर समनापुर	मानिकपुर	डी-8 लंबरा	400	मानिकपुर	मानिकपुर	266.250	354.720	---	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 399	आर.एफ. 401, डी-1549, 1538	308	29	
16	डिण्डीरी	उत्तर समनापुर	रसाई	डी-8 लंबरा	387, 389B, 390, 391B	रसाई	बीतलकरेली	205.940	160.340	---	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 388	वनग्राम दावा	280	36	
<b>विकासखण्ड-करंजिया</b>																
17	बयाग डिण्डीरी	परिसर करंजिया	माकोपुर	K-1 कानो	645B, 646	माकोपुर	जामपानी	169.410	169.410	---	राजस्व क्षेत्र, ग्राम वनपरस	आर.एफ. 644, 647	राजस्व क्षेत्र ग्राम डोगरीवाला	354	46	

क्र.	तहसील का नाम	ग्रामपंचायत का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वन वरिष्ठर का नाम	वनखंड का नाम	वनकक्ष / कक्षा का प्रभारक जिसमें वन ग्राम स्थित है	वन ग्राम का नाम	वनग्राम का भौगोलिक रचना	वनग्राम का आकृतित वन नहीं रहेगा	आकृतित वन नहीं रहेगा का कारण	आकृतित वन नहीं रहेगा वाले क्षेत्र की बायुटिक सीमाएँ				ग्राम की कुल जनसंख्या	या अधिकार पट्टेदारों की संख्या
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	बजाग	डिंडोरी									12	13	14	15	16	17
18	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	ददरगाय	K-4 खलात	722B, 726B, 729B, 739B, 739B, 739B	ददरगाव (कुटोली)	481.670	468.720	---	आर.एफ. 727, 731, 740, 738, 739	आर.एफ. 726, 723, 729, 722, 738	आर.एफ. 729	आर.एफ. 722, 725 एवं ग्राम जुगादेई	1197	103
19	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	घकरार	K-3 खदौर	668B, 698C	घकरार	373.510	362.070	---	आर.एफ. 686	आर.एफ. 670	आर.एफ. 669	आर.एफ. 671, 667	589	139
20	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	घकरार	K-3 खदौर	670B, 664B, 667B, 671B, 672B, 673B, 674C, 675C, 684C	ठाकणभरा	230.520	267.630	---	वनग्राम घकरार एवं आर.एफ. 671	आर.एफ. 672, 675	आर.एफ. 670, 673, 669	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 666	633	108
21	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	पाण्डरीपानी	K-3 खदौर	684B	पाण्डरीपानी	321.670	294.820	---	आर.एफ. 685	वनग्राम लहरावादार	आर.एफ. 678, 689, 684	आर.एफ. 674, 684	552	98
22	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	बोयरा	K-3 खदौर	689B, 690B, 691B, 692B, 693B, 686C, 688C	केनामहरा	243.120	166.510	---	आर.एफ. 686, 685	आर.एफ. 690, 688	आर.एफ. 685, 683	आर.एफ. 687, 688	345	56
23	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	पाण्डरीपानी	K-3 खदौर	683B	लहरावादार	165.700	145.580	---	वनग्राम पाण्डरीपानी एवं आर.एफ. 683	राजस्व क्षेत्र, ग्राम घकरारटोला	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 683	242	39
24	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	पाण्डरीपानी	K-3 खदौर	675B, 676B, 677B, 678B	कावाटोला	216.420	216.420	---	आर.एफ. 674, 675	आर.एफ. 678	आर.एफ. 67, 676	राजस्व क्षेत्र ग्राम मिलकोवा	470	74
25	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	कावाटोला	K-3 खदौर	681B	त्रिपुरा	263.430	250.050	---	वनग्राम पाण्डरीपानी एवं आर.एफ. 682	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 682 एवं वनग्राम ठासीसाक सीमा	आर.एफ. 679 एवं वनग्राम कथना	292	67
26	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	कावाटोला	K-3 खदौर	678C, 679B, 680B	बथना	295.380	260.880	---	आर.एफ. 678	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 680	वनग्राम त्रिपुरा	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 679	358	61
27	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	दक्षिण खदौर	K-3 खदौर	696B, 705B	खदौर	491.240	421.120	---	आर.एफ. 704 एवं ग्राम खथारखुपरा	आर.एफ. 706	आर.एफ. 706 एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 704	711	113
28	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	बोयरा	K-3 खदौर	708B, 695B	बोयरा	254.980	708B, 695B	---	आर.एफ. 707	आर.एफ. 717, 694	आर.एफ. 719	आर.एफ. 707, 686	532	61
29	बजाग	डिंडोरी	परिचय करौजिया	दक्षिण खदौर	K-3 खदौर	685B, 686B	दोमुहानी	95.150	82.770	---	आर.एफ. 688	आर.एफ. 687, 685	आर.एफ. 688, 686	आर.एफ. 685, एवं वनग्राम केनामहरा	196	34

क्र.	तहसील का नाम	वनप्रखण्ड का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वन परिसर का नाम	वनखंड का नाम	वनखंड / कक्षा का क्रमिक विवरण वन ग्राम स्थित है	वन ग्राम का नाम	वनग्राम का भौगोलिक रकबा	वनग्राम का क्षेत्र (हेक्टे) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र को चतुर्दिक सीमाएँ				ग्राम को कुल जनसंख्या	वन अधिकार पट्टेवाले की संख्या
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	बजाग	डिंडोरी	परियम करजिया	पाण्डपुर	K-3 खंड	656B, 657B, 658B, 659B	पाण्डपुर	280.170	265.130	—	आर.एफ. 666	आर.एफ. 660, 669	आर.एफ. 667, 668	राजस्व क्षेत्र	554	78
31	बजाग	डिंडोरी	परियम करजिया	बहादुर	K-3 खंड	697B, 698B, 699B, 700B	लिया	124.710	95.550	—	आर.एफ. 668	आर.एफ. 668	आर.एफ. 700	आर.एफ. 698, 699	767	100
32	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	करजिया	K4 - खाना	811B	बावली	400.970	393.010	—	आर.एफ. 658 एवं राजस्व क्षेत्र	वनग्राम जोगीवारा एवं आर.एफ. 810	आर.एफ. 817, 818	आर.एफ. 818, 812	796	103
33	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	जोगीवारा	K4 - खाना	805B	जोगीवारा	433.160	393.700	—	आर.एफ. 818 एवं वनग्राम बावली	वनग्राम जोगीवारा एवं आर.एफ. 806, 810, 804	आर.एफ. 821, 822	वनग्राम बावली	679	38
34	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	सेनगुडा	K4 - खाना	800B, 801B, 788B	डिंडोरी	657.510	628.430	—	आर.एफ. 808, 809	आर.एफ. 789, 787	आर.एफ. 790, 788	राजस्व क्षेत्र एवं पहाड़	1131	162
35	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	चौरादार	K4 - खाना	794B, 792B	चौरादार	546.510	539.690	—	आर.एफ. 801	आर.एफ. 781, 782	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 783, 791	812	206
36	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	सोनतीर	K4 - खाना	777B	सोनतीर	91.770	82.240	—	आर.एफ. 779, 778	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 779	आर.एफ. 778	201	55
37	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	खारोडोह	K4 - खाना	784B	खारोडोह	835.320	809.570	—	आर.एफ. 783, 785, 788, 787	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 789, 772, 773, 796, 788	राजस्व क्षेत्र वनग्राम गोपालपुर	1711	311
38	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	दलदलकपोटी	K4 - खाना	764B	दलदलकपोटी	145.990	139.380	—	आर.एफ. 756 एवं राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 787, 785	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 718	251	63
39	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	जगतपुर	K4 - खाना	827B	जगतपुर	335.470	328.560	—	आर.एफ. 836, 837	आर.एफ. 828, 828	आर.एफ. 832, 830, 831	राजस्व क्षेत्र	544	72
40	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	जगतपुर	K4 - खाना	831B	कबीरपुर	70.830	70.830	—	आर.एफ. 833, 831, 832	आर.एफ. 830	राजस्व क्षेत्र, छत्तीसगढ़ सीमा	वनग्राम जगतपुर एवं आर.एफ. 830	215	34
41	बजाग	डिंडोरी	पूर्व करजिया	पकरोसोका	K4 - खाना	849B	पकरोसोका	197.860	197.860	—	नर्मदा नदी	आर.एफ. 846, 847	नर्मदा नदी	ओ-1647, 1648 एवं ग्राम खाना	241	80
<b>विकासखण्ड-डिंडोरी</b>																
42	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	भंडखण्डी	S-11 कलकदी	223	डिंडोरी	59.280	59.280	—	आर.एफ. 228	आर.एफ. 224	आर.एफ. 227	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 224	151	28

क्र.	राज्यीय का नाम	वनपट्टा का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वन परिवार का नाम	वनखंड का नाम	वनपट्टा / ब्लॉक का क्रमांक जिसमें वन ग्राम स्थित है	वन ग्राम का नाम	वनग्राम का भौगोलिक स्थिति	वनग्राम का क्षेत्र (हे.मी.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की वृद्धिदक सीमाएँ			ग्राम की कुल जनसंख्या	वन अधिकार पट्टेदारों की संख्या	
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व			पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	धानीखुहार	S-10 कुम्हार	189B, 190B	धानीखुहार	234.690	179.920	—	आर.एफ. 190, 188	आर.एफ. 190, 188	आर.एफ. 190	आर.एफ. 190	305	55
44	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	उमरवा	S-10 कुम्हार	184B	उमरवा	193.530	181.080	—	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम गनवाही	आर.एफ. 164	राजस्व क्षेत्र	318	44
45	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	देवकरा	S-14 कम्हा	242	देवकरा	278.140	273.010	—	आर.एफ. 240	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 243	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम गीपालपुर	332	61
46	डिंडोरी	डिंडोरी	शाहपुर	सुरली	S-8 अम्बरार	122B	सुरली	178.560	146.390	—	आर.एफ. 123, 116	आर.एफ. 122	आर.एफ. 122	आर.एफ. 123	321	46
47	डिंडोरी	डिंडोरी	शाहपुर	पटकुही	S-6 बरखेड़ा	158B, 159B, 160B	पटकुही	290.040	269.980	—	आर.एफ. 160	आर.एफ. 158	आर.एफ. 160	श्री-1330 एवं राजस्व क्षेत्र	251	81
48	डिंडोरी	डिंडोरी	शाहपुर	कुन्वारी	S-8 अम्बरार	114B	कुन्वारी	686.290	660.180	—	आर.एफ. 112, 113, 116	आर.एफ. 124	आर.एफ. 123	आर.एफ. 124	1215	126
49	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	राखेपुर	S-10 सुरखार	162	राखेपुर	286.210	275.800	—	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 147, 183	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम	357	75
<b>विकासखण्ड-अमरपुर</b>																
50	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	अमरपुर	श्री-7 बाघानी	289	जैतपुरी	565.810	484.910	—	राजस्व क्षेत्र एवं पी. डब्ल्यू.डी. मार्ग	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 287, 289, 288	आर.एफ. 287, 288	673	122
51	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	हरदोला	श्री-7 बाघानी	286	झरना	605.600	562.000	—	आर.एफ. 279	आर.एफ. 287	आर.एफ. 278, 288 एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग	अग्रग्राम घुघरी	731	110
52	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	घुघरी	श्री-7 बाघानी	285	घुघरी	277.490	261.940	—	आर.एफ. 280	आर.एफ. 284	अग्रग्राम झरना	आर.एफ. 281, 282, 283	543	99
53	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	घुघरी	श्री-7 बाघानी	256	हथकटा	762.460	735.800	—	वन विकास निगम क्षेत्र आर.एफ. 252, 254	वन विकास निगम क्षेत्र आर.एफ. 255 एवं राजस्व क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र आर.एफ. 255	राजस्व क्षेत्र	1159	124
54	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	मोहनगिर	श्री-7 बाघानी	294	गोरखपुर	526.080	431.960	—	आर.एफ. 282, 283	आर.एफ. 285, 286	राजस्व क्षेत्र एवं आर.एफ. 285	अग्रग्राम खुरदुरपानी	506	61
55	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	पिपारिया	श्री-7 बाघानी	297	खुरदुरपानी	1242.460	1108.630	—	आर.एफ. 293	अग्रग्राम गोरखपुर	अग्रग्राम गोरखपुर	राजस्व क्षेत्र एवं ग्राम चंदा	650	155
56	डिंडोरी	डिंडोरी	अमरपुर	पिपारिया	श्री-7 बाघानी	300	उमरीखुण्डा	531.950	428.130	—	अग्रग्राम खुरदुरपानी	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 288	राजस्व क्षेत्र एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग	555	83





क्र.	शहरीय का नाम	वनस्पतल का नाम	वन पक्षेत्र का नाम	वन परिसर का नाम	वनखंड का नाम	दक्कस / कक्षा का क्रमांक जिसमें वन नाम स्थित है	वन ग्राम का नाम	वनग्राम का भौगोलिक स्थिति	वनग्राम का क्षेत्र (हे.मी.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन भूमी खंडों का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की वार्षिक सीमाएँ			ग्राम की कुल जनसंख्या	वन अधिकार पट्टेदारों की संख्या	
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
<b>विकासखण्ड-महदवानी</b>																
71	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	दरगावा	जे 24 मुक्का	990B	दरगावा	440.490	363.330	—	आर.एफ. 890	दरगावा डेनी	ओ-1007	आर.एफ. 890	450	116
72	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	डोनी	जे 24 मुक्का	994B	डोनी	270.850	265.950	—	दरगावा दरगावा	आर.एफ. 883	आर.एफ. 808 एवं राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 984	381	98
73	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हराटोला	जे 29 मसूखपुरी	949B	वाहारिया	177.470	157.090	—	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	230	33
74	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	खुरी	जे 24 मुक्का	989B	खुरी	206.300	149.560	—	आर.एफ. 888	आर.एफ. 888	आर.एफ. 988, 969	नर्मदा नदी	245	55
75	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हिरदेपुर	एच.एच. 21 कुटवा	875B	हिरदेपुर	122.960	120.300	—	आर.एफ. 873, 875	आर.एफ. 874 एवं नर्मदा नदी	आर.एफ. 873, 874	आर.एफ. 875	212	35
76	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	सलैया	एच.एच. 21 कुटवा	873B	सलैया	285.840	267.940	—	आर.एफ. 873	नर्मदा नदी	नर्मदा नदी	आर.एफ. 873	488	75
77	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	किरडोपानी	एच.एच. 14 आरा	880B	किरडोपानी	242.550	238.100	—	आर.एफ. 880	आर.एफ. 879	वनग्राम विकास महेशपुरी	आर.एफ. 878	285	60
78	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	कुटवा	एच.एच. 35 बदलरी	870B	बदलरी	495.030	483.530	—	आर.एफ. 888 एवं ओ-1783	ओ-1795 एवं राजस्व क्षेत्र	राजस्व क्षेत्र	आर.एफ. 889	772	104
79	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हराटोला	जे 29 मसूखपुरी	943B	हराटोला	684.140	656.730	—	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 940	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 981	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 942	1075	161
80	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हराटोला	जे 29 मसूखपुरी	954B	अमपुर	268.030	206.820	—	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 953	राजस्व क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 955	राजस्व क्षेत्र जिवा सीमा	264	57
81	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हराटोला	जे 29 मसूखपुरी	945B	आहाला	430.220	408.250	—	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 946	वन विकास निगम क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 948	वन विकास निगम क्षेत्र एवं आर.एफ. 944	792	128
82	शहपुरा	डिंडोरी	महदवानी	हराटोला	जे 29 मसूखपुरी	941B	चारखपुरी	226.670	223.440	—	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	वन विकास निगम क्षेत्र	482	40

उपरोक्त संपरिवर्तन राजस्व ग्रामों में भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, संधारण एवं प्रबंधन तथा अद्वलीकरण किये जाने तथा राजस्व विवादों के निपटारे हेतु व्यवस्था बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

1/ वनग्राम से संपरिवर्तन राजस्व ग्राम में भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना - (1) सर्वप्रथम ऐसे राजस्व ग्राम को, जिस तहसील में वे स्थित हैं, के निकटतम पटवारी हल्के के साथ संबद्ध किया जाए, इस प्रकार उनके भू-अभिलेख तैयार करने हेतु भू-सर्वेक्षण का कार्य ऐसे पटवारी हल्के का अंशभाग मानते हुए प्रारंभ किया जा सकेगा। वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम को निकटतम पटवारी हल्के में समाहित कर ऐसे पटवारी हल्के की पुनर्विचिना का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख की ओर भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 के उपबंधों के अधीन ऐसे पटवारी हल्का की पुनर्विचिना का आदेश जारी करेंगे।

(2) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम की बाह्य सीमाओं को चिन्होक्त करते हुए ऐसे राजस्व ग्राम का कुल भू-भाग, तथा वन विभाग के पास उपलब्ध सभी भू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षण कर राजस्व भू-अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व भू-अभिलेख संधारित करने हेतु, जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर) को सौंपे जाएंगे, जिन्हें भू-सर्वेक्षण के कार्य के लिए प्राथमिक अभिलेख के रूप में उपयोग किया जाएगा। वन विभाग द्वारा चिन्होक्त बाह्य सीमाओं के विषय में सीमा चिन्हों तथा निर्देशांको (रिफरेन्स पॉइंट) का रजिस्टर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020 (जिन्हें आगे सर्वेक्षण नियम कहा गया है) के नियम 10 में विहित प्रारूप-दस में रखा जायेगा।

(3) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा भू-सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए सर्वेक्षण नियम के नियम 10 के अधीन प्रारूप-बारह में अधिसूचना जारी की जाएगी और उक्त अधिसूचना की दिनांक से ऐसे राजस्व ग्राम के क्षेत्र को भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझा जाएगा। राजस्व ग्राम में भू-सर्वेक्षण का कार्य संपन्न हो चुकने के पश्चात आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा सर्वेक्षण नियम के नियम 10 के अधीन विहित प्रारूप-तेरह में जारी की जाएगी।

(4) सर्वेक्षण सक्रियारं संपन्न करने के दौरान और बाद में भू-अभिलेख संधारण के प्रत्येक प्रक्रम पर यथास्थिति नगरेस्तर क्षेत्रों की भूमि (आबादी को छोड़कर) के सर्वे हेतु मार्गदर्शिका जो आयुक्त भू-अभिलेख के पत्र क्रमांक 158/2021 दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी की गई है, के प्रावधान भी यथोचित परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।

(5) जिला सर्वेक्षण अधिकारी (जिला कलेक्टर) ऐसे राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण सक्रियारं के प्रारंभ होने की अधिसूचना सर्वेक्षण नियम के नियम 14 के अधीन विहित प्रारूप-चौदह में जारी करेगा। इस प्रकार सर्वेक्षण सक्रियारं प्रारंभ कर सर्वप्रथम ड्रेन पदति का उपयोग करते हुए नक्शा तैयार कराया जाएगा, जिसमें स्थल पर भूमि उपयोग के आधार पर कृषि उपयोग में लिए जा रहे भू-खण्ड को सर्वेक्षण संख्यांक तथा कृषि भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लिए जा रहे भू-भाग को ब्लॉक संख्यांक दिए जाएंगे और ब्लॉक संख्यांक के भीतर अलग-अलग प्रयोजन के अनुसार उपयोग में लिये जा रहे भू-खण्ड संख्यांक की सीमाएं सारोखित करते हुए नक्शा तैयार किया जाएगा और प्रत्येक संख्यांक को यथास्थिति पृथक-पृथक क्रमांक दिये जाएंगे। इस कार्य हेतु जिला सर्वेक्षण अधिकारी अपने जिले में पदस्थ अन्य राजस्व कर्मियों को जिन्हें यह उचित समझे नियोजित कर सकेगा।

(6) इस प्रकार तैयार नक्शे में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक का आकार प्रदर्शित करते हुए उनके विषय में प्रारंभिक माप की गणना हेतु माप पुस्तिका तैयार की जाएगी और पैमाइश के अनुसार अद्वतल किये गए विद्यमान भू-अभिलेखों (वन विभाग से प्राप्त) का उपयोग करते हुए प्रारूप अभिलेख तैयार किया जाएगा। परन्तु यदि कोई भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो भू-सर्वेक्षण के दौरान लिये गये माप तथा किये गये अवलोकन के आधार पर प्रारूप अभिलेख तैयार किया जायेगा।

- (7) इस प्रकार तैयार किये गये प्रारूप अभिलेख के विद्यमान अभिलेख अनुसार वनाधिकार की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सामुदायिक उपयोग में मान्य भू-भाग के ब्यारे भी वर्णित होंगे। जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी (जो उपखंड अधिकारी होगा) प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उद्घोषणा सर्वेक्षण नियम के नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-पत्र में जारी करेगा, जिसमें दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कम से कम 15 दिवस की अवधि दी जायेगी।
- (8) जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे वनाधिकार प्राप्त हैं और जिसका नाम प्रारूप अभिलेख में है, सर्वेक्षण नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-सोलह में अपने दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु सूचना जारी करेगा और सूचनाओं की तामिली की अभिस्वीकृति का रजिस्टर सर्वेक्षण नियम के नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-सत्रह में रखा जायेगा।
- (9) इस प्रकार दावे और आपत्तियों के लिये नियत अंतिम तिथि के पश्चांत उनका जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपखंड अधिकारी होगा) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और सर्वेक्षण नियम के नियम 17 एवं 18 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत दावे/आपत्तियों का विनिश्चय किया जाएगा। अंतिम भू-अभिलेखों के प्रकाशन की सूचना सर्वेक्षण नियम के नियम 20 के अधीन विहित प्रारूप उन्नीस में जारी की जायेगी।
- (10) उल्लेखनीय है कि ऊपर दिये गये उल्लेखानुसार प्रारूप अभिलेख के आधार पर तैयार किये गये अंतिम अभिलेख के रूप में ग्राम का खसरा सर्वेक्षण नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रारूप-एक में तैयार किया जायेगा, जिसमें कॉलम (7) में वनाधिकार धारक का नाम अंकित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत उद्भूत अधिकार प्राप्त रहेंगे, न कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार। वनाधिकार धारक संहिता की धारा 181 के उपबंधों का सरकारी पट्टेदार नहीं हैं अतएव कॉलम (7) में उसके नाम व अन्य विवरण के साथ "वनाधिकार धारक" अवश्य लिखा जाएगा, साथ ही "अहस्तांतरणीय" भी लिखा जाएगा। ऐसे मामलों में खसरा के कॉलम (4), (5), (6) एवं (8) अनुपयोगी हैं, अतएव इन कॉलमों में "वनाधिकार धारक होने से लागू नहीं" अंकित किया जाएगा। तैयार किये गये अंतिम भू-अभिलेख के खसरा के आधार पर ग्रामवार खतौनी सर्वेक्षण नियम के नियम 8 के अधीन विहित प्रारूप-आठ में तैयार की जायेगी।
- (11) संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के ऐसे भू-भाग को, जिसमें वनवासी निवास करते हैं अर्थात् बसाहट-आबादी है, उसे स्थल की स्थिति के अनुसार एक या अधिक ब्लॉक संख्यांक दिए जाएंगे, जिनमें वनवासी द्वारा निवास या आनुवंशिक में उपयोजित भू-भाग को भू-खण्ड संख्यांक के रूप में दर्शाया जाएगा।
- (12) बसाहट-आबादी के भू-भाग की सर्वेक्षण संक्रियाएं संपन्न करने के दौरान और बाद में उनके भू-अभिलेख संधारण के प्रत्येक प्रक्रम पर यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वेक्षण का सर्वे कर अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिए जारी दिशा निर्देश क्रमांक 3-4/2020/सात/शा.6 दिनांक 07.07.2020 के प्रावधान भी यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (13) खसरा में सामुदायिक उपयोग के भू-खंडों को सामुदायिक उपयोग-प्रयोजन अंकित किया जायेगा, यथा शमशान/कब्रिस्तान, चारागाह, हाट-बाजार, स्कूल, आंगनवाड़ी, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केन्द्र, खाल निकालने का स्थान, खाद के गड्डे, सड़क/गली आदि। इस प्रकार प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये सामुदायिक उपयोग के भू-खंडों हेतु एक पृथक सामुदायिक उपयोग-निस्सार पत्रक संधारित किया जायेगा।
- (14) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में बसाहट-आबादी के भू-अभिलेख एवं निस्सार भूमि के भू-अभिलेख तैयार करने एवं संधारण के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा बाजिल-उल-अर्जी) नियम, 2020 (जिसे आगे दखलरहित भूमि नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (15) इस प्रकार तैयार किये गये खसरा के साथ-साथ एक पुनर्क्रमांक रजिस्टर सर्वेक्षण नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रारूप-छ: में रखा जायेगा जिसमें सर्वेक्षण के पूर्व के अभिलेखों के संख्यांक तथा सर्वेक्षण उपरांत दिये गये संख्यांक अंकित होंगे।

- (16) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के अंतिम भू-अभिलेख के तौर पर उपरोक्तानुसार तैयार किया गया नक्शा, खसरा तथा पुनर्क्रमांकन रजिस्टर भू-सर्वेक्षण की संक्रिया से निर्मित अभिलेख के रूप में संधारित किये जायेंगे और खसरा के आधार पर तैयार की गयी ग्रामवार खतौनी ऐसे ग्राम का उपसंगी अभिलेख होगा।
- (17) भू-सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रक्रम पर तैयार किए जाने वाले अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए उनकी सॉफ्टवेयर सुरक्षित रखी जाएगी और भविष्य में वैध आदेश के अनुसरण में किए जाने वाले परिवर्तनों का ऐसे आदेश के संदर्भ उल्लेख के साथ कम्प्यूटरीकृत अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।
- (18) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वनाधिकार धारक के भूमि में के हित वंशागत न्यायगमित हो सकते हैं, संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं हो सकते। अतः भू-अभिलेखों में और उनकी प्रतिलिपि प्रदान के समय प्रतिलिपियों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि वनाधिकार धारक के भूमि के हित अहस्तरणीय हैं। वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के वनाधिकार धारकों को उनकी भूमि के विषय में कोई भू-अधिकार पुस्तिका या ऐसा अन्य कोई अभिलेख या उसकी प्रति जारी नहीं की जाएगी जिससे उसके भूमिस्वामी होने का क्षम होने की संभावना हो। ऐसी सतर्कता से भविष्य के विवादों से बचा जा सकेगा।
- 2/ **ग्रामांतरण-** (1) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अनुसार वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना प्रावधानित है। धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार ऐसे प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होंगे किन्तु, संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होंगे।
- (2) वनाधिकार धारक भूमि में के अपने वनाधिकार या कोई हित विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित नहीं कर सकता, तथापि ऐसे वनाधिकार धारक की मृत्यु के कारण उसके अधिकार वंशागत होंगे। अर्थात् धारक की मृत्यु के उपरांत उसकी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अनुसार न्यायमित होंगे। स्पष्ट है कि धारक की मृत्यु होने पर भू-अभिलेखों में उसके वैध वारिसों के नाम से नामांतरण कर अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा।
- (3) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 (जिन्हें आगे नामांतरण नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के मामलों में अनुसरित किए जाएंगे।
- (4) भू-अभिलेखों को अद्यतन एवं शुद्ध रखने का दायित्व पटवारी का होगा और मृत वनाधिकार धारक के वैध वारिस धारक की मृत्यु की दिनांक से छह माह के भीतर भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अपने अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट, पटवारी के माध्यम से या सीधे तहसीलदार को नामांतरण नियमों में विहित यथास्थिति प्रारूप का उपयोग करते हुए, कर सकते हैं।
- (5) तहसीलदार मृत वनाधिकार धारक के वारिसों की ओर से प्राप्त रिपोर्ट या पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए नामांतरण नियमों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए सभी हितबद्धपक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे, संबंधित पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे, जनसामान्य से आपत्ति/वावा हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और इस प्रकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट/नामांतरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर परीक्षण कर भू-अभिलेखों में नामांतरण हेतु विधि अनुसार आदेश पारित कर भू-अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे। इस प्रकार नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर नामांतरण. आदेश की प्राप्ति और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति (खसरा एवं खतौनी की प्रति) समस्त हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की जाएगी।
- 3/ **सीमांबन्ध-** (1) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में वनाधिकार धारक की कृषि भूमि के विषय में यदि कोई सीमा विवाद है अथवा वह अपनी जानकारी/संतुष्टि के लिए सीमांकन कराना चाहता है तो वह तहसीलदार को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- (2) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में कृषिभूमि के सीमांकन के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन वने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 (जिन्हें आगे सीमांकन नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के मामलों में अनुसरित किए जाएंगे।
- (3) सीमांकन के लिए उक्त सीमांकन नियमों में विहित प्रारूप में उक्त नियमों में विहित फीस के भुगतान के साथ आवेदन करना होगा। इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को आवेदित सर्वेक्षित संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह सन्निहित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक पड़ोस के धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात आवेदित संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और सीमांकन नियमों में विहित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट आवश्यक संलग्नकों सहित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा जिसका समुचित परीक्षण कर तहसीलदार अभिप्रमाणन करेगा।
- (4) यदि कोई पक्षकार उक्तानुसार सीमांकन से प्रतिवेदित है तो यह उपखण्ड अधिकारी को अव्यावृत्त कर सकेगा और ऐसे मामले में उपखण्ड अधिकारी पुनः सीमांकन हेतु एक दल का गठन करेगा जिसमें अधीक्षक भू-अभिलेख या सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख या राजस्व निरीक्षक दल नायक होगा और एक अन्य राजस्व निरीक्षक सदस्य होगा, जो पुनः सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट नियमों में विहित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों सहित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिस पर उपखण्ड अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।
- 4/- **वन विभाग द्वारा जारी किए गए पंद्रह वर्षीय पट्टे-** (1) आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के भीतर स्थित कतिपय भू-भाग पर राज्य शासन के वन विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र जो वनाच्छादित नहीं हैं, पर कतिपय कृषकों को पंद्रह वर्षीय कृषि पट्टे दिये हैं, जिनका अवधि अवसान के दौरान नवीकरण भी नहीं किया गया है, किन्तु वन विभाग द्वारा उन्हें अभी तक ऐसी पट्टाधीन भूमि पर से बेतख्त नहीं किया गया है, और वे अभी भी अपने पूर्व पट्टे के आधार पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे कृषि पट्टाधारियों के विवरण, उन्हें दिए गये मूल पट्टा या नवीकृत पट्टा तथा नक्सा के साथ, जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर) को सौंपे जाएंगे।
- (2) उपरोक्त उप कंडिका (1) के विवरण अनुसार ऐसे पंद्रह वर्षीय पट्टों को नवीकृत मानते हुए उनके विषय में भी भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे तथा उनके नामांतरण एवं सीमांकन के मामलों का इस परिपत्र के अनुसरण में, ऐसी प्रक्रिया जैसी कि वनाधिकार धारक के लिए प्रावधानित की गई है लागू करते हुए, निराकरण भी किया जाएगा। परन्तु ऐसे मामलों में खसरा में वनाधिकार धारक नहीं लिखा जाएगा, बल्कि खसरा के कॉलम (7) में "पंद्रह वर्षीय कृषि पट्टा धारक" तथा "अहस्तानांतरणीय" लिखा जाएगा।
- (3) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पंद्रह वर्षीय पट्टा धारककी पट्टा अवधि भू-सर्वेक्षण के कृषि वर्ष से आगामी पंद्रह वर्ष पश्चात, जब तक वह नवीकृत नहीं कर दिया जाना, स्वतः समाप्त समझा जाएगा और तत्पश्चात ऐसा पट्टा धारक ऐसी भूमि पर अतिक्रमक माना जाएगा।
- (4) चूंकि उक्तानुसार पंद्रह वर्षीय पट्टाधीन भूमि आरक्षित या संरक्षित के भीतर स्थित है, इस कारण ऐसे पट्टों का नवीकरण वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके अपने विभागीय दिशा निर्देश के अनुक्रम में किया जा सकेगा। यदि नवीकरण किया जाना है तो वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टा नवीकरण की सूचना, एक प्रति के साथ तहसीलदार को संसूचित की जाएगी, जिसके अनुक्रम में भू-अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।
- 5/- **भू-अभिलेख/राजस्व अभिलेखों का संधारण तथा प्रतिलिपि प्रदाय-** (1) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में इन दिशा निर्देशों की कंडिका 3 की प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिला सर्वेक्षण अधिकारी (जिला कलेक्टर) अथवा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भू-सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप भू-सर्वेक्षण की कार्य संपन्न होने के पश्चात बंद किए जाने की अधिसूचना के दिनांक की स्थिति में जो अंतिम अभिलेख तैयार किए गए हैं, यथा नक्शा खसरा पुनर्क्रमांक रजिस्टर एवं वनाधिकार धारकों के खालों के संधारण के लिए तैयार अंतिम अभिलेख यथास्थिति सॉफ्टकापी एवं हार्डकॉपी में तीन प्रति में तैयार किए जाएंगे जिनमें से एक प्रति आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश, एक प्रति जिला कलेक्टर के कार्यालय तथा एक प्रति तहसील कार्यालय के अभिलेखागार में संरक्षित रखी जाएगी। तहसील कार्यालय के अभिलेखागार में संरक्षित भू-अभिलेख में भू-सर्वेक्षण की

संक्रियाएं बंद किए जाने की अधिसूचना के पश्चात पारित किए गए विधिसंगत आदेशों के प्रभाव में ऐसे आदेशों के संदर्भ उल्लेख के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार प्रथम बार तैयार भू-अभिलेख की एक-एक प्रति आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय एवं जिला कार्यालय में सुरक्षित संघारित रहेगी और तहसील कार्यालय की प्रति विधिसंगत आदेशों के प्रभाव में आगामी प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी।

(2) उपरोक्तानुसार संघारित भू-अभिलेख एवं पश्चातवर्ती मामलों के राजस्व अभिलेख यथास्थिति तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय एवं आयुक्त भू-अभिलेख के कार्यालय के अभिलेखागार में सुरक्षित संघारित किए जाएंगे और इन्हें कार्यालयों की अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में कोई भी व्यक्ति भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

(3) भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अध्याय-छः के प्रावधान अनुसरित किए जाएंगे अर्थात् इन प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आवेदक खसरा, खतौली या अन्य भू-अभिलेख अथवा राजस्व मामलों में पारित आदेशों का नियत शुल्क का भुगतान कर निरीक्षण कर सकेगा अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

4

विकास मिश्रा, कलेक्टर,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग**

नस्ती-क्र.-22-एल.ए.-2022-भू-अर्जन-प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23

खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः 'भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013' की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा- 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
01	02	03	04	05	06
खण्डवा	खण्डवा	चिचगोहन	2.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा	पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अनूप कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग**

क्र.-29-अ-82-22-23-भू-अर्जन-2022-10675

सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

प्ररूप-क  
(नियम 4 देखिये)

मौजा खैरा सलैया पट.ह.नं.-08 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राहतगढ़ 3- सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा नीखर वि.ख.राहतगढ़ 4- सचिव ग्राम पंचायत कनेरा नीखर वि.ख. राहतगढ़
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	खैरा सलैया
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.0784 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 197/1 मे से कुल रकबा 0.0784 हे0
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	0.0784 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर



क्र.-30-अ-82-22-23-भू-अर्जन-2022-10676

सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

प्ररूप-क  
(नियम 4 देखिये)

मौजा रंगोली पट.ह.नं.-104 तहसील सागर  
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3- सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली वि.ख.सागर 4- सचिव ग्राम पंचायत रंगोली वि.ख. सागर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	रंगोली
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	1.800 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 60, 74/2, 109/2, 110/1, 110/2, 123/2, 123/3, 294, 295, 296, 297, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 299, 300, 317/2, 362/2 रकवा क्रमशः 1.210, 0.810, 0.400, 0.010, 0.010, 0.400, 0.400, 0.110, 0.020, 0.074, 0.040, 0.030, .030, 0.030, 0.030, 0.080, 0.100, 0.020, 0.490, 0.330 हे. में से 0.060, 0.250, 0.060, 0.010, 0.010, 0.200, 0.200, 0.110, 0.020, 0.040, 0.040, 0.030, 0.030, 0.030, 0.080, 0.100, 0.020, 0.350, 0.130 कुल रकवा 1.800 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	1.800 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-000-22-23-अ-82-105

श्योपुर, दिनांक 3 जनवरी 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम सेहुला प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.86 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सेहुला प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

**अनुसूची**

**1. भूमि का वर्णन**

(क) जिला	श्योपुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	सेहुला
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.86 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	251/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.	71/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3.	72/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4.	70/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम भूमि स्वामी
			<b>योग</b>	<b>0.860</b>	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने, या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
- कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-0002-22-23-अ-82-107

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम फरारा प्र.ह.क्रं. 45 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फरारा प्र.ह.क्रं. 45 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

(क) जिला	श्योपुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	फरारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.180 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्रं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	412/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी
2.	417	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	रामचरण पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमिस्वामी
			योग	0.180	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोद जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
- कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित-सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-0003-22-23-अ-82-109

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 18.113 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

(क) जिला	श्योपुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	बिनेगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	18.113 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	326	भू-दान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470	जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि.बिनेगा भूदान भूमिस्वामी
2.	327/1	भू-दान कृषक	कृषि. भूमि	0.052	रामदयाल पुत्र स्तनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक
3.	327/2	भू-दान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.501	कुन्दन पुत्र सुखू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुखूजाति

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी
4.	330/2	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	1.095	गोपाल पुत्र कमलसिंह जाति रावत पता दाउद पुर भू-दान कृषक
5.	328	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.398	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक
6.	329/1	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	0.731	मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी
7.	334	भू-दान कृषक	कृषि भूमि	1.108	लखन पुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भूदान भूमिस्वामी मु. साबो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी कमला, गुडडी नावा. पुत्रीया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2समान भाग भूदान भूमिस्वामी
8.	307	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	हकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
9.	306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.386	हकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
10.	300/4	भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.585	तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति अोड पता बिनेगा भूमि स्वामीशासकीय पट्टे से
11.	300/6	भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से	कृषि भूमि	0.147	छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
12.	291	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.700	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
13.	335	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	गुलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पता विजयपुर भूमि स्वामी
14.	336	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.041	पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी
15.	298	भूदान	कृषि भूमि	0.481	राजेश पुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
		कृषक			बिनेगा भू-दान कृषक
16.	296	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.449	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
17.	292	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	चेऊराम पुत्र कुदेरी जाति गुर्जर पता बिनेगा भूमि स्वामी
18.	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
19.	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
20.	274/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा,वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
21.	274/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
22.	271/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	उम्मेदसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
23.	271/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.397	साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमला,गुड्डी ना.बा. पुत्रीयाँ ल्होरियासर माँखुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि
24.	270	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.156	उम्मेदसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
25.	255	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	उम्मेद सिंह,बद्री सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान

स. क्रं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					भाग भूमि स्वामी
26.	254	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	उम्मेद सिंह, बट्टी सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
27.	268	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
28.	267	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
29.	265	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.575	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी
30.	266/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी तेजसिंह)वालिंग (पिस्सूदोजा नावालिंग पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खो, हन्नी, भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
31.	266/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188	उम्मेदसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
32.	263	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.784	उम्मेद सिंह, बट्टी सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
33.	275	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.333	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी
34.	236/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	रणवीर, निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमि

स. क्रं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					स्वामी मंजेश बेवा हरचरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा.पुत्री हरचरण सर.माँ खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समाना 1/3 भाग भूमि स्वामी
35.	232	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.439	सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह, चिरोजी सुघरसिंह, लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2-समान भाग भूमि स्वामी
36.	200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.302	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
37.	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
38.	173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400	कुअरिराज पुत्र शंकर हि .3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि .2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
39.	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	कुअरिराज पुत्र शंकर हि .3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि .2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
40.	177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	सुल्तान अवतार पुत्र होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
41.	203	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	उम्मेद सिंह, बट्टी सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
42.	204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.324	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10



स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/13 भूमिस्वामी
43.	208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुधरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी
44.	209	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.449	विशम्भरदयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकड पता निवासी नेहरखेडा भूमि स्वामी
45.	184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	उम्मेदसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
46.	67/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि.सेहला भाग 2033/4065 भूमि स्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहला भाग 677/ 4065 भूमि स्वामी

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
47.	65/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.888	सतीशकुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग जाति वैश्य पता बिनेगा भूमिस्वामी
48.	85	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.805	चैहू पुत्र दुरजन जाति सेहरा पता बिनेगा भूमि स्वामी
49.	64/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता मन्जू लक्ष्मी पुत्रिया तेजसिंह जाति जाटव पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
50.	64/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.588	अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनेगा भूमिस्वामी
51.	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.141	हकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
			योग	18.113	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-0004-22-23-अ-82-111

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्यापुर में कुल 1.41 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्यापुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

(क) जिला	श्यापुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	नेहरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	1.41 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	नेतू, रामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीतासर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
2.	1207	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
3.	1208	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					ग्राम भूमि स्वामी
4.	1200	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग1/2करई पुत्री नारायण भाग1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
5.	1204	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार
6.	1039	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610	वंठन,महेश पुत्रगण नकट्ट जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नकट्ट जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी
			योग	1.410	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला इंदौर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-0005-22-23-अ-82-113

श्योपुर, दिनांक 4 जनवरी 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम धोबनी प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 8.101 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम धोबनी प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

(क) जिला	श्योपुर
(ख) तहसील	विजयपुर
(ग) ग्राम	धोबनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल	8.101 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति-का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	497/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	झाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि
2.	497/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3.	497/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4.	496	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.092	सज्जन,ओमी.दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी,लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान

स. क्रं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					भाग शासकीय पट्टेदार
5.	495/2	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.011	नथुआ, प्रहलाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौ प्रयागो, रामों पुत्रियां जादौ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
6.	495/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	जादौ पुत्र, चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी
7.	478	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी राजो बेवा मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6समान भाग भूमि स्वामी बाबूलाल,द्वारिका प्रसाद) बालिग,ओमप्रकाश ना.बा. पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6समान भाग भूमि स्वामी जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीकिसन)नाबालिग( पुत्र देवीरामसरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी
8.	517	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.283	सज्जन,ओमी.दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी,लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
9.	510	शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.136	जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी
10.	508/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	गयाबाई बेवा चिन्दू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11.	508/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	मु.चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी
12.	503	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण पता धोबिनी भूमि स्वामी
13.	646/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14.	646/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
15.	384	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमि स्वामी
16.	421	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.249	सुरेश कुमार कृष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17.	417	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.137	हरिजान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी कमला, लीला पुत्रियाँ सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबालिगपुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिगपुत्री रामचरण सर.माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु. कलावती बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमि स्वामी मुरारीपुत्र रामजीलाल मु. गयाबेवा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्द्र 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी
18.	36/2/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.742	प्रहलाद, रघुवरपुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समान भाग भूमि स्वामी
19.	471	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.251	पूरन, लखन, विजय, वीरेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी गिराज, अमरसिंह पुत्रगण जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गीता, जानकी, लीला, त्रिवेनी, पुत्रिया जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी बेवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी
20.	473	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.241	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
21.	480	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	चरण पुत्र कुडैरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी

स. क्रं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदार पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14
22.	485	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
23.	483	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
24.	484	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
25.	467/1	भूमिस्वामी शासकीय पट्टेदार	कृषि भूमि	0.363	कमरलाल,केलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा,रेखा पुत्रियां कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
26.	24/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.070	बैजन्ती बेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग 1/7 महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमि स्वामी
27.	24/4/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता



स. क्रं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भूमि स्वामी
28.	22/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	विनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता नि. धोबनी भूमि स्वामी
29.	486	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
30.	516	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.109	दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोबनी भू-स्वामी
31.	34/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.463	प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी
			योग	8.101	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष:-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग

पत्र क्र.-178-कले.-भू-अर्जन-2022

नर्मदापुरम, दिनांक 4 जनवरी 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक व सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम-जुझारपुर		तहसील-इटारसी		जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)			
		कुल रकवा	अर्जित रकवा		
1	निजी भूमि 1- पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना हेतु	1.035	0.056		
योग			0.056 हे०		

अनुसूची क्रमांक-2

(1) ग्राम रैसलपुर

क्र०	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	संतोष कुमार पिता राधेलाल निवासी ग्राम पथरौटा	323/2	1.035 हेक्टेयर	0.056 हेक्टेयर	निरंक
योग-			1.035 हेक्टेयर	0.056 हेक्टेयर	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-08-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-20

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जनवरी 2023

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पाल्हरी-बड़डाढाना-तिघरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी-बड़डाढाना-तिघरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम- तिघरा विशाला प0ह0न0-29 ब0न0-117 रा0नि0म0- चांद	1.रामसुरेश पिता रमेश जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2.हुकमसा पिता तुकाराम जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी 3.तुरकसां पिता भुरसा जाति गोंड निवासी ग्राम-बांकानागनपुर भूमिस्वामी	10/2 9/2 10/1 11/1 9/6 10/3 11/2	0.096 0.060 0.057	पाल्हरी- बड़डाढाना- तिघरा- बांकानागनपु र मार्ग लम्बाई 08. 50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के

		4.लोमस पिता डिमाकचंद जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	9/3 9/4	0.244	संबंध में
		5.तीरथराम पिता मुरसा जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	107/14 114/15	0.192	
		6.रतनिया पति साबुलाल जाति तेली निवासी ग्राम-चिखलीखुर्द भूमिस्वामी	113	0.057	
		7.सुरजू पिता कुंदन जाति. अहीर निवासी ग्राम-चिखलीखुर्द भूमिस्वामी	112/2	0.051	
		8.पंचू पिता पचकोडी जाति लोधी निवासी ग्राम-तिघरा चंपत भूमिस्वामी	111/1	0.016	
		9.बैसाकू पिता पचकोडी जाति लोधी निवासी ग्राम-तिघरा चंपत भूमिस्वामी	111/2	0.016	
		10.आदोराम पिता पचकोडी जाति लोधी निवासी ग्राम- भूमिस्वामी	111/3	0.016	
		11.उदेराम,सुरजू,सुरजन पिता कुंदन जाति अहीर निवासी ग्राम- भूमिस्वामी	110/1	0.028	
		<b>कुल योग</b>	<b>11</b>	<b>0.883</b> हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-96-भू-अर्जन-20-23

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-उभेगांव खजरी प0ह0न-43 ब.न.-19 रा.नि.मं. -छिंदवाड़ा	रकबा- 0.330 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क0-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-97-भू-अर्जन-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम0पी0एस0/31/1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-उमरहर प0ह0न-55 ब.न.-23 रा.नि.मं. -पिंडरईकला	रकबा- 0.075 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mpvenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- 3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क0-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी,  
भीकनगांव, जिला खारगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-159-भू-अर्जन-री-2023

भीकनगांव, दिनांक 6 जनवरी 2023

## प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 एवं 162 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपल्या, प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपल्या, प.ह.नं.- 17/76,	305	0.032
			304	0.027
			303	0.048
			302	0.050
			284/7	0.054

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— पिपल्या, प.ह.नं.— 17/76,	285	0.009
			297	0.008
			296/5	0.058
			290/3	0.035
			293	0.084
			291	0.030
			273	0.061
			69	0.077
			70	0.081
			72	0.130
			284/1	0.041
कुल योग			<b>16</b>	<b>0.825</b>

क्र.-161-भू-अर्जन-री-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14	41/1/2	0.049
			24/1/1	0.030
			38/1	0.066
			38/2	0.042
			29/2	0.057

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14	29/8	0.057
			29/3	0.032
			69/3	0.012
			72	0.042
			73	0.033
			81/1	0.021
			81/2	0.081
			82/1/1	0.023
			82/1/2	0.022
			82/3	0.033
			83	0.010
			84/2/1	0.024
			84/2/2	0.020
			84/1	0.016
		121/4	0.062	
119/3	0.020			
		कुल योग	<b>21</b>	<b>0.752</b>

क्र.-163-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-65 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98,	11/1/1	0.015
			12/1/1	
			11/4	0.012
			12/4	
			1/2	0.004
			9/1/5	0.035
1/3	0.020			

जिला	तहसील	ग्राम / पट्टावादी हज्जा क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के जिसे बर्जित की जाये वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनागाँव	ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 38/98	9/1/3	0.019
			1/4	0.018
			1/5	0.012
			9/1/6	0.010
			9/1/4	0.050
			7	0.040
			2/2	0.003
			9/1/2	0.045
			5	0.030
			4/4	0.030
			4/3	0.079
			4/2	0.020
			4/1/1	0.020
			4/1/2	0.012
	<b>कुल योग</b>	<b>19</b>	<b>0.424</b>	

क्र.-165-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 व 187 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89	158/2	0.097
			136	0.033
			135	0.021
			10	0.048
			134	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 3	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89	4	5
खरगोन	भीकनगांव		139	0.016
			140	0.018
			141	0.018
			142	0.020
			143	0.019
			144	0.033
			146	0.047
			147	0.023
			104/2	0.057
			100	0.028
			101/2	0.025
			101/4	0.030
			94	0.086
			93	0.080
			224	0.096
			228	0.022
			229	0.021
			230	0.049
			231	0.074
			11	0.025
9	0.089			
7	0.083			
2	0.056			
कुल योग			<b>28</b>	<b>1.224</b>



क्र.-167-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 व 289 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,	32/4	0.032
			32/5	0.022
			32/6	0.022
			31/1	0.009
			31/2	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,	31/3	0.040
			29/2	0.034
			29/1	0.046
			30/1	0.048
			183	0.026
			28/1/4	0.076
			187/5	0.030
			187/4	0.017
			187/3	0.016
			187/2	0.017
			187/1	0.046
			188/1	0.031
			196/1	0.020
			196/7	0.010
			196/5	0.036
			196/6	0.044
			196/4	0.036
			196/2	0.043
			196/3	0.011
			194/5	0.008
			194/6	0.003
			201/5	0.026
			201/4	0.020
			206/6	0.011
			206/1	0.002
			206/4	0.016
206/2	0.020			
206/3	0.048			
207/1/1	0.050			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,	207/1/2	0.004
			224	0.055
			225/4	0.038
			225/3	0.053
			225/2	0.048
			227/4	0.044
			229/3	0.035
			229/1	0.053
			229/2	0.009
			225/1	0.003
			357/4	0.011
			358/4	
			357/2	0.033
			358/2	
			357/5	0.005
			358/5	
			359/5	
			353/1	0.044
			353/2	0.024
			394/1	0.024
			394/2	0.059
			395/1	0.007
			32/3	0.040
			166	0.002
			165/1	0.022
			282/1	0.066
			281	0.024
			279/2	0.057
277/3	0.015			
278/2	0.013			
278/1	0.012			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मछलगांव प.ह.नं.— 34/96,	331	0.004			
			332/2	0.040			
			332/1	0.058			
			339/1	0.021			
			337/1	0.020			
			339/2/1	0.042			
			334/2	0.018			
			337/2	0.028			
			338/2	0.029			
			357/1 358/1 359/1	0.065			
			357/3 358/3 359/3	0.021			
			<b>कुल योग</b>			<b>72</b>	<b>2.079</b>

क्र.-169-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप-- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 45 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03, भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93	13	0.034
			12	0.004
			46/8	0.083
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93	46/4	0.011
			46/7	0.003
			44/3	0.166
<b>कुल योग</b>			<b>06</b>	<b>0.301</b>

क्र.-172-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 16 व 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58	76/7	0.030
			76/6	0.088
			78	0.050
			80/4	0.030
			81	0.080
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58,	80/3	0.056
			82/1	0.040
			83/3	0.020
			80/2/2	0.048
			80/1	0.075
			82/4	0.095
			83/1	0.040
			69/12	0.054
<b>कुल योग</b>			<b>13</b>	<b>0.706</b>

क्र.-174-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-विंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बुडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत साईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-132 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं.-65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस मूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं.- 65/109	221/1	0.050
			220	0.040
			225/3	0.005
			225/438/1	0.085
			227/1	0.060
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं.- 65/109	227/2	0.040
			227/3	0.035
			240/3	0.012
			240/4	0.018
			240/5	0.016
			240/7	0.006
			240/6	0.050
			253/3	0.016
			254/1/2	0.023
<b>कुल योग</b>			<b>14</b>	<b>0.456</b>

क्र.-176-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110	4/4	0.088
			5	0.032
			6	0.040
			41	0.110
			42	0.075
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110	43/2	0.062
			44/1	0.051
			44/2	0.050
			115	0.012
			45/1/1	0.012
			47/1/1	0.029
			47/5/1	0.012
			45/1/2	0.040
			47/5/2	0.024
			47/4	0.022
		46	0.049	
<b>कुल योग</b>			<b>15</b>	<b>0.696</b>



क्र.-179-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-22 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52 रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52	46/2/2	0.060
			47/2/2	
			46/1/2	0.074
			47/1/2	
			45/2/2/1	0.035
			45/2/4/1	0.028
45/2/2/2	0.033			
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52	45/2/4/2	0.025
			45/2/3/2	0.060
			45/1/2/2	0.020
			45/1/2/1/2	0.015
			33/1	0.060
<b>कुल योग</b>			<b>10</b>	<b>0.410</b>

क्र.-181-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बुडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमैन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 73 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,	216/1	0.050
			216/3	0.066
			169/1	0.125
			169/7	0.050
			169/2/2/2	0.020
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,	169/2/4/1	0.045
			169/2/3/1	0.040
			169/2/1	0.035
			169/13	0.094
			197	0.068
			210/1	0.088
			211/1/2	0.025
			236/2/2	0.038
			229/4	0.050
			229/5	0.025
			230/2/1	0.008
<b>कुल योग</b>			<b>16</b>	<b>0.827</b>

क्र.-185-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,	183	0.011
			177	0.020
			143/1	0.010
			134/2/1	0.030
			135/1 137/1	0.020
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,	135/2	0.035
			137/3	
			135/3	0.015
			137/3	
			136	0.024
			134/2/2	0.042
			141	0.030
140/1/1/1/1/2	0.030			
140/1/1/2	0.030			
<b>कुल योग</b>			<b>12</b>	<b>0.297</b>

क्र.-187-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख" [ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच मार्डनर पाईप नहर क्रमांक-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30 रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30	7/8/9/2	0.022
			7/8/9/3	0.022
			7/8/9/4	0.024
			7/8/9/5	0.005
			4/2/1	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30	4/2/2	0.028
			4/3	0.010
			4/4	0.060
			5/2	0.008
			5/6	0.008
			5/3	0.010
			5/4	0.010
			5/5	0.008
			5/7	0.008
			5/8	0.008
			5/9	0.010
			16/1/ग	0.072
			16/1/ख	0.030
			18/2	0.075
			17/1/2 17/2	0.002
			24/1	0.037
			24/5	0.103
<b>कुल योग</b>			<b>22</b>	<b>0.588</b>

क्र.-189-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-07 व 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53,	56/2	0.013
			66	0.010
<b>कुल योग</b>			<b>02</b>	<b>0.023</b>

क्र.-192-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- खारवी, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कांझर, प.ह.नं.- 33 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कांझर, प.ह.नं.- 33	565	0.035
			567	0.030
			733	0.061
			736	0.019
			753	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कांझर, प.ह.नं.— 33	612	0.069
			615/2	0.050
			654	0.055
			655	0.055
			615/4	0.060
			538	0.080
			539	0.043
			182	0.002
			537/1	0.069
			523	0.037
			522	0.056
			525	0.025
			516	0.030
			514	0.056
			513	0.025
			512	0.024
			502	0.024
			501	0.034
			500	0.076
			495	0.091
			489	0.080
			486	0.076
			478	0.045
			675	0.060
			679	0.089
			59	0.004
58	0.116			
10	0.010			
11	0.027			
12	0.028			
13	0.028			
55	0.071			
33	0.050			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कांझर, प.ह.नं.- 33	34/1	0.022
			35	0.042
			42	0.022
			187	0.070
			347	0.039
			359/1	0.005
			344	0.031
			343	0.083
			361/1	0.066
			362	0.063
			338/1	0.042
			337/1	0.013
			338/3	0.003
			34/2	0.022
			338/2	0.042
			236	0.215
			239	0.095
			238	0.062
			246	0.079
			249	0.026
			250	0.027
260	0.029			
259	0.004			
261	0.023			
258/3	0.048			
		<b>कुल योग</b>	<b>63</b>	<b>2.970</b>

क्र.-193-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59, 187 व 189 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- घोड़वा प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- घोड़वा प.ह.नं.- 10/89	277	0.007
			46	0.032
			45	0.032
			36	0.064
			37	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- घोड़वा प.ह.नं.- 10/89,	32	0.046
			31	0.010
			20	0.010
			76	0.082
			19	0.053
			18	0.019
			17	0.029
			23/2	0.008
			2/5	0.033
			2/4	0.046
			2/3	0.023
			271	0.042
			272	0.007
			266	0.016
			265	0.018
			264	0.014
			117	0.018
			263	0.002
			115	0.040
			276	0.069
			116	0.018
			113	0.026
			112	0.030
			111	0.047
105	0.023			
104	0.035			
103	0.014			
100	0.007			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— घोड़वा प.ह.नं.— 10/89,	55/2	0.003
			56	0.009
			57	0.110
			70	0.023
			71	0.010
			72	0.042
			77	0.019
			79	0.085
			90	0.081
			88/1	0.019
			92/1	0.106
			236	0.100
			<b>कुल योग</b>	

क्र.-195-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी प.ह.नं.- 29, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29	26 / 23	0.096
			26 / 22	0.039
			26 / 21	0.075
			38 / 2 / 1 / 1	0.030
			39 / 12	0.082
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29	92 / 15	0.066
			87 / 2 89 / 1	0.032
कुल योग			7	0.420

क्र.-197-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-80 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98,	159/1/1	0.035
			159/2/1	
			159/1/2	0.020
			159/1/2	
			159/1/3	0.016
			159/2/3	
159/1/5	0.017			
159/2/5				

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98,	159/3/1	0.039
			159/3/2	0.033
			159/4	0.018
			160/3	0.061
			160/1/2	0.012
			184/2/2	0.022
			160/2	0.014
			185/2/1	0.019
			184/6	0.028
			185/1/1	0.020
			185/1/2	0.008
			184/5	0.019
			184/7	0.044
			182/5/1	0.050
			182/3	0.085
			203	0.029
			204/1/1	0.040
			204/2	0.025
			222/1/1	0.030
			222/1/2	0.016
			222/4	0.047
			222/2	0.002
			225	0.020
			224	0.011
			226	0.011
			227	0.026
			228	0.010
			229/2	
334/3				
336/3				
334/2				
<b>कुल योग</b>			<b>31</b>	<b>0.827</b>

क्र.-199-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 तथा ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 86 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101	488/2	0.038
			488/3	0.031
			488/4	0.037
			490	0.120
			499/2	0.023



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101	499/3	0.019
			499/1	0.046
			501/2	0.048
			517	0.083
			7	0.116
			3/3	0.120
			1/2/2	0.015
			1/3	0.019
			1/5	0.130
			1/4	0.005
<b>कुल योग</b>			<b>15</b>	<b>0.850</b>

क्र.-201-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 14, 66 व 169 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-पलासी, प.ह.नं.- 65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65/109	38/1	0.020
			40/1/1	0.033
			40/1/2	0.033
			40/2	0.018
			43/2	0.045

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65/109	43/1	0.032
			23/6	0.049
			23/7	0.028
			23/8	0.028
			23/9	0.030
			29 174/8	0.027
			175/8	0.011
			175/7	0.012
			175/6/2	0.014
			175/9	0.016
			175/6/1	0.024
			175/5	0.018
			175/3	0.013
			175/2	0.017
			175/1	0.018
			175/4	0.012
			173/2	0.003
			204/3	0.027
			337/3	0.010
			337/4	0.043
			339	0.103
			340/2	0.006
			361/1	0.003
			360/1	0.005
			361/2	0.068
			362/1 362/2	0.039
364	0.023			
363/3	0.015			
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65/109	379/3	0.007
			379/4	0.006
			379/5	0.031
			386	0.035
			385/2	0.003
			387/2	0.068
			388/2	0.031
			388/3	0.032
21/2	0.010			
<b>कुल योग</b>			<b>42</b>	<b>1.066</b>

क्र.-203-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 59 व 67 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मनोहरपुरा, प.ह.नं.-10/89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मनोहरपुरा, प.ह.नं. -10/89	27/2	0.052
			27/5	0.014
			27/3	0.054
			36/2	0.095
			35	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मनोहरपुरा, प.ह.नं. —10/89	39/1/1	0.059
			39/1/2	0.012
			21/1	0.044
			41/1	0.025
			41/2	0.024
			16/1/1	0.003
			78/1	0.074
			77/2	0.005
			45/13	0.015
			45/14	0.035
			45/21	0.024
			45/16	0.023
			45/17	0.068
			45/19	0.020
			49	0.038
			22/1	0.018
			6/7	0.027
			6/6	0.022
			6/3	0.002
			7/1	0.003
			6/5	0.032
			6/4	0.042
			7/2	0.048
9	0.096			
12/5	0.008			
12/1/1	0.008			
<b>कुल योग</b>			<b>31</b>	<b>0.995</b>

क्र.-205-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-67 व 116 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,	337	0.047
			338/1/1	0.005
			339	0.037
			340	0.042
			341	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,	446	0.017
			344	0.280
			353	0.033
			351	0.018
			355	0.008
			354/2	0.042
			359	0.023
			356	0.019
			357	0.013
			358	0.019
			361	0.047
			411	0.016
			412	0.020
			413/1	0.017
			414/1	0.055
			421	0.018
			425	0.046
			426	0.055
			427	0.044
			428	0.047
452	0.237			
<b>कुल योग</b>			<b>26</b>	<b>1.229</b>

क्र.-207-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-03 एवं 04 की त्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 106 व 116 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76,	6	0.040
			2/7	0.020
			2/6	0.086
			1/6/1	0.102
			1/3/2	0.138
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.- 17/76,	1/5	0.002
			1/7	0.002
			1/9	0.036
			1/8	0.040
			1/10	0.041
			1/4/2	0.035
			192/3	0.019
<b>कुल योग</b>			<b>12</b>	<b>0.561</b>



क्र.-210-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 एवं 132 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोविन्दपुरा, प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में संक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (सजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- गोविन्दपुरा, प.ह.नं.- 64/108	9/2	0.048
			9/1/4	0.023
			9/1/3	0.063
			11/2/1/1	0.021
			11/2/2/2	0.030
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- गोविन्दपुरा, प.ह.नं.- 64/108	14/2/1	0.005
			14/2/2/1	0.047
			14/2/3	0.069
			22/1	0.017
			22/2	0.034
			20/2/1	0.028
			20/2/2	0.031
			2/1	0.037
<b>कुल योग</b>			<b>13</b>	<b>0.453</b>

क्र.-212-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-विंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टैल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-289 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धोबीखोदरा, प.ह.नं.- 41, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- धोबीखोदरा, प.ह.नं.- 41,	106	0.033
			107	0.020
			189	0.054
			188	0.044
			178	0.084
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- धोबीखोदरा, प.ह.नं.- 41,	177	0.078
			175	0.022
			278	0.022
			408	0.002
			403	0.021
			401	0.069
			399	0.019
			398/1	0.035
398/2	0.022			
<b>कुल योग</b>			<b>14</b>	<b>0.525</b>

क्र.-214-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-विजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दोडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- पालडी, प.ह.नं.- 32, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पालडी, प.ह.नं.- 32	52/1	0.050
			52/2	0.011
			60/1	0.020
			60/2	0.020
			58	0.013
			59	0.010
			70/3	0.018
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पालडी, प.ह.नं.- 32	69/3	0.007
			69/4	0.052
			23/3/9	0.032
			23/2	0.028
			23/3/7	0.035
			23/3/6	0.007
			28	0.041
			30/1	0.074
			24/5/2	0.024
			24/5/1	0.032
			11/4	0.042
			10/2	0.016
			कुल योग	

क्र.-216-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 34/94, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 34/94 खरगोन	64/4	0.088
			73	0.018
			74/1	0.043
			77/1	0.005
			71/1	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— एकतासा प.ह.नं.— 34/94	71/2	0.036
			70/3	0.028
			70/4	0.029
			87/1	0.009
			87/2	0.050
			85	0.021
			86/5	0.030
			86/1	0.009
			86/3	0.037
			86/4	0.002
			281	0.018
			303	0.047
			305	0.056
			307/1/3	0.026
			307/2	0.046
			352/2	0.084
			349	0.028
			356/2	0.010
			356/3	0.028
			356/4	0.012
			356/5/1	0.038
			356/6	0.009
			356/7	0.014
			346/1	0.023
			346/2	0.029
			343/1	0.024
346/3	0.010			
345/2	0.015			
342/1	0.004			
342/2	0.030			

			340/2	0.024
			340/1/2	0.051
			356/8	0.003
			340/1/1	0.023
			333/1	0.024
			333/3	0.028
			332/1	0.014
			430/1/2	0.035
			430/4	0.049
			430/3/1	0.020
			430/3/2	0.026
			430/3/3	0.018
			430/3/4	0.018
			430/1/1	0.004
		<b>कुल योग</b>	<b>49</b>	<b>1.331</b>

क्र.-218-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 01, 22, 52, 77 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,	43/1/1	0.088
			43/1/2	0.020
			37/3	0.050
			37/4	0.004
			41/4	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला खालसा पं.ह.नं.- 44,	41/1	0.074
			41/3	0.004
			41/2	0.004
			41/5	0.004
			41/6	0.004
			41/7	0.004
			80/3/1	0.066
			80/7	0.037
			80/6	0.014
			80/10	0.040
			80/5	0.021
			81/1/2	0.020
			81/5	0.060
			81/3	0.035
			81/2	0.039
			24/11	0.098
			24/12	0.002
			24/10	0.005
			83/1	0.028
			83/2	0.020
			83/4	0.025
			83/6	0.027
			83/7	0.072
			83/3	0.050
			83/5	0.025
			94/1	0.065
94/2/1	0.070			
94/2/2	0.033			
102/3/1/1	0.020			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— कोदला खालसा प.ह.नं.— 44,	102/3/1/2	0.020
			99/3	0.072
			103/9/2	0.045
			106/2/2/1 111/2	0.039
			106/2/1 111/1	0.066
			110/1	0.050
			110/2	0.053
			107/4	0.038
			107/3	0.055
			108/1/1	0.043
			128/1	0.055
			128/3/2	0.027
			128/4	0.027
			128/5	0.028
			124/1/3	0.064
			124/2/1	0.010
			138/5	0.015
			140/7	0.053
			139/1	0.016
			164	0.010
			43/10	0.028
			43/2	0.026
			43/3	0.016
			37/6	0.030
37/7	0.031			
36/167/5	0.010			
37/1	0.068			
38/3	0.020			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,	38/2	0.052
			38/4	0.015
			38/1	0.018
			26/3	0.068
			26/4	0.004
			34/1	0.014
			29/1	0.020
			29/2	0.020
			29/3	0.020
			29/4	0.017
			29/5	0.032
			8/1	0.026
			8/4	0.026
			9	0.109
			3/2	0.022
			3/1	0.041
			4/4	0.010
			4/3	0.026
			4/2	0.005
			2/1/2	0.024
			2/1/3	0.028
			2/1/1	0.057
			92/3/1	0.042
			92/2/2/3 95/5/2	0.022
			92/3/2	0.022
			92/2/2/1 95/5/2	0.022
92/2/3/1	0.025			
92/2/3/2	0.025			
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,	92/2 95/2 95/3/2	0.020
			92/2/2 95/3/1	0.018
			89/2/1 90 91 92/1 95/1	0.025
			89/3	0.027
			89/1	0.020
			89/5	0.021
			89/4	0.022
			<b>कुल योग</b>	

क्र.-220-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29	95/1	0.094
			95/2	0.031
			95/3	0.058
			38/1/2	0.027
			38/1/6	0.078
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29	38/1/7	0.052
			278	0.026
			22/3	0.049
			22/4	0.010
			22/5	0.063
			281/2	0.033
			274/6	0.040
			274/7	0.041
		274/8	0.050	
		कुल योग	16	0.652

क्र.-222-भू-अर्जन-री-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पाडल्या प.ह.नं.- 28 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम पाडल्या, प.ह.नं.- 28	226	0.030
			224/18	0.008
			224/12	0.002
			223/1	0.041
			222/1	0.033
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-पाडल्या, प.ह.नं.- 28	234/7	0.030
			221/4	0.011
			221/2	0.017
			234/9	0.021
			237	0.130
		कुल योग	10	0.323

क्र.-224-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम- बड़िया, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- अमनखेड़ी, प.ह.नं.- 30 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अमनखेड़ी, प.ह.नं.- 30	49/4	0.066
			53/3	0.103
			53/2	0.057
			56/4	0.051
			56/1/2/क	0.026
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अमनखेड़ी, प.ह.नं.- 30	56/2/क	0.029
			56/2/ख	0.026
			56/3	0.040
		कुल योग	08	0.398

क्र.-226-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दौड़वा प.ह.नं.- 13 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम दौड़वा, प.ह.नं.- 13	34/5/5	0.031
			48/1	0.030
			48/2	0.036
			48/3	0.036
			48/4	0.041

दिनांक 20

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			48/5	0.105
			49/1/2	0.122
			49/850	0.032
			51/2	0.022
			51/1	0.048
			51/3	0.026
			51/6	0.038
			349/1	0.051
			349/2	0.018
			350/3	0.048
			361/3	0.043
			415/2	0.023
			364/2	0.076
			366/1/1	0.058
			366/1/2	0.003
			374	0.060
			376/877	0.009
			375/1	0.074
			376	
			377/5	0.011
			377/6	0.026
			377/8	0.024
			377/9	0.056
			377	
			412	0.033
			606/1	0.055
			606/2	0.064
			606/3	0.066
			607	0.004
			693/1/1	0.058
			693/2/1	0.010
			693/2/2	0.034
			693/2/4	0.058
			693/3/2	0.068
			695/3/2	0.032

			702/11	0.020
			703/3	0.050
			703/4	0.010
			703/5	0.020
			703/6	0.020
			703/7	0.014
			705/1/1/2	0.014
			705/1/1/3	0.060 -
			705/1/2	0.022
			705/2	0.043
			711/2	0.066
			711/3/2	0.003
			711/3/3	0.018
			712/1/4	0.021
			713/1/3	0.065
			715/1	0.126
			719/1/1	0.012
			715/2/5	0.002
			715/2/6	0.036
			716/1	0.003
			716/2	0.023
		<b>कुल योग</b>	<b>62</b>	<b>2.277</b>



क्र.-228-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आस0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु खोलवा, प.ह.नं.- 28 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम खोलवा, प.ह.नं.- 28	119	0.003
			118	0.002
			99/5	0.038
			99/6	0.040
			99/7	0.044
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-खोलवा, प.ह.नं.- 28	133/4	0.024
			133/6	0.026
			133/5	0.024
			133/7	0.028
			107/2	0.058
			106/1	0.012
			106/2	0.074
			106/3	0.002
			105/1	0.055
			105/2	0.002
			112/2	0.050
		कुल योग	16	0.482

क्र.-230-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगनेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पोखर बुजुर्ग, प.ह.नं.- 32 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम पोखर बुजुर्ग, प.ह.नं.- 32	5/1/1	0.024
			4	0.046
			11/3	0.069
			12	0.037
			346/1/9	0.030
			346/1/10	0.026
			335/1	0.062
			335/2	0.126
			336	0.112
			326	0.020
			327	0.039
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-पोखर बुजुर्ग, प.ह.नं.- 32	325	0.084
			333/2	0.037
			334/2	0.012
			338/3	0.062
			338/2	0.004
			338/1	0.052
			340/1	0.054
			340/2	0.078
			346/1/1	0.027
			10/1	0.032
		कुल योग	21	1.033

क्र.-232-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लालखेडा, प.ह.नं.- 40 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लालखेडा, प. ह.नं.- 40	126/5	0.026
			126/4	0.010
			126/3	0.002
			127/2/2	0.032
			127/1/3	0.037

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— लालखेडा, प. ह.नं.— 40	127/1/2	0.039
			127/1/1/1	0.030
			127/1/1/2	0.080
			122/1/4	0.032
			121/1	0.008
			121/2	0.055
			120/2	0.007
			112/2	0.046
			113/2	0.063
			96	0.078
			97/2/1/3	0.016
			97/2/1/4	0.045
			4/2	0.009
			112/1	0.014
			<b>कुल योग</b>	<b>19</b>

क्र.-234-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बोरगांव, प.ह. नं.- 12	81/2/1	0.010
			81/2/2	0.020
			81/3	0.016
			107/1/4	0.036
			111/2	0.041

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12	111/3	0.002
			127/1/1	0.003
			127/1/2	0.007
			128/5	0.004
			168/11	0.004
			168/12	0.026
			168/13	0.010
			128/6	0.011
			128/7	0.009
			128/8	0.008
			134/2	0.004
			134/3	0.007
			134/4	0.007
			135/1/1	0.004
			135/1/2/2	0.009
			135/2	0.007
			136/1	0.008
			136/2	0.007
			137/2	0.020
			137/3	0.022
			137/7	0.024
			163/7	0.026
			163/9	0.012
			163/10	0.009
			163/11	0.018
			386/2	0.024
			386/5	0.014
			388	0.006
			389	0.013
			390/1	0.023
			390/2/1/2	0.010
			390/2/1/1	0.010
			390/2/2/1	0.013
412	0.019			
		<b>कुल योग</b>	<b>33</b>	<b>0.522</b>

क्र.-236-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 01, 28, 58 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.-60/104, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.-60/104	10/2	0.025
			12/2	0.025
			10/1	0.055
			13	0.095
			15 16	0.045

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं. -60/104	17/2	0.120
			17/1	0.015
			23/1	0.025
			23/2	0.063
			23/3	0.063
			26/7	0.025
			26/5	0.005
			26/10	0.010
			27/1	0.065
			73/1	0.130
			74	0.075
			5/1	0.070
			7/1	0.005
			6/2	0.068
			3/6	0.040
			17/4/1/1	0.033
			17/4/1/4	0.033
			20/1	0.054
			20/2	0.054
			20/3	0.024
			30	0.138
			67/4	0.025
			62/1	0.054
			63/5/1	0.030
63/4	0.030			
63/3	0.020			
63/2/1	0.030			
63/1	0.008			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं. -60/104	61/5/2	0.008
			61/4	0.008
			61/1/1	0.050
			151	0.020
			235	0.030
			236/1/9	0.060
			236/1/6	0.045
			236/1/7	0.055
			236/1/10	0.010
			236/1/5	0.010
			236/1/11	0.010
			236/1/12	0.010
			47/1/1	0.063
			47/6/1	0.035
			46/1	0.075
			260	0.015
			49/1	0.053
			50/2	0.015
49/2	0.010			
50/1	0.040			
<b>कुल योग</b>			<b>53</b>	<b>2.179</b>

क्र.-238-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- खारवी, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सिराली, प.ह. नं.- 16	23	0.005
			29/2/1	0.010
			30	0.056
			24/1	0.073
			29/1	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सिराली, प.ह.नं.— 16	29/2/2	0.010
			24/2	0.036
			29/3	0.014
			51/2	0.017
			51/5	0.012
			264/3	
			51/7	0.028
			264/5	
			52/2	0.027
			51/3	0.020
			52/1	0.025
			51/4	0.016
			264/2	
			51/8	0.032
			264/6	
			51/6	0.024
			264/4	
			52/3	0.015
			264/9	0.028
			232/2/2	0.114
			224	0.024
			225	0.016
			232/1/1	0.048
233	0.030			
234	0.038			
230	0.080			
215	0.053			
136	0.032			
147	0.008			
144	0.012			
143/1	0.003			
142/2	0.011			
143/2	0.007			

खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16	142/1	0.012
			115	0.014
			116/1/1 116/2	0.032
			116/1/2	0.036
			119/2 119/4	0.030
			118	0.047
			119/1	0.034
			109/1/1/1	0.050
			109/1/1/2	0.023
			439/1/3	0.041
			439/1/1	0.018
			445/2	0.062
			443/2	0.034
			445/1	0.063
			447	0.025
			446/1	0.088
			446/2	0.003
			316/2	0.030
			317	0.055
		346	0.058	
353/1	0.005			
372/1	0.077			
373/1	0.015			
	<b>कुल योग</b>	<b>55</b>	<b>1.802</b>	

क्र.-240-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बोरूठ, प.ह.नं.- 10 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम बोरूठ, प.ह.नं.- 10	181	0.009
			180	0.044
			179	0.044
			57	0.054
			55	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-बोरूठ, प.ह.नं.- 10	56	0.010
			60	0.010
			61/1	0.024
			61/2	0.024
			47	0.003
			44	0.019
			40	0.029
			41	0.016
			34	0.002
			65	0.041
			66	0.081
			33	0.098
			67	0.060
			68	0.052
			69	0.004
			93	0.153
			77	0.032
			82	0.018
			83	0.056
			81	0.026
			80	0.016
			32	0.094
			31	0.004
			3	0.242
			10/1	0.003
			9	0.020
8	0.034			
345	0.036			
		<b>कुल योग</b>	<b>33</b>	<b>1.368</b>

क्र.-242-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.- 64/108	33/1	0.010
			33/2/1	
33/2/2				
33/3/3				
			33/4/1	0.037
			33/1/5	
			33/4/4	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सुल्तानपुरा प.ह.नं.— 64 / 108	33/1/2	0.005
			33/2/1	
			33/2/2	
			33/3/3	
			33/4/2	
			33/1/3	0.013
			33/2/1	
			33/2/2	
			33/3	0.014
			33/1/4	
			33/4/3	
			33/1/6	0.011
			33/2/1	
			33/2/3	
			33/3	
33/4	0.049			
33/1/7				
33/2/1				
33/2/3				
33/3				
33/4	0.029			
34/10				
34/8	0.013			
34/6	0.033			
34/5	0.012			
34/11	0.030			
34/1/1/1/1	0.013			
34/1/1/2/1	0.012			
34/1/1/1/2	0.014			
34/1/1/2/1	0.013			
34/1/1/3/2	0.032			
34/1/1/घ	0.045			
34/1/1/ङ	0.034			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सुल्तानपुरा प.ह.नं.— 64 / 108	28/1/1/2	0.063
			28/1/2/2	
			51/2/7	0.011
			51/2/8	0.018
			51/2/6	0.018
			51/2/1	0.019
			51/2/5	0.025
			51/2/4	0.021
			51/2/3	0.024
			51/2/2	0.015
			51/8	0.012
			52	0.058
			71/3	0.052
			73/क 74/2	0.025
			114	0.050
			96/3	0.053
96/1/1	0.102			
94/3	0.080			
<b>कुल योग</b>			<b>34</b>	<b>1.065</b>

क्र.-244-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बंझर प.ह.नं.- 37 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम बंझर, प.ह.नं.- 37	1/1	0.065
			1/2	0.060
			1/3	0.040
			1/4	0.070
			1/5	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-बंझर, प. ह.नं.- 37	4/1	0.025
			7/4	0.100
			4/2 4/3/1 4/3/2 4/4	0.100
			43/3	0.060
			44/3/1	0.040
			46/18	0.025
			9/4	0.030
			25/19	0.035
			7/2	0.005
			46/19	0.035
			48/3 49/5	0.215
			47/1	0.040
			109	0.015
			110/1	0.205
			38	0.020
			104/4	0.020
			111/4	0.060
			111/3	0.070
			148/4	0.025
			146 155	0.070
			154/2	0.025
			158/1	0.030
			158/2	0.030
			160	0.030
			162/1	0.060
			9/2	0.040
			25/17	0.020
25/6	0.095			
303/1/1	0.045			
298/6	0.050			

			302/1	0.013
			307/1	0.030
			302/2	0.048
			303/3	0.030
			304/6	0.030
			319/3	0.020
			319/1	0.020
			319/2	0.080
			324/1/1	0.180
			326	0.180
			328	0.180
			444	0.025
			445/1/1	0.010
			393	0.025
			436/1/1	0.035
			436/4	0.040
			436/5	0.025
			436/6	0.070
			436/7	0.060
			433/1/1	0.060
			433/4	0.065
			433/2	0.130
			589/4	0.015
			589/1	0.070
			327/1	0.065
			399	0.050
			394	0.020
			9/3	0.025
			10/7	0.040
			31/3	0.030
			31/2	0.030
			31/1	0.025
			30/4	0.020
			30/2	0.025
			30/1	0.010
			28/2	0.030
			28/4	0.055
			28/3/2	0.060
			28/3/3	0.025
			28/3/1	0.025
			298/5	0.014
			391	0.020

			389	0.020
			390/1	0.005
			388	0.030
			387/1	0.030
			385	0.060
			106/7	0.035
			92/1	0.060
			109	0.040
			110/2	0.050
			154/1	0.040
			159/2	0.050
			25/18	0.010
			25/19	0.020
			440/1	0.030
			441/1	0.030
		कुल योग	<b>88</b>	<b>3.975</b>

क्र.-248-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- साईंखेड़ी, प.ह.नं.- 45 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- साईंखेड़ी, प.ह. नं.- 45	51/1	0.042
			51/2	0.050
			51/3	0.043
			52/10	0.016
			52/9	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— साईंखेड़ी, प.ह. नं.— 45	52/8	0.011
			52/7	0.014
			52/6	0.033
			52/5	0.021
			52/4/1	0.014
			52/2	0.028
			52/4/2	0.014
			52/3	0.024
			52/1	0.024
			129/2	0.014
			130/2	
			129/1/1	0.052
			130/1/1	0.073
			129/1/3/2/1	0.063
			128/10	0.006
			128/15	0.006
			128/11	0.008
			128/12	0.007
			128/16	0.008
			128/14	0.007
			127	0.030
			124/1	0.025
			124/3	0.026
			124/4	0.028
			121/6	0.014
			121/5	0.010
			121/4/1	0.014
			121/4/2	0.004
			121/3	0.023
			121/2/1	0.009
			121/2/2	0.008
			121/2/3	0.008
121/1	0.033			
120	0.026			
119/2	0.020			
119/1	0.004			
118/1	0.036			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— साईंखेड़ी, प.ह. नं.— 45	118/2	0.012
			117/2/1	0.002
			201	0.004
			110	0.008
			207	0.022
			109/2	0.027
			208	0.039
			109/1	0.025
			107/1/3	0.044
			107/1/2	0.045
			107/4	0.010
			107/3	0.013
			107/2	0.013
			105/2	0.070
			103/1/2	0.135
			101/7	0.025
			101/9	0.021
			101/6	0.034
			102/7	
			101/8	0.020
			349/5	0.065
			349/4	0.046
			349/3	0.055
			349/2	0.041
			349/11	0.014
			349/10	0.023
			349/9	0.048
			349/3	0.020
			392/1	0.109
			389	0.086
388/3	0.039			
388/2	0.034			
388/1	0.036			
354/6	0.026			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— साईखेड़ी, प.ह. नं.— 45	354/5	0.034
			354/4	0.029
			354/3	0.025
			378/1	0.079
			378/2	0.020
			357/5	0.077
			357/4	0.022
			362/8	0.031
			255/1	0.014
			255/4	0.019
			255/3	0.020
			255/2	0.018
			390/1	0.063
			390/3	0.063
			386/10	0.051
			386/9	0.022
			386/8	0.042
			384/4	0.004
			36/3	0.010
			36/6	0.050
			36/4	0.060
			36/7	0.015
			36/1	0.055
37/1	0.060			
38/2	0.032			
		<b>कुल योग</b>	<b>110</b>	<b>3.036</b>

क्र.-250-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आखापुरा, प.ह.नं.- 18 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- आखापुरा, प.ह.नं.- 18	12/1	0.042
			13/3	0.020
			13/2	0.053
			13/1/3	0.053
			13/1/2	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- आखापुरा, प.ह.नं.- 18	13/4	0.018
			13/1/4	0.018
			68/1/3	0.035
			66, 68 /2	0.003
			64	0.018
			63/1	0.055
			63/2	0.040
			62	0.014
			54	0.014
			60	0.019
			58/1	0.045
			59/1	0.019
			59/2	0.079
			79/2	0.010
			79/8	0.024
			93/1/1	0.038
			93/1/2	0.043
			93/2	0.002
			92/3	0.020
			92/4	0.050
		92/2	0.005	
92/6	0.057			
92/1	0.034			
		<b>कुल योग</b>	<b>28</b>	<b>0.857</b>

क्र.-268-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-66 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95,	17/2	0.026
			17/3	0.026
			16	0.039
			19/2	0.032
			20/2/1	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— पुनासला, प.ह.नं.— 19/95,	20/1/3	0.039
			392/1	0.085
			392/2	0.020
			393/1	0.029
			396/1/2	0.043
			397/1/3	0.025
			407/1/1	0.034
			407/1/2	0.028
			413/2/2	0.025
			489	0.074
			499	0.034
			407/1/3	0.006
			413/2/1	0.031
			397/3	0.049
			397/1/2	0.041
413/1/1/2	0.042			
<b>कुल योग</b>			<b>21</b>	<b>0.740</b>

क्र.-270-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 84 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,	31/1	0.025
			30	0.028
			29/3	0.028
			87	0.028
			88	0.026
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,	89	0.032
			90/2	0.055
			90/1	0.062
			94	0.020
<b>कुल योग</b>			<b>09</b>	<b>0.304</b>

क्र.-272-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-05 से टेल, तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बैढान्या बुजुर्ग प.ह.नं.- 92 तह0 झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम बैढान्या बुजुर्ग प.ह.नं.- 92	79/2	0.053
			72/82/8 3/3	0.033
			84	0.010
			85	0.090
			87/1	0.100

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम बैढान्या बुजुर्ग प.ह.नं.- 92	90/1	0.035
			91/1/2	0.030
			91/1/3	0.010
			91/1/4	0.030
			96	0.052
			95/3	0.014
			95/2	0.040
			94/2	0.030
			94/1	0.040
			30	0.042
			29/2	0.030
			29/7	0.006
			29/13	0.006
			29/9	0.006
			29/1	0.006
			31/1	0.150
			29/6	0.006
			31/2	0.030
			32	
			38/1	0.028
			39/1/2	0.008
			37/1	0.015
			37/2/2	0.008
			37/2/1/1	0.012
			34	
			35	0.175
			36	
		कुल योग	29	1.095



क्र.-274-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15	22/3	0.009
			23/3	0.010
			24/4/1	0.078
			24/4/2	0.051
			25/4/2	0.051
			26/1	0.045

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्धया	ग्राम— खोई, प.ह.नं.— 15	26/2	0.007
			37/3	0.041
			35/1	0.061
			32/5	0.038
			33/5	
			34/5	
			32/6/2	0.029
			31/2	0.048
			29/1	0.032
			30/1	
			44/3	0.024
			47	
			176/1	0.060
			176/2	0.045
			176/5	0.021
176/4	0.061			
176/3	0.043			
177/2/1	0.090			
177/1				
कुल योग			<b>19</b>	<b>0.793</b>

क्र.-276-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-234 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40,	154/1/4	0.062
			152/2	0.040
			153/3	0.040
			153/4	0.030
			153/5	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— बलखड़, प.ह.नं.— 40,	153/6	0.016
			153/7	0.010
			157/1/2	0.050
			157/1/1	0.045
			166	0.080
			165/1	0.104
			178/1/3	0.073
			178/2	0.045
			178/3	0.045
			177	0.023
			179/1/1	0.010
			179/1/2	0.060
			183/194	0.041
			179/3	0.051
			193/2/2	0.049
180/4/1	0.049			
180/2	0.030			
कुल योग			<b>21</b>	<b>0.934</b>

क्र.-278-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-234 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बायखेड़ा प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- बायखेड़ा प.ह.नं.- 40	10/4/1/1/1	0.074
<b>कुल योग</b>			<b>01</b>	<b>0.074</b>

क्र.-280-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35	247/1/1	0.012
			247/1/3	0.027
			247/1/2	0.039
			247/2	0.048
			249/1	0.028
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35	249/2	0.036
			251	0.126
			252/1	0.016
			190/1/1	0.025
			255/1	0.109
			257	0.013
			259/4	0.112
			270/4/1	0.025
			270/4/2	0.003
			280/3	0.136
<b>कुल योग</b>			<b>15</b>	<b>0.755</b>

क्र.-246-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम-दौडवा, तह0- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05, 45, 53 76, 85, 87 एवं 104 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम :-दौडवा, प.ह.नं. 92, तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम :-दौडवा, प.ह.नं. 92	361/3	0.155
			361/1/1	0.049
			362/3	0.021
			362/2	0.020
			362/1	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	<u>ग्राम</u> <u>:-दौडवा,</u> <u>प.ह.नं. 92</u>	361/2	0.032
			359/2	0.048
			359/1	0.009
			359/4	0.008
			358/1	0.038
			358/2	0.034
			336/1	0.086
			320	0.012
			328/870/2	0.004
			323	0.003
			322/1	0.008
			322/2	0.008
			298	0.006
			299	0.004
			292/6	0.028
			292/1	0.020
			292/4	0.020
			292/3	0.026
			292/2	0.038
			225/1	0.032
			226	0.097
			216/866	0.060
			216	0.052
405	0.020			
374	0.044			
373/3/1	0.046			
373/3/2	0.077			
352/2	0.058			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	<u>ग्राम</u> <u>:-दौडवा,</u> <u>प.ह.नं. 92</u>	352/3	0.015
			338/1/1/2	0.069
			<u>338/1/1/1</u> 2	0.074
			80/4	0.007
			80/2/2	0.086
			164/1	0.052
			164/2	0.044
			164/3	0.017
			165	0.011
			163/1	0.049
			178/1/2	0.018
			178/1/1	0.033
			703/3	0.013
			605/1	0.040
			604/2	0.038
			604/1	0.036
			603/2	0.060
			602/7	0.008
			602/2	0.020
			602/3/1	0.013
			602/3/2	0.013
			51/3	0.036
			51/4	0.049
			51/5	0.064
48/3	0.015			
49/3	0.010			
59/4	0.019			
59/3	0.051			
59/7	0.015			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	<u>ग्राम</u> <u>:-दौडवा,</u> <u>प.ह.नं. 92</u>	59/2/2	0.029
			61/2	0.044
			63/5/1	0.021
			63/5/2	0.021
			70	0.083
			69/1/2/4	0.059
			69/1/2/3	0.046
			69/1/2/2	0.025
			86/1	0.022
			153	0.037
			152/863/3	0.011
			59/5	0.015
			152/863/2	0.044
			152/863/1	0.082
			151/1	0.012
			68/2	0.004
			48/5	0.012
			75/7	0.045
			75/6	0.027
			75/5	0.035
			76/2	0.055
			72/2	0.026
			155/2	0.019
			150/2	0.045
149	0.060			
148	0.042			
147/1	0.025			
146	0.017			
146/859	0.011			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	<b>ग्राम</b> <b>:-दौड़वा,</b> <b>प.ह.नं. 92</b>	145	0.016
			140/4	0.005
			140/1	0.092
			123/852	0.026
			123/1/2/2	0.030
			123/1/2/2/क	0.038
			123/1/2/1/ग	0.007
			134/1/2/2	0.027
			123/1/2/1	0.016
			134/1/2/1	0.022
			129	0.098
<b>कुल योग</b>			<b>101</b>	<b>3.492</b>

क्र.-252-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम पछाया, प. ह.नं.- 12	6	0.004
			8/1	0.025
			8/2	0.052
			11/1/5	0.034
			11/1/4	0.033

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-पछाया, प. ह.नं.- 12	11/2	0.016			
			11/1/3	0.034			
			11/1/2	0.012			
			9/1/1/1	0.043			
			9/7	0.065			
			2/3/3/1	0.060			
			159/2	0.016			
			160/2				
			159/5	0.053			
			160				
			159/3	0.057			
			182/1/1	0.029			
			182/1/2	0.045			
			182/1/4	0.005			
			182/1/3	0.041			
			196/1	0.024			
			195/1	0.050			
			195/4/1	0.074			
			195/5/1	0.015			
			195/3/1	0.026			
			192	0.015			
			219/3/1	0.030			
			220/3/1				
			219/3/2	0.034			
			220/3/2				
			219/2/3	0.039			
			220/2/3				
			219/4	0.012			
			220				
			219/7	0.008			
						219/5	0.037
						220/5	
			219/6	0.025			
			220/6				
			211	0.010			
		कुल योग	32	1.023			

क्र.-254-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप— "ख"

## { नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- खारवी, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35 तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35	17/1/1	0.032
			18/1/1	0.035
			18/1/3	0.100
			14/1/1	0.014
			14/1/2	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35	19/2	0.051
			14/2	0.005
			21/1	0.040
			21/2	0.166
			23/1/1/2	0.044
			23/1/1/1	0.056
			30/1	0.023
			26/1/1/1	0.015
			30/2	0.020
			30/3	0.003
			31/1	0.082
			31/2	0.008
			108/1	0.016
			108/4	0.026
			109/1	0.039
			109/3	0.021
			110/1	0.038
			110/2	0.023
			113	0.030
			107/1	0.049
			114/1	0.032
			125/6/2	0.056
			124/2/1/2	0.052
			124/1	0.043
			124/2/1/1	0.004
			124/3	0.062
			122/2	0.046
			123/3/3	0.005
			123/3/4	0.032
			140/5	0.062
			140/3	0.156
			140/2	0.029
140/1	0.103			
155/2	0.020			
155/1	0.097			
160/2	0.021			
179/1	0.008			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35	179/2	0.098
			178/2	0.004
			178/4	0.018
			178/3	0.037
			175/3	0.028
			175/2	0.033
			174/8	0.032
			174/3	0.066
			174/7	0.045
			174/1/2	0.031
			83/2	0.086
			322/1/1	0.002
			323/2	0.048
			323/1	0.024
			330	0.020
			314/1/3	0.002
			336/3	0.051
			314/1/2	0.011
			314/1/1	0.030
			314/2/1	0.036
			314/2/2	0.020
			314/2/3	0.009
			314/2/4	0.011
			314/2/5	0.021
			421	0.120
			114/2	0.019
			124/2/2/2/1	0.034
			124/2/2/2/2	0.027
			119/1	0.044
			119/2	0.037
120/4	0.032			
120/3	0.034			
143	0.141			
144/5	0.048			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35	146/1	0.007
			150/1/1	0.065
			154/1	0.052
			154/2	0.040
			154/3	0.035
			154/4	0.044
			150/1/3	0.040
			204/3/4	0.010
			25/2	0.004
			24/1	0.005
			21/3/2	0.005
			23/1/1/1/1	0.041
			23/3	0.012
			23/1/2/3	0.012
			23/1/1/2	0.012
			23/2/2/1	0.012
			23/1/1/2/1	0.021
			41/2	0.050
			41/4	0.032
		41/3	0.026	
36/1	0.112			
36/2	0.032			
83/3	0.012			
		<b>कुल योग</b>	<b>98</b>	<b>3.746</b>

क्र.-282-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	529/3	0.147	
			531/3		
			529/2/2		0.021
			531/2/2		
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	529/2/3	0.074	
			531/2/3		
			528/3/3	0.017	
			528/4	0.067	
			565/2/1	0.053	
			528/5	0.065	
			528/1	0.005	
565/1	0.012				
			567/1/1/5	0.082	
			567/1/1/4	0.030	
<b>कुल योग</b>			<b>11</b>	<b>0.573</b>	

क्र.-183-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-203 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107,	274	0.080
			275	
			413/1	0.030
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107,	267	0.043
			413/2	0.020
<b>कुल योग</b>			<b>04</b>	<b>0.173</b>

क्र.-284-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
[ नियम- 5 का उपनियम (2) ]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-विजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 66 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भडलेन, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-02, चैनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- भडलेन, प.ह.नं.- 23,	12	0.018
			490/12	0.004
			11	0.034
			17/1	0.054
			17/2	0.046
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- भडलेन, प.ह.नं.- 23,	41/2	0.080
			41/7	0.075
			43/2	0.034
			367/1	0.015
			367/3	0.015
			367/2	0.014
			368/1	0.018
			368/2	0.012
			369	0.030
			370/1	0.038
			370/2	0.020
		372/1	0.019	
<b>कुल योग</b>			<b>17</b>	<b>0.526</b>

क्र.-286-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18,	4	0.112
			19/2	0.002
			23/10/2	0.076
			23/22	0.068
			23/23	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्धया	ग्राम— पोखरखुर्द, प.ह.नं.— 18,	23/28	0.066
			23/29	0.015
			31/3	0.046
			31/2	0.022
			31/1	0.146
			86/1/1	0.090
			103	0.038
			105	0.002
			123/2	0.069
			96/4	0.005
			123/1	0.146
			125/2/2	0.052
			125/1	0.059
			126/2	0.032
			126/1	0.038
130	0.032			
कुल योग			<b>21</b>	<b>1.118</b>

क्र.-288-भू-अर्जन-री-1-2023

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17, रा.नि.मं.-01, झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	681/2	0.058
			682/1/1	0.060
			682/1/2	0.046
			682/1/3	0.040
			633 634/2	0.135

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्यया	ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,	632/2/2	0.045
			632/1/2	0.082
			328/3	0.014
			329/3/6	0.050
			329/3/5	0.013
			329/3/4	0.013
			329/3/3	0.013
			329/3/1	0.032
			329/2	0.017
			336/1	0.010
			336/2	0.065
			337/1/1	0.029
			337/1/2	0.020
			338/1/1/1	0.058
			337/2	0.006
			503	0.013
			502/11	0.030
			502/10	0.040
			464/2/1	0.040
			505/1	0.007
			505/2	
			508	0.055
			511/1	0.022
			511/2	0.093
511/3/1	0.014			
516/1	0.011			
516/2	0.032			
519/5	0.050			
519/6/1	0.014			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम— शिवना, प.ह.नं.— 17,	519/7	0.052
			519/4	0.038
			518/4	0.036
			471/1/1/1	0.042
			467/1/3	0.130
			461/1/3	
			464/8	0.018
			464/4	0.033
			464/3	0.015
			464/2/2	0.040
			464/6	0.028
			164/1	0.123
			164/2	0.057
			164/3	0.025
			164/4	0.026
			165/1	0.056
			165/3	0.064
			166/1/1	0.055
166/1/2	0.053			
कुल योग			<b>51</b>	<b>2.118</b>

क्र.-290-भू-अर्जन-री-1-2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बडिया, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-05 से टेल. तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-तेड़ प.ह.नं.- 24 तह0 झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम तेड़ प.ह.नं.- 24	27	0.020
			29/1 38	0.064
			35	0.072
			39	0.072
			77/4	0.010

निर्गत- 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	झिरन्या	ग्राम तेड़ प.ह. नं.- 24	180/5	0.023
			77/3	0.008
			78/2	0.020
			254/4	0.004
			79	0.030
			71	0.034
			83/1	0.019
			77/2	0.008
			1/1	0.078
			1/2	0.038
			1/3	0.026
			170/1	0.032
			174	0.042
			177/2	0.006
			178/1	0.016
			179/1	0.008
			179/3	0.023
			178/2	0.019
			179/2	0.017
			180/4	0.023
			182/4	0.033
			182/5	0.033
			259/1	0.110
			256/1	0.067
			254/1	0.018
			254/2	0.018
254/3	0.012			
		<b>कुल योग</b>	<b>32</b>	<b>1.003</b>

मिलिंद ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक 85/भू-अर्जन/2022 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2022-2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम - कोलूखेड़ा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची ( 1 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा (हे.में)
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	कोलूखेड़ा	0.053
कुलयोग :-		<b>0.053</b>

—: अनुसूची ( 2 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम कोलूखेड़ा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जनीय रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	गोरीशंकर पिता हरीसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भू-स्वामी	3/16/1/2/1	<b>0.795</b>	<b>0.053</b>
योग		<b>1</b>	<b>0.795</b>	<b>0.053</b>
कुलयोग :-		<b>1</b>	<b>0.795</b>	<b>0.053</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 05-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रोज्या

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जनीय रकबा (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	नरबदीबाई बेवा रामनारायण, रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	152/2	0.287	
	योग	1	0.287	0.048
2	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू पिता उँकार हि. 1/3, बापू, रामचन्द्र पिता राधाकिशन मु. केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कँवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कँवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	185/2	0.004	
	योग	1	0.004	0.004
3	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू, गंगाधर पिता उँकार हि. 1/3, बापू, रामचन्द्र पिता राधाकिशन, केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कँवरलाल, भंवरीबाई बेवा कँवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	186/2	0.004	
	योग	1	0.004	0.004
कुलयोग :-		3	0.295	0.056

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

कमांक ०४/भू-अर्जन/2021 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक ११११/अ-82/22-23/२२२२२२२२ चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम रोजडखुर्द एवं किशनपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि गोरखपुरा तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु शेष प्रभावित भूमि का अर्जन किया जा रहा है, और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :—

धीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का पूरक प्रकरण

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रोजडखुर्द	10	19.113	4.887
2	किशनपुरिया	1	0.759	0.150
कुलयोग :—		11	19.872	5.037

### —: अनुसूची ( 2 ) :—

गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम -रोजडखुर्द

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	प्यारा पिता देवीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/1/2	0.884	0.150
योग		1	0.884	0.150
2	बीरम पिता बिहारीलाल पांचूबाई बेवा बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/2/2	1.445	0.200
योग		1	1.445	0.200
3	दुलेसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/2/2	5.360	0.300
योग		1	5.360	0.300
4	जगदीश पिता प्यारा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/5	1.836	1.077
योग		1	1.836	1.077

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
5	जशवंतसिंह पिता जयनारायण जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/15/1	0.333	0.333
	योग	1	0.333	0.333
6	नारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/15/2	0.667	0.667
	योग	1	0.667	0.667
7	घीसालाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	15/2	2.496	1.450
	योग	1	2.496	1.450
8	शिवनारायण पिता मंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/3/2	0.843	0.250
	योग	1	0.843	0.250
9	बीरम पिता हीरालाल, धापूबाई बेवा हीरालाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/4	3.794	0.360
	योग	1	3.794	0.360
10	रामप्रसाद, रमेश पिता नानूराम जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	33/7/2	1.455	0.100
	योग	1	1.455	0.100
	कुल योग	10	19.113	4.887

**गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम -किशनपुरिया**

1	नारायण सिंह पिता शिवसिंह सौंधिया नि. करेडी	197/9	0.759	0.150
	योग	1	0.759	0.150
	सहायोग :-	11	19.872	5.037

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2-अ-82-2022-23

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	झिरनिया	0.5641	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, सेंट्रल रेलवे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन।

#### अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4	5.
1.	श्रीमती मनी बोरा पत्नी महेन्द्र बोरा, महेन्द्र बोरा आ० चंपालाल, नि नि०-भोपाल	632	0.650	0.045
2.	शायरा बानो पत्नी अय्यूब 128 नीलकंठ कॉलोनी, भोपाल	636 641 642	0.400 0.429 0.266	0.001 0.027 0.042
3.	अशोक कुमार आ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट	646	0.126	0.016
4	कामता प्रसाद आ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट	648	0.650	0.005
5.	रमेश घनश्यामे प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद, सुमित्राबाई बेवा फूलसिंह, शुभम दिनेश पिता फूलसिंह, झिरनिया	655	0.500	0.052



6.	कालूराम आ० धनलाल	656 / 1	0.173	0.103
7.	महेश आ० धनलाल	656 / 2	0.400	0.0006
8.	रामरतन आ० उमराव, मुंगालियाहाट	658 / 1 / 2 / 2	0.246	0.1580
9.	श्रीमती रिकी पाटीदार आ० हरिओम पाटीदार	658 / 1 / 2	0.182	0.0360
10.	श्रीमती मधु पाटीदार पत्नी हरगोविंद पाटीदार	658 / 1 / 3	0.182	0.0005
11.	रामरतन आ० उमराव, मुंगालियाहाट	659 / 1 / 2	0.137	0.078
	<b>कुल योग</b>		<b>4.341</b>	<b>0.5641</b>

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

क्र. 03-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिश्ता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	दौलतपुर ठिकरिया	0.208	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, सेन्द्रल रेल्वे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन।

**अनुसूची-2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4	5.
1.	रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम ओमप्रकाश आ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल भागवती बाई वि रामफूल कमलसिंह शिवनारायण आत्माराम आ० जगन्नाथ चतरीबाई वि० जगन्नाथ	110/2	0.241	0.014
2.	नन्हीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण, विंध्याबाई पत्नी परमानन्द	158/2 159/2	0.428 0.440	0.030 0.015
3.	लक्ष्मीनारायण एवं परमानन्द आ० सालिगराम	164/2 165/2 166/2	1.101 0.318 0.729	0.031 0.039 0.009
4.	ओमप्रकाश आ० हरीदास मेघानी	168/2	0.3050	0.008
5.	शिव वाधवा आ० गालाराम	100/2/1 /2	1.131	0.010
6.	रामनारायण आ० मांगीलाल वगैरह	100/2/2	0.350	0.006
7.	रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम वगैरह	111/1/2 /2	0.388	0.006
8.	राधेश्याम लखनलाल तुलसीराम, लालजीराम आ० रामकिशन	88/2/1/ 2	0.560	0.014
9.	रामकिशन आ० दौलतराम	88/2/2/ 2	0.430	0.026
			6.421	0.208

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

क्र. 04-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	मुंगालिया हाट	1.740	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन।

## अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4	5.
1.	टेकचंद पिता शीतलदास, गांधीनगर	653/1/2/1	0.140	0.011
2.	टेकचंद पिता शीतलदास गांधीनगर	653/1/1/2	0.585	0.411
3.	घुडीलाल पिता शालिकराम गुजराती	660/2	0.827	0.121
4.	रघुवीर सिंह, बद्रीप्रसाद, गोविंदप्रसाद पुत्रगण बाबूलाल, रामकुंवर बाई पत्नी बाबूलाल गाडरी निवासी- ग्राम	672/2	0.079	0.036
5.	घिसीबाई बेवा उमराव सिंह जाति नाथ	663/6/2	0.158	0.085
6.	परमानंद पिता शालगराम नि ग्राम	670/2	0.608	0.046
7.	लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम नि ग्राम	727/2	0.346	0.141
8.	राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती	726/2	0.117	0.081
9.	राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती	722/2	0.080	0.068
10.	हरिओम पिता परमानंद गुजराती	707/2	0.052	0.034
11.	लक्ष्मीनारायण आ० सालकराम गुजराती	718/2	0.666	0.100
12.	हरगोविंद पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार	703/2	0.518	0.113
13.	हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर	702/1/2	0.116	0.061

14.	हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर	700 / 2	0.940	0.070
15.	रामबाबू पुत्र झुन्नूलाल	695 / 1 / 2	0.490	0.154
16.	यादवेन्द्र पाटीदार पिता राधाकिशन पाटीदार	765 / 2	0.830	0.077
17.	विकास कुमार अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र	766 / 2	0.715	0.001
18.	विमलाबाई पुत्री उमराव सिंह	663 / 5	0.170	0.005
19.	परमानंद पिता शालगराम	728 / 2	0.484	0.014
20.	राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती	731	0.260	0.057
21.	हरिओम पिता परमानंद गुजराती	708	0.400	0.045
22.	लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम	721	0.200	0.009
	कुल योग	22 किता	8.781	1.740

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अविनाश लावनिया, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर, जीरापुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 2861-भू-अर्जन-2023

खिलचीपुर, दिनांक 5 जनवरी 2023

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पुष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम किशनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम किशनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - किशनपुरिया		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	59	प्यारा पिता घिसा जाती चमार	किशनपुरिया	1.036	0.016
2	58	बनेसिंह पाचूलाल पिता चौथमल चैनबाई पुरीबाईपुत्रिया चौथमल मु. चम्पी बेवा चौथमल जातीलोढ़ा	किशनपुरिया	0.757	0.011
3	56/1/1	रामचंद्र पिता किशन जाती लोढ़ा	किशनपुरिया	0.121	0.018
4	56/4	रामचंद्र पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा	किशनपुरिया	0.230	0.025
5	41/1/1	मांगीलाल पिता धन्ना रमकुबाई पति मांगीलाल जाती चामर	किशनपुरिया	1.000	0.008
6	41/1/2	मांगीलाल पिता धन्ना जाती चामर	किशनपुरिया	1.000	0.009
<b>कुल योग</b>	<b>6</b>			<b>4.144</b>	<b>0.087</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केवल एव डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केवल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।					
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - परसपुरा			तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	55/4/1/1/1	भगवानसिंह पिता समदरसिंह जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.034	0.003
2	55/4/1/1/2	बनेसिंह पिता कालूसिंह जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.034	0.003
3	55/4/1/2	बलराम पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.034	0.003
4	55/4/2	सावसिंह पिता रामचंद्र जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.034	0.004
5	49/16	मदनलाल पिता जगन्नाथ गोकुल पिता जगन्नाथ प्रभुलाल पिता जगन्नाथ दालुबाई बेवा जगन्नाथ जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.898	0.016
6	49/18/2	रामचंद्र रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.186	0.006
7	49/19/1	केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.416	0.015
8	49/34/1	केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.120	0.015
9	49/45/2	मांगीलाल पिता खीमा सरदारबाई पुत्री खीमा केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.431	0.015
10	49/18/2	रामचंद्र रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.186	0.015
11	49/18/3	रामचंद्र रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.186	0.015
12	49/21	पुरीलाल पिता गोपी जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.187	0.03
13	49/13	तुलसीराम पिता गिरधारी	परसपुरा	0.190	0.005
14	37/1	धीसालाल पिता किशोर जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.684	0.007
15	49/48/3	गंगाराम पिता किशोर जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.481	0.007
16	49/59	हजारीलाल पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.632	0.001
17	49/43	मदनलाल पिता जगन्नाथ गोकुल पिता जगन्नाथ प्रभुलाल पिता जगन्नाथडालुबाई बेवा	परसपुरा	0.143	0.007
कुल योग	17			4.876	0.167

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम खण्डारबेह तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम खण्डारबेह तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - खण्डारबेह		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	50/72/1	मांगीलाल गारधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.910	0.003
2	50/72/1	मांगीलाल गारधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.910	0.027
3	50/75	हजारी पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.166	0.014
4	50/76	हजारी पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.559	0.014

5	50/122	मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.429	0.021
6	50/123	मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.34	0.005
7	41	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.99	0.012
8	45	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.304	0.013
9	29	मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.785	0.030



10	50/71	मांग्या पिता नंदा जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.482	0.044
11	50/106	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.166	0.013
12	50/122	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.429	0.024
13	7/1	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.99	0.018
14	7/2	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार घिसा अमरसिंह भेरु पिता देवा मानसिंह गिरधारी पन्ना पिता हिरा जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	1.048	0.019
15	62	जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार घिसा अमरसिंह भेरु पिता देवा मानसिंह गिरधारी पन्ना पिता हिरा जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	1.086	0.026
16	63	करणसिंह पिता मानसिंह, अमरसिंह पिता चंदा, रतन पिता रामसिंह, प्रभु पिता रामसिंह, कालीबाई पुत्री रामसिंह जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	1.202	0.005
17	50/125	मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	खण्डारबेह	0.494	0.013
<b>कुल योग</b>	<b>17</b>			<b>11.290</b>	<b>0.301</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा ,राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - मोतीपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	10/1/1	भवरलाल पिता गंगाराम जाती लोढ़ा	मोतीपुरा	0.152	0.010
2	10/1/2	पुरीलाल पिता गोरीलाल जाती लोढ़ा	मोतीपुरा	0.152	0.010
3	104/35	गंगाराम खीमा रामचंद्र नाथू बालू, गोविन्द, रमेश, जगदीश, पप्पू, मोहन, मांगीबाई, रेखाबाई,सुनीताबाई, रूपाबाई, पिता पूरा उर्फ अमरसिंह सम्पतबाई बेवा अमरसिंह भवरिया डूंगर पिता किशोर पुरीबाई बेवा गोपलाल नवरंग पिता गोपीलाल जाती चमार	मोतीपुरा	0.190	0.018
कुल योग	3			0.494	0.038

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम झन्डापट्टी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम झन्डापट्टी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरुपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - झन्डापट्टी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	59	नाथु पिता हरलाल जाती चमार	झन्डापट्टी	0.267	0.002
2	58	शिवलाल पिता भेरू, भवरलाल पिता भेरू, कालीबाई पुत्री भेरू, मांगीलाल पिता नंदा गोपीलाल पिता नंदा जाती लोढ़ा	झन्डापट्टी	1.124	0.059
3	40/4/1/2	चम्मा पिता भोनजी जाती लोढ़ा	झन्डापट्टी	0.506	0.004
4	40/77	चम्पलाल पिता भोनजी जाती लोढ़ा	झन्डापट्टी	0.822	0.004
5	40/83/3	चम्पलाल पिता श्रीलाल	झन्डापट्टी	0.401	0.005
कुल योग	5			3.12	0.074

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा ,राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सुआहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सुआहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - सुआहेडी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	64/187	उमेद मदन नंदा पिता भारमल भवरीबाई बेवा भारमल, अमरा लक्ष्मण पिता देव्या बिराम रोड़जी पिता हरिसिंग जाती लोढ़ा	सुआहेडी	1.137	0.026
2	64/208	लालसिंह , गेंदालाल , बापूलाल पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र , हजारीलाल नंदराम जगन्नाथ पिता धुल्या सौरम बाई पिता धुल्या देवली बेवा भवरलाल मांगीलाल शंकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शंकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.065	0.088

3	140/1	लालसिंह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम , जगन्नाथ , सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल , बापूलाल , पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	2.339	0.029
4	64/204/3	प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.228	0.030
5	64/204/3	प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.228	0.006
6	138	नंदा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.494	0.009
7	177	भवरलाल पिता देव्या गौराबाई पुत्री देव्या धुल्या मांगीलाल शंकरलाल पिता प्रेम कालीबाई पुत्री फल्ता गिरधारी पि गोपाल प्रभुलाल पिता मन्ना पुरीलाल शंकरलाल पिता अमरसिंह सरदार पुत्री अमरसिंह मु धंती बेवा पेमा १/२ रामा सेमा पिता भवरिया जाती लोढ़ा	सुआहेडी	1.166	0.014
8	178	किशन पिता छीतर धापूबाई पुत्री मेहताब राजूबाई पुत्री बिराम मांगीबाई पुत्री वीरम जाती चमार	सुआहेडी	0.555	0.006
9	64/208	लालसिंह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम , जगन्नाथ , सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल , बापूलाल , पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.065	0.003
10	64/213/2	रामसिंग पिता भेरु जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.176	0.003
11	64/227/2/2	रामसिंग पिता भेरु जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.133	0.008

12	64/204/3	प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.228	0.020
13	64/186	लालसिंह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र हजारीलालनंदराम जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल बापूलाल पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.166	0.003
14	64/239	लालसिंह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र हजारीलाल नंदराम जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल बापूलाल पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलालपिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	1.164	0.013
15	101/1/1/1	प्रभुलाल पिता रोडजी जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.379	0.055
16	264/64/2	रामबाबू पिता बापूलाल जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.148	0.013
17	264/64/1	प्रभुलाल पिता रोडजी जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.148	0.021
18	64/245	देवीसिंह पिता रामालालचंद पिता नाथू मांगीबाई पुत्री नाथू जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.518	0.012
19	64/240/1	देवीसिंह पिता रामा जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.239	0.033
20	85/2/3'	जगन्नाथ सवाललाल दौलतराम मोहनलाल अमरसिंह पिता प्यारजी जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.296	0.013
21	106/1	बापूलाल करणसिंह कैन्हयालाल पिता हरला धापूबाई बेवा हरला जाती लोढ़ा	सुआहेडी	1.164	0.005
22	107	जेयसिंह पिता किशोर जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.684	0.005
23	159/1	लक्ष्मण पिता देव्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.700	0.017
24	159/2	उम्मेद मदन नंदा पिता भारमलभवरी बाई बेवा भारमल जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.213	0.018

25	64/196	रम्बाई केशरबाई पुत्री नाथ मांगीलाल रामप्रसाद राधेश्याम लक्ष्मण पिता देव्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.352	0.006
26	175/1	लालसिंह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र, हजारीलाल, नंदराम, जगन्नाथ, सोरमबाई पिता धुल्या गंदालाल, बापूलाल, पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.644	0.023
27	64/227/2/1	दयाराम पिता कालू जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.134	0.011
28	109/2	किशन पिता छीतर धापूबाई पुत्री मेहताब राजूबाई मांगीबाई पुत्री बिरम जाती चमार	सुआहेडी	0.340	0.002
29	109/3	चंदा पिता गोपी गोरा पुत्री गोपी जाती चमार	सुआहेडी	0.352	0.002
30	115/2	किशन घीसालाल पिता खेमा जाती लोढ़ा	सुआहेडी	0.196	0.032
कुल योग	30			14.651	0.526

**प्ररूप - घ**  
**(नियम 6 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोगता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 4 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बारोल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बारोल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - बारोल		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	201	घिसा पिता जुम्मा नाजिरा सत्तार मौसम पुत्रा गण जुम्मा नुन्नु पि. रसूल कालेखा बाबूखा पिता शेर खा पिरु छोटे खा पिता गोपाल जाती राव	बारोल	1.112	0.011
2	202	भवरलाल चमपलल पिता देवा सोनिबाई पाचीबाई पुत्री देवा गजरी बाई बेवा देवा जाती लोढ़ा	बारोल	1.655	0.012
3	203	मोहन पिता घिसा केसरबाई पुत्री घिसा धापूबाई बेवा घिसा जाती दांगी	बारोल	0.214	0.004
4	199/1/2	गोवर्धन पिता चमपलल जाती लोढ़ा	बारोल	0.148	0.002
5	206/1/2	मोहनलाल पिता चमपलल जाती लोढ़ा	बारोल	0.276	0.002
कुल योग	5			3.405	0.031

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कुशलपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कुशलपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - कुशलपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	64	बीरम मांगीलाल पिता घिसा रामु बाई पिता घिसा भवरिया पिता हरिसिंह जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.012	0.002
2	53/1	शिवनारायण पिता कनीराम चम्पीबाई बेवा कनीराम उकार किशन पिता खेमा जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.455	0.002
3	53/2/1	रामूबाई पुत्री घिसा बिराम मांगीलाल पिता घिसा जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.39	0.002
4	53/2/2	शिवनारायण पिता कनीराम उकार पिता खेमा जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.065	0.002
5	55/1/2	रामप्रसाद हरिसिंह नारायणसिंह पिता घिसा जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.215	0.004
6	55/2/1	देवीलाल पिता अमरलाल जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.054	0.005
7	55/2/2	ग्यारसीराम पिता भीमा जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.160	0.005
8	41/1	उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.210	0.004



9	41/2	उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.211	0.003
10	41/3	उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.211	0.003
11	38	मांगीलाल पिता धुन्या जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.138	0.009
12	35	रामचंद्र पिता रोडा शिव पि.रोडा सौरम पुत्री लोढ़ा मानसिंह पिता रामा भूरी बरजी पुत्री भीमा गयारस्य अमरा जगन्नाथ नन्दूबाई पिता भीमा पूरा पिता भावना जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.154	0.002
13	37/1	किशन पिता भावना जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.443	0.006
14	37/2	दौला पिता भावना जाती लोढ़ा	कुशलपुरा	0.467	0.005
<b>कुल योग</b>	<b>14</b>			<b>3.185</b>	<b>0.054</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम लखौनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लखौनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरुपा कर इसकी सुचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - लखौनी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	57	मांगीलाल रामचंदर पिता गिरधारी कमलीबाई पुत्री गिरधारी जाती लोढ़ा	लखौनी	0.543	0.016
2	181/174	मांगीलाल अमरसिंह रतनलाल बापूलाल पाचूलाल नन्दलाल बनेसिंह पिता घिसा कस्तूरीबाई बेवा घिसा जाती लोढ़ा	लखौनी	1.149	0.013
3	56/1/1	नंदराम पिता धुलजी जाती लोढ़ा	लखौनी	0.123	0.001
4	56/1/2	शिवसिंह पिता हजरीलाल जाती लोढ़ा	लखौनी	0.122	0.001
5	56/1/3	प्रेमबाई पति अमरसिंह जाती लोढ़ा	लखौनी	0.123	0.001
6	56/2/1	भेरूलाल पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा	लखौनी	0.128	0.001
7	56/2/2	मोड़सिंह पिता मांगीलाल	लखौनी	0.127	0.001
8	215/174	किशन मदन शंकर चैनसिंह पिता फुलजी पाचीबाई लीलाबाई पुत्री फुलजी धापूबाई बेवा फुलजीजाती लोढ़ा	लखौनी	1.416	0.021
9	225/174	देवीलाल पिता चम्पाभावरीबाई बेवा चम्पा जाती लोढ़ा	लखौनी	0.036	0.021
10	225/174	देवीलाल पिता चम्पा भावरीबाई बेवा चम्पाजाती लोढ़ा	लखौनी	0.036	0.004
11	208/174/2	गेंदालाल पिता चम्पालाल जाती लोढ़ा	लखौनी	0.151	0.006
12	209/174	कवरलाल गेंदालाल गोवर्धन पिता चम्पामु. केशर बाई बेवा चम्पा जाती लोढ़ा	लखौनी	0.255	0.011

13	210/174/2	कैन्हयालाल पिता बंशीलाल जाती लोढ़ा	लखौनी	0.247	0.026
14	190/174	रामप्रसाद कैलाश सीताराम जगदीश मुकेश मनोहर पिता कवरलाल प्रेमबाई बेवा कवरलाल जाती लोढ़ा	लखौनी	0.227	0.008
15	174/136	प्रभु पिता घिसा जाती चमार	लखौनी	1.072	0.008
16	287/174/1	गिरधारी पिता घिसा जाती लोढ़ा	लखौनी	0.028	0.010
17	174/8	देवीलाल पिता नंदा मांगीलाल पिता नंदा जाती लोढ़ा	लखौनी	0.255	0.021
18	284/174/2	मांगीलाल देवीलाल पिता नंदा जाती लोढ़ा	लखौनी	0.128	0.010
19	28/1	गोपीलाल पिता धुल्या जाती लोढ़ा	लखौनी	0.287	0.005
20	28/2	किशन मदन शंकर चैनसिंह पिता फुलजी पाचीबाई लीलाबाई पुत्री फुलजी धापूबाई बेवा फुलजी जाती लोढ़ा	लखौनी	0.252	0.006
21	28/3	भेरू पिता देवा चम्पी बेवा देवा जाती लोढ़ा	लखौनी	0.322	0.005
22	242/174	नाथूलाल पिता अमरसिंह जाती लोढ़ा	लखौनी	0.506	0.006
23	29	बिरम पिता रामप्रसाद मु. प्यारीबाई बेवा रामप्रसाद बापूलाल भावरीबाई पिता गोपीलाल मु. धापूबाई बेवा गोपीलाल जाती लोढ़ा	लखौनी	1.149	0.02
<b>कुल योग</b>	<b>23</b>			<b>8.682</b>	<b>0.222</b>

प्ररूप - घ					
(नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम झरन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम झरन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - झरन्या		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	1/16	रामसिंह पिता गोपीलाल पुरीबाई पुत्री गोपीलाल मु कवरी बेवा गोपीलाल चम्पालाल पिता बापूलाल रतनलाल पिता बापूलाल राधी बाबरी गोरा पिता रोड़ा संतरा पिता परसा जाती लोढ़ा	झरन्या	0.380	0.016
2	1/18	मांगीलाल पिता भवरलाल अमरि कंचि पुत्री भवरलाल जमनी बेवा भवरलाल अमरा उमेद पिता रत्ता केशर पुत्री रत्ता मु.रुप्पा बेवा रत्ता जाती लोढ़ा	झरन्या	0.053	0.013
3	1/36	रामरतन सरदारसिंह रायसिंह पिता भवरलाल ना बा स प माता गुलाबबाई बेवा भवरलाल व् बरजी बेवा देवीसिंह जाती लोढ़ा	झरन्या	0.530	0.025
4	1/2/3	देवीलाल पिता कनीराम जाती भील	झरन्या	0.500	0.029
5	1/2/11	प्रभुलाल पिता हीरालाल जाती भील	झरन्या	0.500	0.012
6	1/43/1	पुरीलाल गिरधारी कवरलाल पिता मांग्या मु भावरीबाई बेवा मांग्या जाती लोढ़ा	झरन्या	0.095	0.001
कुल योग	6			2.058	0.096

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 4 सन 2013) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम घाटाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम घाटाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।					
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - घाटाखेड़ी			तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	22/7	भवरलाल प्यारजी सुखा गुलाबसिंह नंदा भागचंद हीरालाल पिता धुल्या राधाबाई पिता धुल्या भूरीबाई धुल्या देवीराम बंशीलाल सिंगा कालू पिता कनीराम गौराबाई वि कनीराम जाती भील	घाटाखेड़ी	0.731	0.055
2	22/14	गंगारम रामसिंह पिता गोविन्द रगलाल गोपी पिता खेमा कशी राम नरभंसिंह ना बा पिता घमति, मज न बा घमति मु मांगी बेवा घमति कातिबाई पुत्री बंशी नानी बाई बेवा बंशी जाती भील	घाटाखेड़ी	0.036	0.010
3	23/7	भेरू पिता फलता जाती चमार	घाटाखेड़ी	0.446	0.028
4	22/12/2	कवरलाल पिता श्रीलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.152	0.029
5	19/1	सिंगाजी पिता रामसिंह जाती भील	घाटाखेड़ी	1.265	0.015
6	19/2	नंदराम गिरधारी पिता गंगाराम कालू पिता भवरलाल अमरिबाई मांगीबाई ग्यारसीबाई पुत्रिया भवरलाल मु, गंदाबाई बेवा भवरलाल प्रेमसिंह रोड़ीलाल मांगीलाल दुलीचंद पिता हरलाल पार्वतीबाई पुत्री हरलाल मु भूलीबाई बेवा हरलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.252	0.016
7	18	कनीराम पिता देवीराम जाती भील	घाटाखेड़ी	1.923	0.025
8	14	रगलाल गापीपिता खेमा काशी राम नरभंसिंह ना. बा. पि. घमसी मु मांगीबाई बेवा घमासि जाती भील	घाटाखेड़ी	3.326	0.023
9	15	रायसिंह पिता जगन्नाथ बदमाबाई बेवा जगन्नाथ जाती लोढ़ा	घाटाखेड़ी	2.262	0.026
10	16	कालू पिता मांगीलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.999	0.021
11	8/1	सोभन बाई सोरम बाई पिता इंद्रसिंह अमरिबाई बेवा इंद्रसिंह जाती भील	घाटाखेड़ी	0.048	0.002
12	8/2	कबादसिंह पिता श्रीलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.048	0.002
13	8/3	करणसिंह हरिसिंह धारुसिंह परमल सगंन सिंह पिता भवरलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.047	0.002
14	8/4	कवरलाल पिता श्रीलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.047	0.003
15	5/1	कबादसिंह पिता श्रीलाल जाती भील	घाटाखेड़ी	0.274	0.013
कुल योग	15			11.856	0.270

प्ररूप - घ					
(नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम डोब तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम डोब तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव ,उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - डोब		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	100/16	मांगीलाल पिता गिरधारी गेंदीबाई जमनीबाई पुत्री गिरधारी जाती लोढ़ा	डोब	0.845	0.024
2	102/16	हरिसिंह पिता धन्ना जाती लोढ़ा	डोब	0.506	0.017
3	63/16/1	धीसालाल पिता किशोरधीसीबाई पिता किशोर जाती लोढ़ा	डोब	1.295	0.010
4	78/16	मांगीलाल पितामन्ना चंपा कवरिया प्रभु पिता प्यारा मांगीलाल पिता रामलाल केसरबाई धापू बाई नोरंगबाई पुत्री रामलाल चैनसिंहमदनलाल पिता देव्यासम्पतबाई बेवा गोपाल रायसिंह रमेश मोड़सिंह राजू पिता गोपाल नोरंगबाई सरदारबाई ममताबाईपुत्री गोपाल कैलाश कलीबाई नाबालिक पिता बापूलाल सर अमरसिंह पिता देव्या जाती लोढ़ा	डोब	2.857	0.032
5	95/16/1/2/2	रामचंद्र पिता जगन्नाथ जाती लोढ़ा	डोब	0.579	0.023

6	82/16	मांगीलाल पिता मन्ना चंपा कवरिया प्रभु पिता प्यारा मांगीलाल पिता रामलाल केसरबाई धापू बाई नोरंगबाई पुत्री रामलाल चैनसिंह मदनलाल पिता देव्या सम्पतबाई बेवा गोपाल रायसिंह रमेश मोड़सिंह राजू पिता गोपाल नोरंगबाई सरदारबाई ममताबाई पुत्री गोपाल कैलाश कलीबाई नाबालिक पिता बापूलाल सर अमरसिंह पिता देव्या जाती लोढ़ा	डोब	0.749	0.019
7	79/16	नदराम पिता देव्या रगलाल पिता देव्या बद्रीलाल पिता देव्या हीराबाई बेवा देव्या मनोहरसिंह नानूराम विष्णु पिता शंकरलाल कांतीबाई पुत्री शंकरलाल राधीबाई बेवा शंकरलाल जाति लोडा	डोब	1.441	0.04
8	91/16/2	किशन चंदा गंगारम पिता गोपी बापू गोरिया पिता गोपी जाती लोढ़ा	डोब	2.545	0.02
9	56	मांग्या पिता किशोर जाती लोढ़ा	डोब	2.756	0.026
10	62/16	हरिसिंह पि.धन्ना राधाकिशना गंगाराम मांगीलाल बीरम पिता नंदा मोहन पिता भंवरलाल पिता नाथीबाई बेवा भंवरलाल कस्तूरीबाई बेवा नंदा जाति लोडा	डोब	1.011	0.015
11	53	हरिसिंह पिता धन्ना जाती लोढ़ा	डोब	1.315	0.013
12	51	रंगलाल पिता देवीराम जाती लोढ़ा	डोब	0.987	0.025
13	43/1	प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा	डोब	1.089	0.016
14	43/2	प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिताचम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा	डोब	0.745	0.011
15	42	मांगीलाल पिता रामलाल चन्दनबाई बेवा रामलाल जाती लोढ़ा	डोब	1.798	0.019
16	42	मांगीलाल पिता रामलाल चन्दनबाई बेवा रामलाल जाती लोढ़ा	डोब	1.798	0.007
17	88/16/1	प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा	डोब	1.392	0.018
18	40	हरिसिंह पिता धन्ना राधाकिशन गंगारम मांगीलाल बिराम पिता नंदा मोहन पिता भवरलाल नाथी बेवा भवरलाल कस्तूरी बेवा नंदा जाती लोढ़ा	डोब	0.178	0.007

19	88/16	प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा	डोब	0.053	0.004
20	38	हरिसिंह पिता धन्ना राधाकिशन गंगारम मांगीलाल बिराम पिता नंदा मोहन पिता भवरलाल नाथी बेवा भवरलाल कस्तूरी बेवा नंदा जाती लोडा	डोब	1.267	0.022
21	20	मांग्या पिता किशोर जाती लोडा	डोब	0.441	0.003
22	22	प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा	डोब	0.898	0.012
<b>कुल योग</b>	<b>22</b>			<b>26.545</b>	<b>0.383</b>



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम 26-परसपुरा तहसील खिलचौपुर जिला राजगढ़ से ग्राम 26-परसपुरा तहसील खिलचौपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - 26-परसपुरा		तहसील -खिलचौपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	99	देवीलाल पिता नन्दा, जगन्नाथ पिता गमना देवीलालआ.चंपालिया,बापू,किशन,बिजेसिंह,जानीबाई आ.मान्या 1/2,मागया आ.छीता,अमरा आ.कालू,1/4 गयारस्या आ.गिरधारी 1/4 जाति लोड़ा	26-परसपुरा	0.012	0.011
2	4	चपा हरल्या,देविया आ. भवरिया 1/4,गैदाआ.श्रीया लालजी,प्रभू,भोना,आ.प्यारा अमरा,देव्या आ.दोला,बापू किशना बजेसिंह जानीबाई आ. माना नंदा जगन्नाथ आ.गमना देवीलाल आ.चंपालिया बापू किशन बजेनी मु.जानीबाई आ माग्या 1/4माग्या आ.छीता अमरा आ.कालू 1/4 गयारस्या आ.गिरधारी जाति लोड़ा	26-परसपुरा	0.506	0.013
3	5/1	रामलाल चम्पालाल प्रभुकरलाल पिता प्यारा चैनसिंह गोपाल अमरसिंहमदन पिता देवा कैलाश आ बापू पारवती बेवा बापू मांग्या मन्ना पिता रामसिंह जाति लोड़ा	26-परसपुरा	3.083	0.015
4	5/2	सम्पतबाई पत्नी रामगोपाल जाती लोड़ा	26-परसपुरा	0.506	0.015
5	13/2	किशन पिता देवीराम रामकुबाई बेवा देवराम जाती लोड़ा	26-परसपुरा	0.640	0.003
कुल योग	5			4.747	0.057

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम कोयला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कोयला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव ,उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - कोयला		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	47/1/1	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.449	0.005
2	47/1/2	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.449	0.006
3	47/2	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.448	0.005
4	47/3	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.224	0.006
5	48/1/1	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.091	0.002

6	48/1/2	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.092	0.003
7	48/2	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.183	0.002
8	48/3	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.183	0.003
9	48/4	मागीलाल पिता अमरसिंह घौसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.184	0.003
10	42/1/1	राधेश्याम गोविन्द जगदीश पिता अमरसिंह जाती लोढ़ा	कोयला	0.049	0.002
11	42/1/2	परसराम पिता रामकिशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.05	0.002
12	42/1/3	शिवनारायण मुकेश पिता मोड़सिंह जातीलोढ़ा	कोयला	0.047	0.002
13	42/2	भेरूलाल पिता रामकिशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.049	0.002
14	42/3	लालसिंह पिता रामकिशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.048	0.002
15	42/4	मोहन पिता रामकिशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.048	0.002
16	1/66	हीरालाल बीरमसिंह रामबाबू अमरसिंह पिता गोरधन मु. गौराबाई बेवा गोरधन हि.1/3 गोपीआ. देवीराम हि.1/3 रामकिशन आ.नन्दा हि.1/3 जाति लोढ़ा	कोयला	1.947	0.005
17	51/1/1	पुरसिंह पिता भेरू जाती लोढ़ा	कोयला	0.107	0.001
18	51/1/2	कवरलाल पुत्री बंशी जाती लोढ़ा	कोयला	0.107	0.001
19	51/2	बजेसिंह पिता रामचंद्र मोतीलाल पिता देवीराम जाती लोढ़ा	कोयला	0.215	0.001

20	51/3	किशनलाल बापूलाल मागि पिता जगन्नाथ राधीबाई पुत्री हरलाल रामप्रसाद राधीबाई पिता मन्ना पन्ना मदन पिता काशीराम गैदि अमरि पुत्री काशीराम जाती लोढ़ा	कोयला	0.053	0.002
21	38/1	सुन्दरबाई बेवा रामकिशन जाती ब्राम्हण	कोयला	0.473	0.002
22	38/2	सुन्दरबाई बेवा रामकिशन प्रेमनारायण पिता गोपीलाल जाती ब्राम्हण	कोयला	0.473	0.002
23	1/33/1	छोटूलाल पिता मांगीलाल जाती चमार	कोयला	0.250	0.001
24	53	रोडीबाई पुत्री बीरम छीतीबाई पुत्री बिरम जाती कुम्हरा	कोयला	0.417	0.002
25	54	मांगीलाल पिता अमरसिंह बापू पिता गंगाराम जाती लोढ़ा	कोयला	0.34	0.006
26	1/222	पाचूलाल पिता देवीलाल जाती लोढ़ा	कोयला	0.128	0.009
27	57/1	बजेसिंह पिता रामचंद्र जाती लोढ़ा	कोयला	0.291	0.004
28	57/2/1	पुरसिंह पिता भेरू जाती लोढ़ा	कोयला	0.146	0.004
29	57/2/2	कवरलाल पुत्री बंशी जाती लोढ़ा	कोयला	0.146	0.003
30	60	अमरसिंह, बापू पिता किशन भूलीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.958	0.012
31	67/1	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.076	0.002
32	67/2	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.076	0.002
33	67/3	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.076	0.002
34	67/4	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.076	0.002
35	69/1	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.124	0.002

36	69/2	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.123	0.002
37	69/3	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.123	0.002
38	69/4	मांगीलाल, मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू पुरिया, बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.124	0.001
39	72/1	हीरालाल पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा	कोयला	0.104	0.002
40	72/2	रामबाबू पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा	कोयला	0.105	0.002
41	72/3	बिरमलाल पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा	कोयला	0.104	0.002
42	72/4	अमरसिंह पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा	कोयला	0.104	0.002
43	85	शंकर बालू मोड़सिंह कमली बदाम पिता हरिबागस प्रेमबाई पुत्री हरिबागस जाती लोढ़ा	कोयला	0.356	0.009
44	84	चोधमल पिता रामसिंह पुरीबाई बेवा रामसिंह मन्ना पिता चम्पा जाती लोढ़ा	कोयला	0.34	0.003
45	1/211	अमरसिंह बालू पिता किशन भूलीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा	कोयला	0.267	0.018
46	1/138	कालू बिराम पिता देवा रतनीबाई बेवा देवा जाती लोढ़ा	कोयला	0.101	0.002
47	1/203	राधाकिशन पिता मानसिंह जाति लोढ़ा योगेंद्रसिंह महेंद्रसिंह सरदारसिंह पिता बापूलाल दुर्गेश रेखाबाई निर्मलाबाई पिता बापूलाल मोरमबाई बेवा बापूलाल जाति लोढ़ा भंवरलाल पिता मानसिंह जाति लोढ़ा धापूबाई बेवा मानसिंह जाति लोढ़ा	कोयला	0.125	0.019
कुल योग	47			11.049	0.176

**प्ररूप - घ**  
**(नियम 6 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - गोपालपुरा		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	25/1/1	मोतीलाल पिता रामलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.055	0.003
2	25/1/2	मांगीलाल पिता रामलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.055	0.004
3	25/1/3	हजारीलाल पिता रामलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.055	0.003
4	25/2	पन्नालाल गोविन्द बापूलाल कलाबाई पिता रत्ता कालीबाई बेवा रत्ता जाती लोधा	गोपालपुरा	0.165	0.003
5	25/3/1	रतनलाल पिता पुरीलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.272	0.003
6	25/3/2	देवीलाल पिता धुलीलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.082	0.003
7	25/4	मांगीलाल पिता उकार जाती लोधा	गोपालपुरा	0.165	0.003
8	26/1	मांगीलाल पिता बीरम जाती लोधा	गोपालपुरा	0.277	0.008
9	26/2	श्रीलाल पप्पू पिता कनीराम जाती लोधा	गोपालपुरा	0.278	0.009
10	43/1/1	धीसालाल पिता आसाराम जाती लोधा	गोपालपुरा	0.205	0.002
11	43/1/2	रामदयाल पिता गोपीलाल संतोष रामकन्या ममताबाई पिता गोपीलाल मांगीबाई बेवा गोपीलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.206	0.002
12	43/1/3	जगन्नाथ पिता गिरधारी कंचनबाई पति जगन्नाथ जाती लोधा	गोपालपुरा	0.206	0.003
13	43/2	श्रीलाल हरलाल मोहन पिता चन्ना जाती लोधा	गोपालपुरा	0.309	0.002
14	43/3	जानकीलाल पिता उकार बंदी पिता रथिया जाती लोधा	गोपालपुरा	0.308	0.002

15	43/4/1	श्रीलाल हरलाल मोहनलाल पिता चतरा रोडीबाई चम्पीबाई धापूबाई जमनाबाई शांतिबाई पुत्री चतरा जाति लोधा	गोपालपुरा	0.617	0.002
16	43/4/2/1	राधेलाल पिता शोला जाती लोधा	गोपालपुरा	0.309	0.002
17	43/4/2/2	उकार पिता शोला जाती लोधा	गोपालपुरा	0.308	0.002
18	2/82	गजन्द परमानन्द जमनालाल दुलीचंद पिता रामनारायण जाती लोधा	गोपालपुरा	0.454	0.007
19	18	बलराम मुरली पिता जैलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.356	0.014
20	2/19	धन्ना पिता मांगीलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	1.263	0.004
21	2/51	रामगोपाल पिता धुरीलाल जाती लोधा	गोपालपुरा	0.278	0.005
22	16/1	बीरम पिता घीसा जमनालाल हरीसिंह गुलाबचंद पिता घीसा ना.बा.सर.पर. माता प्रेमबाई पति घीसा जाति लोधा	गोपालपुरा	0.306	0.001
23	2/90/5	फूलचंद पिता गोविन्द जाती लोधा	गोपालपुरा	0.631	0.003
24	2/92	प्रभुलाल पिता आसारम जाती लोधा	गोपालपुरा	0.316	0.017
25	15	गोरधनपिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाईबेवाअमराजानी पिता अमरा जाति लोधा	गोपालपुरा	0.053	0.002
26	15	गोरधन पिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाई बेवा अमराजानी पिता अमरा जाति लोधा	गोपालपुरा	0.053	0.012
27	2/88	गोरधन पिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाई बेवा अमराजानी पिता अमरा जाति लोधा	गोपालपुरा	0.262	0.005
28	2/85/3	बद्री पिता आसाराम जाती लोधा	गोपालपुरा	0.052	0.0004
29	2/70/3	नन्दराम बरदालाल पिता नाथू जाती लोधा	गोपालपुरा	0.212	0.016
30	2/89/1	रामनारायण दानमल पिता गोविन्द जाती लोधा	गोपालपुरा	0.087	0.007
कुल योग	30			8.195	0.149

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम रूघनाथपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रूघनाथपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम -रूघनाथपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुरा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	8	पन्नलाल गोविन्द बाबूलाल आ रतनलाल कलाबाई पुत्री रतनलाल कालीबाई बेवा रतनलाल मोतीलाल मांगीलाल हजरीलाल पुत्र रामलाल जाती लोढ़ा	रूघनाथपुरा	0.429	0.009
2	9/1	श्रीलाल , पप्पू पिता कनीराम जाती लोढ़ा	रूघनाथपुरा	0.223	0.003
3	9/2	बीरम पिता प्यारा जाती लोढ़ा	रूघनाथपुरा	0.223	0.002
4	10/1	मांग्या रूघनाथ पिता रमा जाती लोढ़ा	रूघनाथपुरा	0.252	0.005
5	10/2	बीरम पिता प्यारा जाती लोढ़ा	रूघनाथपुरा	0.422	0.005
6	10/3	श्रीलाल पप्पू पिता कनीराम जाती लोढ़ा	रूघनाथपुरा	0.422	0.005
<b>कुल योग</b>	<b>6</b>			<b>1.971</b>	<b>0.029</b>



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम चमारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम चमारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - चमारी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	15/44	चन्दालाल श्रीलाल मांगीलाल पिता भंवरिया, गुलाबबाई केशरबाई धापूबाई शैतानबाई पुत्रीया भंवरिया, मु.हरकूबाई बैवा भंवरिया, कन्हैयालाल बीरमलाल प्रभूलाल बापूलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई मथरीबाई पुत्रीया अमरसिंह,बीरम कमलाबाई मांगीबाई प्रेमबाई लीलाबाई पांचीबाई पिता हीरा राधीबाई बेवा हीरा जाति लौड़ा	चमारी	1.263	0.038
2	15/64	गोपीलाल पिता बक्षु जाती लोढ़ा	चमारी	1.392	0.019
3	15/45	किशन नंदा मोतीलाल पिता प्यारा अमरिबे बैवा प्यारा जाति लोढ़ा	चमारी	0.757	0.019
कुल योग	3			3.412	0.076

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम पपड़ेल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पपड़ेल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरुपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - पपड़ेल		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	1/26	युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	0.152	0.007
2	1/32	युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	0.025	0.007
3	1/40	युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	0.285	0.008
4	1/26	युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	0.152	0.004
5	1/32	युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	0.025	0.004
6	1/40	युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	0.285	0.003
7	4/1/1	श्यामकुंवर पति युवराजसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	1.161	0.014
8	4/1/2	कृष्णा कुंवर पति हरपालसिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	1.160	0.015
9	16/1/1	हरपालसिंह पिता राजेंद्र जाती राजपूत	पपड़ेल	4.153	0.003
10	16/2/2/3	बृजराज पिता लक्ष्मण सिंह जाती राजपूत	पपड़ेल	3.045	0.003
<b>कुल योग</b>	<b>10</b>			<b>10.443</b>	<b>0.068</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक 9 सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम हरिपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम हरिपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - हरिपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	160/1	देवलाल पिता नाथू मांगीलाल पिता मदनलाल कमलीबाई पुत्री मदनलाल जाति लोडा	हरिपुरा	0.221	0.004
2	160/2	मांगीलाल पिता रामलाल मेवाबाई कंचनबाई पुत्रिया रामलाल धन्नीबाई बेवा रामलाल जाति लोडा	हरिपुरा	0.220	0.004
3	55	देवीसिंह पिता रतनसिंह जाती राजपूत	हरिपुरा	0.254	0.006
4	398	श्रीमती हरकूबाई पति गोपीलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.393	0.008
5	53/2	रघुनाथ कनीराम पिता रतनलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.404	0.0007
6	57/1,	गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.032	0.001
7	57/2	संतराबाई बेवा रामनारायण बद्रीलाल मांगीलाल हीरालाल जगदीशप्रसाद पिता गोपीलाल जाति लोडा	हरिपुरा	0.033	0.001
8	58/1	बीरम कमलीबाई पिता घीसा मथरी बाई बेवा घीसा रतन पिता प्यारा जाति लोडा	हरिपुरा	0.063	0.001
9	58/2	श्रीमती हरकूबाई पति गोपीलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.062	0.001
10	61/1	गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.324	0.003

11	61/2	गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाति लोडा	हरिपुरा	0.324	0.003
12	277/285/1	किशन पिता रत्ता जाती लोडा	हरिपुरा	0.253	0.014
13	26/444	मांगीलाल पिता पुरीलाल जाति लोडा बापूलाल पिता पुरीलाल नानुराम पिता पुरीलाल जाति लोडा हेमराज पिता पुरीलाल जाति लोडा	हरिपुरा	0.239	0.005
14	80	मांगीलाल पिता पुरीलाल जाति लोडा बापूलाल पिता पुरीलाल नानुराम पिता पुरीलाल जाति लोडा हेमराज पिता पुरीलाल जाति लोडा	हरिपुरा	0.595	0.005
15	79/1	चतरी धापू पिता किशोर आ शोला जाती लोडा	हरिपुरा	0.110	0.002
16	82/1/1	हीरालाल पिता कनीराम जाती लोडा	हरिपुरा	0.073	0.001
17	82/1/2	रमेश पिता बीरम जाति लोडा प्रेमसिंह पिता बीरम जाति लोडा	हरिपुरा	0.037	0.001
18	14/401	बंशीलाल पिता भवरलाल गुलाब बाई पुत्री भवरलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.053	0.001
19	341/4/1	बिराम पिता अमरलाल जाती लोडा	हरिपुरा	0.062	0.002
20	14/3/59	गोपी पिता रामकिशन जाती भील	हरिपुरा	0.500	0.002
21	87/1	रामा पिता उकार जाती लोडा	हरिपुरा	0.322	0.002
22	87/2/1	नारायण पिता प्यारा भावरीबाई पुत्री प्यारा धापूबाई बेवा प्यारा जाती लोडा	हरिपुरा	0.222	0.002
23	87/2/2	पाचीबाई पिता बिराम जाती लोडा	हरिपुरा	0.1000	0.003
24	88/1	मांगीलाल पिता किशन जाती लोडा	हरिपुरा	0.214	0.005
25	88/2	मांगीलाल पिता किशन जाती लोडा	हरिपुरा	0.251	0.005
26	86/2	गोपाल पिता काशीराम जाती लोडा	हरिपुरा	0.012	0.002
27	86/3/1	मांगीबाई पिता भेरू जाती लोडा	हरिपुरा	0.308	0.002
28	89	मांगीलाल पिता किशन जाती लोडा	हरिपुरा	0.202	0.005
29	14/3/54	मांगीलाल पिता नंदलाल जाती भील	हरिपुरा	0.500	0.014
30	14/3/58	प्रभू पिता मदन जाती भील	हरिपुरा	0.500	0.008
31	14/435/2	बीरम जगन्नाथ पिता मोती भावरीबाई बेवा मोती जाती लोडा	हरिपुरा	0.114	0.001
<b>कुल योग</b>	<b>31</b>			<b>6.997</b>	<b>0.115</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम -भूमरिया		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	474/1/1/6	बीरम पिता किशन जाती भोल	भूमरिया	0.425	0.019
2	492/1	कवरलाल पिता मोतीलाल जाती भोल	भूमरिया	0.500	0.015
कुल योग	2			0.925	0.034

क्र. 2863-भू-अर्जन-2023

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम मदनपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मदनपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - मदनपुरा			तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	151/1	उकार पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.140	0.003
2	151/2	गंगारम पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.140	0.003
3	151/3	रुघनाथ पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.140	0.003
4	151/4	नारायण पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.139	0.003
5	275/141/1	कनीराम पिता दोला जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.147	0.003
6	275/141/2	अमरसिंह पिता दोला जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.147	0.003
7	275/141/3	शंकर पिता दोला जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.148	0.002
8	148/1/1	उकार पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.127	0.003
9	148/1/2	गंगारम पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.126	0.003
10	148/1/3	रुघनाथ पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.126	0.003
11	148/1/4	नारायण पिता भेरु जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.126	0.002
12	141/1	केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई देवा गिरधारी जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.517	0.001
13	141/6	भेरु पिता रामलाल जाती चमार	मदनपुरा	0.291	0.001
14	141/7	केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई देवा गिरधारी जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.012	0.001
15	141/9/1	भवरलाल पिता कालू जाती चमार	मदनपुरा	1.641	0.001
16	141/9/2	बिराम पिता किशन जाती चमार	मदनपुरा	1.351	0.001

17	141/9/3	गोरीलाल पिता लछमन जाती चमार	मदनपुरा	1.381	0.001
18	141/9/4	घनश्याम पिता लछमन जाती चमार	मदनपुरा	1.381	0.001
19	141/9/5	रमेश पिता किशन जाती चमार	मदनपुरा	1.381	0.001
20	141/18	कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई बेवा गोपी जाती चमार	मदनपुरा	0.255	0.001
21	141/19	कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई बेवा गोपी जाती चमार	मदनपुरा	0.251	0.001
22	148/1/1	उकार पिता भेरू जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.127	0.003
23	148/1/2	गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.126	0.003
24	148/1/3	रुघनाथ पिता भेरू जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.126	0.003
25	148/1/4	नारायण पिता भेरू जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.126	0.002
26	141/1	केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.517	0.001
27	141/6	भेरू पिता रामलाल जाती चमार	मदनपुरा	0.291	0.001
28	141/7	केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.012	0.001
29	141/9/1	भवरलाल पिता कालू जाती चमार	मदनपुरा	1.641	0.001
30	141/9/2	बिराम पिता किशन जाती चमार	मदनपुरा	1.351	0.001
31	141/9/3	गोरीलाल पिता लछमन जाती चमार	मदनपुरा	1.381	0.001
32	141/9/4	घनश्याम पिता लछमन जाती चमार	मदनपुरा	1.381	0.001
33	141/9/5	रमेश पिता किशन जाती चमार	मदनपुरा	1.381	0.001
34	141/18	कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई बेवा गोपी जाती चमार	मदनपुरा	0.255	0.001
35	141/19	कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई बेवा गोपी जाती चमार	मदनपुरा	0.251	0.001
36	62/2	केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.255	0.004
37	45/1	मोहनलाल फूलसिंह नाराणसिंह प्रेमसिंह पाचू आ वशीलाल भावरीबाई बेवा वशीलाल लीलाबाई	मदनपुरा	0.09	0.001
38	45/2	मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.09	0.001
39	45/3/1	अमरा बिराम पिता गढवा जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.18	0.001
40	45/3/2	बनेसिंह पिता चम्पा जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.361	0.001

41	45/3/3	चम्पा पिता आ दोला अमरा बिराम आ गब्बा धापूबाई आ गब्बा जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.012	0.001
42	46/1	मोहनलाल फूलसिंह नारनसिंह प्रेमसिंह पाचू आ वंशीलाल लीलाबाई गीताबाई पुत्री वंशीलाल जाती	मदनपुरा	0.099	0.003
43	46/2	मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.099	0.002
44	46/3/1	अमरा बिराम पिता गब्बा जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.2	0.002
45	46/3/2	बनेसिंह पिता चम्पा जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.361	0.002
46	35	गेंदा पिता किशन धुलीबाई पुत्री किशन मु गौरा बेवा किशन आमरा बक्षु पिता सेवा जाती	मदनपुरा	0.959	0.008
47	47/13	उकार पिता रामलाल जाती नाई	मदनपुरा	0.249	0.008
48	207/47	हिरा पिता खेमा जाती लोढ़ा	मदनपुरा	0.707	0.021
<b>कुल योग</b>	<b>48</b>			<b>22.595</b>	<b>0.117</b>



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोगता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सतनखेडी तहसील खिलचौपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सतनखेडी तहसील खिलचौपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - सतनखेडी			तहसील - खिलचौपुर (टप्पा - भोजपुर)		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	36/16/2	कालू मानसिंह आ सेवा मांगीलाल आ पारथी मनोहरमसीह ना. बा. आ. पारथी सर माता बदन बाई बेवा पारथी व बदन बेवा पारथी संतोष ना बा पुत्री पारथी पप्पू पवन आ रोड़ा कमल ना बा आ रोड़ा सर पर प. माता गोरा बेवा रोड़ा गोरी बेवा रोड़ा जताई चमार सरपस्त भाई मांगीलाल पिता पारथी मानसिंह कालू पिता सेवा बा आ रोड़ा सर प माता गोरा बेवा रोड़ा गोरी बेवा रोड़ा जाती चमार	सतनखेडी	0.809	0.009
2	36/15	रूपा मांगीलाल केशर पिता घिसा जाती चमार	सतनखेडी	3.137	0.01
3	36/19/1/2	कालू पिता रतनलाल छिता बाई बेवा रतनलाल जाती साँधिया	सतनखेडी	0.843	0.001
4	223/1/1	महेंद्र सिंह पिता दुलेसिंह जाती राजपूत	सतनखेडी	0.518	0.002
5	223/1/2	योगेंद्र सिंह पिता दुलेसिंह जाती राजपूत	सतनखेडी	0.519	0.002
6	223/2	आनर गणपत पिता हिरा राधा बेवा श्रिया बालीबाई बेवा गिरवर जाती साँधिया	सतनखेडी	0.012	0.002
7	223/3	गणपत पिता हीरालाल जाती साँधिया	सतनखेडी	0.25	0.002
8	223/4	आनर पिता हिरा जाती साँधिया	सतनखेडी	0.25	0.002
9	223/5	कालू लीला पिता गिरवर बालीबाई बेवा गिरवर जाती साँधिया	सतनखेडी	0.25	0.002
10	223/6	रमेश पिता हिरा जाती साँधिया	सतनखेडी	0.25	0.002
11	219/1	बिरम सिंह कृष्णा बाई पिता नारन गीताबाई पिता नारन सिंह जाती साँधिया	सतनखेडी	0.424	0.004
12	219/2	भवरलाल पिता रुघनाथ जाती साँधिया	सतनखेडी	1.013	0.004
13	219/3	रतनसिंह पिता रुघनाथ जाती साँधिया	सतनखेडी	0.157	0.003
कुल योग	13			8.432	0.045

प्ररूप - घ					
(नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सेदरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सेदरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - सेदरी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	407/1	हरलाल पिता चम्पा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.569	0.004
2	407/2	गोवर्धन पिता गेंदा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.284	0.004
3	407/3	हरिसिंह पिता गेंदा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.284	0.004
4	604	गोरा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.869	0.028
5	604	गोरा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.869	0.007
6	405/1	हरिसिंह पिता लाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.443	0.004
7	405/2	राधेश्याम पिता लाला जाती लोढ़ा	सेदरी	0.443	0.004
8	404	गोवर्धन गीताराम पिता बक्षु सीमाबाई बेवा दुर्गालाल मधुबाई ना बलिक पुत्री दुर्गालाल संरक्षक माता सिमा बाई कनीराम पुत्र भवरिया पुरसिंह पिता शिवनारायण बापू पिता जगन्नाथ कंचनबाई बेवा जगन्नाथ सकू बाई बेवा बक्षु जाती लोढ़ा	सेदरी	0.673	0.008
9	395/1	बिराम पिता रमा जाती चमार	सेदरी	0.208	0.002
10	395/2	घनश्याम पर्वतसिंह पिता भवरलाल केशर बाई बेवा भवरलाल जाती चमार	सेदरी	0.234	0.002
11	395/3	बापू पिता गेंदा जाती चमार	सेदरी	0.210	0.002

12	395/4	शिव पिता रामा जाती चमार	सेदरी	0.182	0.001
13	559/451/2	बापू पिता जगन्नाथ जाती लोढ़ा	सेदरी	0.664	0.001
14	526/451/2	घिसी बाई बेवा गेंदा पन्नीबाई पुत्री गेंदा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.431	0.007
15	551/451	रामबगस पिता रतन हीरालाल पिता रतन जाती लोढ़ा	सेदरी	1.368	0.024
16	587/451	धुला पिता रामा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.684	0.002
17	385/1/2	गंगाराम पिता कालू जाती लोढ़ा	सेदरी	0.3	0.003
18	451/4/1/1	केशर पिता भोना भोना पिता गोपी जाती चमार	सेदरी	0.939	0.001
19	451/4/1/2	पाच्या पिता घिसा भूली पत्नी पाच्या जाती चमार	सेदरी	0.939	0.001
20	451/4/1/3	देवीसिंह पिता रतन हेमलता पत्नी देविसिंह जाती चमार	सेदरी	1.129	0.001
21	451/4/1/4	मांग्या पिता उदा कमली पत्नी मांग्या जाती चमार	सेदरी	0.711	0.001
22	451/4/1/5	देवा पिता उदा कमली पत्नी देवा जाती चमार	सेदरी	0.71	0.001
23	451/4/1/10	बिराम पिता रामा मागि पति बिराम जाती चमार	सेदरी	0.023	0.001
24	451/4/1/11	शिव पिता रामा गीता पत्नी शिव जाती चमार	सेदरी	0.023	0.001
25	451/5/1	बापूलाल पिता पुरिया करणसिंह राधेश्यम पिता बंशीलाल मु अरकूबाई बेवा वंशीलाल शांतिबाई बेवा किशनलाल रामचंद्र बजेसिंह पिता किशनलाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.506	0.001
26	451/5/2	भावरीबाई शांतिबाई रामलाल लालसिंह पिता धुला जाती लोढ़ा	सेदरी	0.505	0.001
27	451/6	भूली पुत्री धुला जाती लोढ़ा	सेदरी	0.382	0.001
28	451/7	शिव आमरी आ प्यारा प्रभु कनीराम बापू आ अमरा जाती लोढ़ा	सेदरी	1.141	0.001
29	451/8/1	अमरसिंह पिता पाचा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.547	0.001

30	451/8/2	चंपा पिता छिता अमरा पत्नी छिता जाती लोढ़ा	सेदरी	0.137	0.001
31	451/8/3	बापू पिता छिता जाती लोढ़ा	सेदरी	0.137	0.001
32	451/8/4	मदन पिता गोपी जाती लोढ़ा	सेदरी	0.274	0.001
33	451/8/5	धुलीलाल कनीराम पिता रामा किशन पिता पूरा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.548	0.001
34	451/9	घिसा पिता किशोर लिम्बा पिता सुराज्या जाती लोढ़ा	सेदरी	1.773	0.001
35	451/10/1	मांगीलाल करणसिंह पिता बापुलाल मु चम्पीबाई बेवा बापुलाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.152	0.001
36	451/10/2	देवीराम पिता हिरा करणसिंह पिता रामलाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.607	0.001
37	451/12/1	नारन पिता घिसा जाती चमार	सेदरी	1.162	0.001
38	451/12/2	गब्बा पिता घिसा जाती चमार	सेदरी	1.162	0.001
39	451/12/3	अमरा पिता देवा जाती चमार	सेदरी	1.334	0.001
40	451/12/4	पप्पू पिता रतन धीसीबाई पत्नी पप्पू जाती चामर	सेदरी	1.332	0.001
41	451/12/5	कालू पिता पूरा जाती चामर	सेदरी	1.50	0.001
42	451/12/6	घनश्याम पिता भवरिया नोरंगबाई पति घनश्याम जाती चामर	सेदरी	1.50	0.001
43	451/12/7	शंकर पिता गोपी मांगीबाई पत्नी शंकर जाती चामर	सेदरी	1.162	0.001
44	451/12/8	फ़तेह पिता मांग्या जाती चामर	सेदरी	1.334	0.001
45	451/12/9	मोहन पिता भोना कंचन बाई पति मोहन जाती चमार	सेदरी	1.334	0.001
46	451/12/10	जगदीश पिता बिराम जाती चमार	सेदरी	1.358	0.001
47	451/12/11	पप्पू पिता मांग्या जाती चमार	सेदरी	1.334	0.001
48	451/12/51	मांग्या देव्या आ उदा जाती चमार	सेदरी	0.745	0.002
49	451/12/53	मदन उर्फ गब्बा पिता घिसा पाचु नारायण पिता घिसा प्रेमबाई पुत्री घिसा गोपिया पिता रामा जाती राधेश्याम पिता मांग्या काली पत्नी राधेश्याम जाती चमार	सेदरी	1.238	0.002
50	451/4/1/12	राधेश्याम पिता मांग्या काली पत्नी राधेश्याम जाती चमार	सेदरी	1.000	0.022

51	451/4/1/9	भवरलाल पिता गेंदा केशर पत्नी भवरलाल जाती चमार	सेदरी	0.716	0.002
52	451/4/1/8	पूरा पिता गेंदा हरकु पत्नी पूरा जाती चमार	सेदरी	0.716	0.01
53	451/4/1/7	बापू पिता गेंदा कंचन पत्नी बापू जाती चमार	सेदरी	0.716	0.011
54	451/4/1/6	रतन पिता मांग्या कंचन पत्नी रतन जाती चमार	सेदरी	0.595	0.008
55	553/451/1/1	बापूलाल पिता घिसा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.270	0.004
56	553/451/1/2	रामचंद्र पिता घिसालाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.269	0.004
57	553/451/1/3	करणसिंह पत्नी घिसालाल जाती लोढ़ा	सेदरी	0.270	0.004
58	553/451/2	कचनबाई पुत्रा गोरया रामसिंह पिता गोरया जाती लोढ़ा	सेदरी	0.81	0.004
59	464/451/1	रायसिंह पिता गोपी बापू पिता नाथू मांगीबाई बेवा नाथू प्रभु पिता हरलाल मोती पिता भावना	सेदरी	0.036	0.01
60	372	गोपी पन्ना पिता नंदा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.607	0.007
61	371/2	धुला पिता घिसा जाती लोढ़ा	सेदरी	0.506	0.018
<b>कुल योग</b>	<b>61</b>			<b>42.904</b>	<b>0.245</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक 9 सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - समेली		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	183	हजारीलाल आ भवरलाल सुन्दर आ भवरलाल रतन कवरलाल कैलाश रमेश राधेश्याम आ ग्यारसीराम कस्तूरा बेवा ग्यारसीराम जाती लुहार	समेली	0.493	0.007
2	202/34	सीताराम बद्रीलाल पिता किशनलाल बिराम कालू पिता प्रेम पानी बाई बेवा प्रेम नानूराम प्रभुलाल रामप्रसाद पिता भूरा धापूबाई बेवा मांगीलाल कमली बाई पुत्री भूरा बालू ना बा पिता मांगीलाल जाती चमार	समेली	0.898	0.007
3	220/202/3/2	रामप्रसाद पिता मदन जाती लोढ़ा	समेली	0.213	0.002
4	220/202/1	बालूसिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.320	0.004
5	220/202/2/1	शंकरलाल पिता मदनलाल जाती लोढ़ा	समेली	0.1060	0.004
6	185/1	एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत	समेली	0.455	0.002
7	186/2/1	भवरलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत	समेली	0.165	0.006
8	186/2/2	मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत	समेली	0.165	0.006

9	187/1	वीरसिंह सुल्तानसिंह पिता भवाईसिंह जाती राजपूत	समेलो	0.012	0.005
10	188/1/2	मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत	समेलो	0.092	0.009
11	190/1/1	भवरलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत	समेलो	0.170	0.020
12	190/1/2	मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत	समेली	0.171	0.022
13	190/2	एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत	समेली	0.342	0.022
14	190/1/2	मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत	समेलो	0.171	0.004
15	190/2	एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत	समेली	0.342	0.004
16	191/1	श्यामसिंह पिता रघुवीर सिंह जाती राजपूत	समेली	0.354	0.006
17	191/2	भेरुसिंह पिता कल्याणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.354	0.006
18	193/1	सजनसिंह पिता करणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.134	0.002
19	193/2	भरतसिंह शंकरसिंह पिता गुलाब सिंह रतन कुंवर बेवा गुलाबसिंह जाती राजपूत	समेली	0.134	0.002
20	193/3	सुल्तानसिंह उकारसिंह पिता जसरथसिंह रतन कुंवर बेवा जसरथ सिंह जाती राजपूत	समेली	0.133	0.002
21	193/4	जुगरसिंह देवराजसिंह पिता भवरसिंह गुलाब बाई बेवा भवरसिंह जाती राजपूत	समेली	0.133	0.003
22	194/1/1	वीरसिंह बाबू सिंह पिता रेशम कुंवर बेवा रायसिंह जाती राजपूत	समेली	0.328	0.005
23	194/1/2	हिन्दुसिंह पिता पारथी सिंह जाती राजपूत	समेली	0.328	0.006
24	225/202/1	बालूसिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.275	0.004
25	225/202/2	भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.275	0.004
26	225/202/3	गोपालसिंह पिता नारन सिंह जाती राजपूत	समेली	0.275	0.004
27	225/202/4	नारायणसिंह पिता स्वरूपसिंह जाती राजपूत	समेली	0.826	0.004
28	202/8/1/1	भेरूलाल पिता रामप्रसाद बालू पिता मांगीलाल जाती चमार	समेली	0.340	0.008
29	202/8/1/2	वीर सिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत	समेली	0.340	0.008
30	202/8/2	जीतेन्द्र सिंह पिता मनोहर सिंह जाती राजपूत	समेली	0.505	0.007
31	172/1	बालू सिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.300	0.009

32	172/3	भगवन सिंह पिता नारान सिंह जाती राजपूत	समेली	0.300	0.010
33	157	लक्षमन सिंह पिता रामसिंह घीसालाल होकम सिंह पिता तखत सिंह रामपाल सिंह नाबालिक पिता तखत सिंह सरंक्षक माता रमेश कुंवर रमेश कुंवर बेवा तखतसिंह आनंद बंटी पुत्री तखतसिंह सोना नाबालिक पिता तखत सिंह सरंक्षक माता रमेश कुंवर जाती राजपूत	समेली	0.935	0.011
34	158/1	भगत सिंह पुरसिंह पिता चन्द्र सिंह जाती राजपूत	समेली	0.126	0.005
35	158/2	कंचनबाई पति बंशी जाती लोढ़ा	समेली	0.126	0.005
36	159/1	पप्पूसिंह पिता अर्जुनसिंह जाती राजपूत	समेली	0.203	0.002
37	159/2	भगत सिंह पुरसिंह पिता चन्द्र सिंह जाती राजपूत	समेली	0.202	0.002
38	205/202/1	गजराज सिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	समेली	0.246	0.008
39	161/2/1	बालूसिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत	समेली	0.097	0.007
40	164	मोजी बाई पत्नी नानूराम जाती चमार	समेली	0.178	0.003
41	163/2	हिन्दुसिंह पिता परथी सिंह जाती राजपूत	समेली	0.190	0.008
42	150/1	वीरसिंह पिता बापूसिंह पिता रायसिंह मु. रेशम कुंवर बेवा रायसिंह जाती राजपूत	समेली	0.190	0.001
43	150/2	हिन्दुसिंह पिता परथी सिंह जाती राजपूत	समेली	0.190	0.001
<b>कुल योग</b>	<b>43</b>			<b>12.132</b>	<b>0.267</b>



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012(क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम देहरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम देहरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - देहरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	7	नन्दसिंह पिता माधोसिंह जाती राजपूत	देहरा	0.530	0.002
2	6	विक्रम सिंह पिता नारान सिंह जगदीश सिंह पिता नारान सिंह जाती राजपूत	देहरा	0.012	0.0007
3	7	नन्दसिंह पिता माधोसिंह जाती राजपूत	देहरा	0.530	0.006
4	18/1	महावीर पिता रामसिंह जाती राजपूत	देहरा	0.070	0.001
5	18/2	सरदार सिंह पिता रामसिंह जाती राजपूत	देहरा	0.069	0.001
6	17	रमा मानसिंह प्रभु पिता अमरा करणसिंह भरतसिंह पुरसिंह पिता राधाकिशन मु. गजरीबाई बेवा राधाकिशन गुडडी बाई पिता राधाकिशन सूनन देविसिंह रंगलाल पिता कास्या मु. भावरीबाई बेवा कास्या मोती मोहनलाल कवरलाल आ नाथू गुलाब बाई बेवा नाथू जाती लोढ़ा	देहरा	0.449	0.006
7	24	मोती मोहन पिता नाथू गुलाब बाई बेवा नाथू जाती लोढ़ा	देहरा	0.417	0.007
8	25/2	हजारीलाल पिता भावना जाती लोढ़ा	देहरा	0.038	0.003
9	26/1	प्रभुलाल पिता मांगीलाल अमरा पिता घिसा जाती लोढ़ा	देहरा	0.097	0.001

10	26/2	बिराम पिता हजारी हजारी पिता भेना जाती लोढ़ा	देहरा	0.097	0.001
11	26/3	नाथू पिता बक्सु गुलाब बाई पिता बक्सु गुलाब बाई पति बक्सु कमल बाई गुड्डी बाई शारदा बाई सुनीता देवी पिता बक्सु जाती चमार कालू पिता मांग्या मदन पिता मांग्या नानूराम पिता मांग्या जाती चमार	देहरा	0.097	0.001
12	27/2	चम्पा पिता श्रिया जाती लोढ़ा	देहरा	0.284	0.003
13	27/3	कालीबाई बेवा बद्रीलाल इन्दर सिंह हेमराज ना बा पिता बद्रीलाल रामलाल गेंदालाल बजेसिंह पिता कवरलाल कलावती पिता कवरलाल सुगन बाई पिता कवरलाल घिसीबाई बेवा कवरलाल जाती लोढ़ा	देहरा	0.285	0.003
14	27/4	रामसिंह मानसिंह प्रभु पिता मांग्या अमरिबाई बेवा मांग्या जाती लोढ़ा	देहरा	0.284	0.004
कुल योग	14			3.259	0.0397

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम कोटड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कोटड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - कोटड़ा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	29/1	नारायणसिंह भवरलाल हीरालाल पिता मायाराम जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.506	0.005
2	29/2	गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह पाचूलाल चैनसिंह नारायणसिंह पिता नानूराम रामकुबाई बेवा नानूराम रामसागर पवन ना. बा. अ.पा. कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल शैतान बाई बेवा प्रभुलाल जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.169	0.005
3	29/3	बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.168	0.005
4	29/4	गंगाराम पिता कवरिया जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.169	0.005
5	32	किसनलाल नारान सिंह , भवरलाल , हीरालाल पिता मायाराम' बरजी बेवा मायाराम जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.202	0.010
6	1/11/1	नारान पिता परसा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.843	0.006
7	1/11/2	मेहताब पिता परसा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.843	0.006
8	1/11/3	मांगीलाल घनश्याम पिता किशन जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.843	0.006
9	35	भेरूलाल लालसिंह रामचंद्र आ श्रीलाल गुलाब सौरम ना. बा आ गोपाल सर माता कस्तूरी बाई बेवा गोपाल जाती लोढ़ा	कोटड़ा	1.073	0.008

10	176/1/1	बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.301	0.005
11	176/1/2	गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह पाचूलाल चैनसिंह नारायणसिंह पिता नानूराम रामकुबाई बेवा नानूराम सागर पवन ना बा अ पा कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.602	0.005
12	207/1/1	नारन पिता परसा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.156	0.003
13	207/1/2	मेहताब पिता परसा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.157	0.002
14	195/1/3	मांगीलाल घनश्याम पिता किशन जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.191	0.002
15	208/1/1	बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.292	0.006
16	208/1/2	गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह पाचूलाल चैनसिंह नारायणसिंह पिता नानूराम रामकुबाई बेवा नानूराम सागर पवन ना बा अ पा कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.583	0.006
17	22/1	मेहताब अमरा भेरूलाल नाथूलाल रामलाल पाचीबाई पिता देवीराम	कोटड़ा	0.607	0.012
18	30/1	भेरूलाल लालसिंह रामचंद्र आ श्रीलाल गुलाब सौरम ना. बा आ गोपाल सर माता कस्तूरी बाई बेवा गोपाल जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.113	0.004
19	29/1	नारान सिंह , भवरलाल ,हीरालाल पिता मायाराम जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.506	0.002
20	29/3	बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.168	0.002
21	29/4	गंगाराम पिता कावरिया जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.169	0.002
22	27/1	देवीसिंह , मांगीलाल पिता गणेश जाती लोढ़ा	कोटड़ा	0.113	0.004
<b>कुल योग</b>	<b>22</b>			<b>8.774</b>	<b>0.111</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समामान स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - परसपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	103/1	लक्ष्मण भवरलाल मेहताब पिता श्रीलाल गंगा बेवा श्रीलाल मांगीलाल राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण रामकुबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.494	0.003
2	110/1	लक्ष्मण भवरलाल मेहताब पिता श्रीलाल गंगा बेवा श्रीलाल मांगीलाल राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण रामकुबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.517	0.008
3	97/1	सानसिंह रतन पिता सालग्या मु. पाचूबाई बेवा सालग्या रामनारायण लालसिंह पिता प्रल्हाद जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.821	0.007
4	22/1	भेरु पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.129	0.002
5	22/2	चेना पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.129	0.002
6	22/3	मांगीलाल पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.130	0.002
7	22/4	राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोढ़ा	परसपुरा	0.130	0.001
8	1/1/1	शंकर पिता छिता जाती चमार	परसपुरा	1.090	0.002
9	1/1/2	नारायण पिता देवा जाती चमार	परसपुरा	1.900	0.002
10	1/1/3	मांग्या पिता लच्छा जाती चमार	परसपुरा	1.090	0.002
11	1/1/4	मांग्या पिता नाथू जाती चमार	परसपुरा	1.091	0.002
12	1/1/5	बापू पिता खेमा जाती चमार	परसपुरा	1.090	0.002
13	1/1/6	बरादा पिता खेमा जाती चमार	परसपुरा	1.090	0.002
14	1/1/7	रमेश पिता हरला जाती चमार	परसपुरा	1.090	0.002
15	1/1/8	मांग्या पिता धुला जाती चमार	परसपुरा	1.090	0.002
16	1/1/9	नारान पिता गोपी जाती चमार	परसपुरा	1.091	0.002
17	1/2	भवरलाल पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	परसपुरा	1.900	0.002
कुल योग	17			14.872	0.045

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम <b>तलावडी</b> तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम <b>तलावडी</b> तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - तलावडी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	42/1	बापू पिता गोपिया नन्दूबाई बेवा भवरलाल चन्दा पिता भवरलाल जाती लोढ़ा	तलावडी	0.861	0.018
2	39/1	कालू पिता धीरा जाती लोढ़ा	तलावडी	0.030	0.002
3	39/4	भवरलाल , मोहनलाल , बट्टीलाल पिता नंदा किशना पिता धन्ना जाती लोढ़ा	तलावडी	0.030	0.002
4	39/5	अमरसिंह पिता भावना किशना पिता धन्ना जाती लोढ़ा	तलावडी	0.029	0.002
5	39/6	मोती पिता भावना किशना पिता धन्ना जाती लोढ़ा	तलावडी	0.029	0.002
6	34/1	बापू पिता गोपिया नन्दूबाई बेवा भवरलाल चन्दा पिता भवरलाल जाती लोढ़ा	तलावडी	0.166	0.003
7	34/2/2	जड़ाव बाई पति बापूलाल जाती लोढ़ा	तलावडी	0.329	0.003
कुल योग	7			1.474	0.032

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पुरा सेवनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पुरा सेवनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम -पुरा सेवनी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	87	मांगीलाल पिता पैमा जाती लोढ़ा	पुरा सेवनी	0.636	0.025
2	86	रतन बाई बेवा चम्पा रामबाबू पिता चम्पा गीताबाई कलावती सुनीताबाई मंजूबाई पुत्री चम्पा धीसीबाई पिता रोडजी मेहताब श्रीलाल पुरीबाई पुत्री रोडजी चम्पीबाई केशर बाई पुत्री रोडजी गोपी उदी धापू पुत्री खेमा जाती लोढ़ा	पुरा सेवनी	0.709	0.002
कुल योग	2			1.345	0.027

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईटट परियोजना से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - मोतीपुरा		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	116/1/5/1	बजेसिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.334	0.006
2	116/1/5/3	सुल्तानसिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.333	0.005
3	116/1/4/1	प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.404	0.003
4	116/1/4/2	बिराम सिंह पिता नारायणसिंह जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.243	0.003
5	116/1/4/4	भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.271	0.002
6	116/1/4/5	अनार सिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.431	0.002
7	116/1/4/6	कवरलाल पिता धीरपसिंह केशर बाई बेवा धीरप सिंह जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.442	0.003
8	116/1/8/2	चंदरसिंह पिता हीरालाल जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.654	0.007
9	116/1/6/1	देवीलाल पिता पूरा जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.809	0.023
10	116/2/2/1	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.565	0.002
11	116/2/2/2	लक्ष्मीनारायण पिता गंगाराम जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.565	0.002
12	116/2/2/3	लीलाबाई बेवा देवीसिंह कुमरसिंह कृपालसिंह पिता देवीसिंह जाती साँधिया	मोतीपुरा	0.565	0.002
13	116/3/2	नारायणसिंह पिता पुरजी जाती साँधिया	मोतीपुरा	1.700	0.019
कुल योग	13			7.316	0.079



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम <b>ढाबली कला</b> तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम <b>ढाबली कला</b> तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - ढाबली कला		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	691/24/1	लक्ष्मी बाई बेवाकैन्हयालाल मधु शिवानी ज्योति कुमकुम कुलदीप ना. बा. पिता कैन्हयालाल सर परास्त माता लक्ष्मी बाई बेवा कैन्हयालाल जाती बिराजा	ढाबली कला	0.516	0.020
2	691/24/1	लक्ष्मी बाई बेवाकैन्हयालाल मधु शिवानी ज्योति कुमकुम कुलदीप ना. बा. पिता कैन्हयालाल सर परास्त माता लक्ष्मी बाई बेवा कैन्हयालाल जाती बिराजा	ढाबली कला	0.516	0.010
3	691/28/25	दयाराम पिता रामचंद्र जाती बिराजा	ढाबली कला	1.927	0.016
4	691/28/3	ब्रंकट पिता क्षन्दूलाल पिराग पिता बंकदलाल जाती नट	ढाबली कला	1.142	0.017
5	691/28/24	चोथमल पिता रामचंद्र कमलेश पति चोथमल जाती बिराजा	ढाबली कला	1.927	0.008
6	691/28/13	छीतर पिता उकार गुलाब पति छीतर जाती चमार	ढाबली कला	0.703	0.017

7	691/44/1	प्रभुदयाल राधेश्याम शिवनारायण पिता लक्ष्मण बादनबाई बेवा लक्ष्मण जाती बलाई	ढाबली कला	2.905	0.007
8	652/1/1/2	प्रकाश कुंवर पति अनोपसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.123	0.003
9	652/2/2	हंस कुंवर बेवा रघुनाथ सिंह भवरलाल पिता रघुनाथ सिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.409	0.003
10	652/2/3/2	प्रकाश कुंवर पति अनोपसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.162	0.004
11	651/1/1	चैनसिंह पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.619	0.002
12	651/1/2	दिलीपसिंह पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.619	0.002
13	651/2	धनराजसिंह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.506	0.003
14	650/1	अंत कुंवर पति प्रेमसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.505	0.004
15	646/1/1	धनराजसिंह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.484	0.002
16	646/1/1	धनराजसिंह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.484	0.001
17	605/1	बल्लभ सिंह पिता विक्रमसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.253	0.004
18	605/2	राजकुमारी पति ऋषिराज जाती राजपूत	ढाबली कला	0.253	0.005
19	607	होकमसिंह पिता प्रल्हादसिंह लांडकुंवर बेवा प्रल्हादसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.798	0.008
20	341	भरतसिंह हजारीसिंह पिता भवरजी भुरकवर श्यामकुंवर पुत्री भवरजी शविपालसिंह बलरामसिंह पिता रघुराजसिंह मंजू कुंवर पुत्री रघुराजसिंह आ पा क माता रतन कुंवर पति रघुराजसिंह मोहनसिंह शिवसिंह पिता खुमानसिंह जगदीश सिंह बजरंग सिंह दीपसिंह पिता समंदरसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.101	0.006
21	301	दशरथसिंह पिता आमानसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.227	0.006
22	306	वीरेन्द्रसिंह पिता रणवीरसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.138	0.001

23	307/1	कवरलाल प्रेमसिंह पिता मांगीलाल घीसीबाई कलाबाई शेतान बाई पुत्री मांगीलाल भावरीबाई बेवा मांगीलाल जाती संधिया	ढाबली कला	0.045	0.001
24	308/3	बापू पिता पुराजी जाती संधिया	ढाबली कला	0.042	0.001
25	250/1	वीरेन्द्रसिंह पिता रणवीर सिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.528	0.012
26	250/2	भवरसिंह विश्वनाथ सिंह गिरिराजसिंह पिता शिवराजसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.528	0.012
27	251/1	कुलदीपसिंह पिता धनराजसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.120	0.002
28	165/2	देवकुंवर पत्नी फूलसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.150	0.005
29	168	हरिसिंह पिता केशरसिंह जाती संधिया	ढाबली कला	0.214	0.004
30	169	श्रीलाल पिता केशरसिंह जाती संधिया	ढाबली कला	0.178	0.0007
31	123/1	योगेंद्रसिंह दीपसिंह पिता रोडूलाल दुधकुंवर पत्नी रोडूलाल जाती राजपूत	ढाबली कला	0.223	0.006
32	122/1/1	भवरलाल पिता देवा जाती संधिया	ढाबली कला	0.117	0.006
33	122/1/2	कालू पिता माधु धापू पत्नी स्व माधु जाती संधिया	ढाबली कला	0.117	0.006
34	122/2	कालू बाबरू पिता लछमन जाती संधिया	ढाबली कला	0.202	0.006
35	99/1/1	देवीसिंह पिता रघुराजसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.069	0.005
36	99/1/2	उमाकुंवर बेवा कमल सिंह राजू , रवि तमन्ना पिता कमलसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.069	0.005
37	99/2	आनोपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.215	0.005
38	99/3	आनोपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.101	0.004
39	98	गजराजसिंह पिता भगवतसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.227	0.003
40	97	मांगीलाल पिता घिसा जाती संधिया	ढाबली कला	0.279	0.004
41	96/2	कालू पिता घिसा जाती संधिया	ढाबली कला	0.026	0.004
42	53/2	राजपालसिंह पिता सिद्ध सिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.250	0.010
43	46/1	प्रभुनाथसिंह पिता सरूपसिंह दयालकुंवर लांडकुंवर भूलकुंवर गोविंदकुंवर पुत्री प्रभुनाथसिंह जाती राजपूत	ढाबली कला	0.072	0.010
44	2/8	दरयावबाई पति देविसिंह जाती चमार	ढाबली कला	0.470	0.010
45	1/20	गोकलबाई बेवा प्रेमसिंह संतोष बाई , बादाम , शांतिबाई पिता प्रेमसिंह	ढाबली कला	1.011	0.013
46	1/19	गोकलबाई बेवा प्रेमसिंह संतोष बाई , बादाम , शांतिबाई पिता प्रेमसिंह	ढाबली कला	0.506	0.010
<b>कुल योग</b>	<b>46</b>			<b>21.076</b>	<b>0.294</b>

प्ररूप - घ					
(नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम <b>मोकमपुरा</b> तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम <b>मोकमपुरा</b> तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - मोकमपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	1/1/9	रामसिंह पिता रोडजी जाती चमार	मोकमपुरा	1.179	0.009
2	1/1/8	प्रेम पिता गोपी जाती चमार	मोकमपुरा	1.257	0.017
3	1/1/2	कालू पिता रत्ता जाती चमार	मोकमपुरा	1.600	0.003
4	1/5/2	कनौराम पिता घिसा जाती चमार	मोकमपुरा	1.500	0.013
<b>कुल योग</b>	<b>4</b>			<b>5.536</b>	<b>0.042</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम बालियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बालियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगर्मा से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - बालियापुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	79/8	बिरमसीह पिता हरसिंह जाती साँधिया	बालियापुरा	0.340	0.011
2	79/7	प्रभु फतेसिंह रतन रोडजी पिता पूरा भूलीबाई बेवा पूरा , मदन गंभीर ,कवरलाल पिता रामा रतन पिता किशन धापू बेवा किशन जाती बलाई	बालियापुरा	0.911	0.0004
3	79/1/10	मांगीलाल पिता देवा जाती चमार	बालियापुरा	0.935	0.031
4	124/79/1	बिराम, भवरलाल पिता शिवसिंह जाती साँधिया	बालियापुरा	0.158	0.005
5	128/79/2/2	घीसालाल पिता प्रेमसिंह जाती साँधिया	बालियापुरा	0.203	0.007
6	123/79	भगवानसिंह पिता बापूलाल जाती साँधिया	बालियापुरा	0.392	0.005
7	129/79/1	देविसिंह आ जगन्नाथ सिंह जाती साँधिया	बालियापुरा	0.290	0.003
8	129/79/2	भगवानसिंह पिता बापूलाल जाती साँधिया	बालियापुरा	0.066	0.006
कुल योग	8			3.295	0.0684

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गूलखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गूलखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।					
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - गूलखेड़ी		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	135/46/1	भवरिया भोना गोप्या पिता मांग्या जाती चमार	गूलखेड़ी	0.546	0.017
2	132/46/1/1	बद्री गोवर्धन राधेश्याम पिता काना जाती चामर	गूलखेड़ी	0.135	0.004
3	133/46/2	संतोष बाई बेवा रमेश गोविन्द नाबालिक पिता रमेश जाती चमार	गूलखेड़ी	0.184	0.003
4	52/1/1	दुलेसिंह पिता अमरसिंह जाती सौंधिया	गूलखेड़ी	0.163	0.002
5	52/1/2	बालूसिंह पिता अनारसिंह जाती सौंधिया	गूलखेड़ी	0.163	0.002
6	52/1/3	सुल्तानसिंह पिता अनारसिंह जाती सौंधिया	गूलखेड़ी	0.163	0.002
7	52/1/4	प्रतापसिंह जसवन्तसिंह पिता भवरलाल रामकालाबाई रेखाबाई कैलाश बाई पिता भवरलाल गीताबाई बेवा भवरलाल नाराणसिंह पिता रूपसिंह जाती सौंधिया	गूलखेड़ी	0.245	0.002
8	46/6/9	पूरा पिता देवा जाती चमार	गूलखेड़ी	0.935	0.008
कुल योग	8			2.534	0.040

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - बड़बेली		तहसील -खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	203/1	हरिसिंह पिता भवरलाल रघुनाथ कालूराम शिवलाल मांगीबाई	बड़बेली	3.792	0.008
2	203/2/1	गंगाराम पिता कालू दरियावसिंह पर्वतसिंह दुलेसिंह मालसिंह	बड़बेली	1.238	0.005
3	203/2/2	नाथूलाल पिता पाचूलाल	बड़बेली	0.231	0.005
4	203/2/3	बिजेसिंह पिता रोडजी	बड़बेली	1.468	0.005
5	203/5/1	बिजेसिंह पिता रोडजी	बड़बेली	0.605	0.005
6	203/5/2	नाथूलाल पिता पाचूलाल	बड़बेली	0.605	0.005
7	182	गोविन्दसिंह पिता देवीसिंह	बड़बेली	1.477	0.01
8	183	राजनु वर बेवा कल्याणसिंह	बड़बेली	1.327	0.03
9	184/1	पूनमचंद पिता रोडजी	बड़बेली	0.644	0.014
10	184/2	लक्ष्मीनारायण शिवनारायण पिता घिसा	बड़बेली	0.644	0.014
11	184/3	धुलजी पिता प्रभुलाल	बड़बेली	0.643	0.014
12	173/1/1	अनारसिंह बशरह	बड़बेली	0.371	0.004
13	173/1/2	गोकुलबाई पति रामनारायण	बड़बेली	0.371	0.004
14	173/1/3	गोविन्दसिंह पिता देवीसिंह	बड़बेली	0.270	0.004
15	173/2/1	गोविन्दसिंह भरतसिंह पिता देवीसिंह	बड़बेली	0.941	0.004
16	173/2/2	जयपालसिंह पिता गोविन्दसिंह	बड़बेली	0.941	0.004

17	187/1	जगदीश पिता उकारबक्ष	बड़बेली	1.466	0.033
18	187/2	प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल	बड़बेली	1.354	0.033
19	189/1	जगदीश पिता उकारबक्ष	बड़बेली	0.625	0.003
20	189/2	प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल	बड़बेली	0.625	0.003
21	188/1	हेमराज पिता मांगीलाल	बड़बेली	0.184	0.0005
22	188/2	भावना पिता रघुनाथ	बड़बेली	0.184	0.005
23	190	गंगाराम पिता कालू	बड़बेली	1.631	0.043
24	153/1	गंगाराम पिता कालू	बड़बेली	0.695	0.009
25	153/2	भावना पिता रघुनाथ	बड़बेली	1.024	0.009
26	153/3	रायसिंह पिता भावना	बड़बेली	0.647	0.009
27	153/4	रायसिंह पिता भावना	बड़बेली	0.050	0.009
28	147/1	सुल्तानसिंह पिता नारायणसिंह	बड़बेली	0.359	0.003
29	147/2	धीरपसिंह बद्रीलाल बजेसिंह रामलाल पिता नरभसिंह	बड़बेली	0.358	0.003
30	147/3	इंदरसिंह लालजी पिता रोडजी	बड़बेली	0.358	0.005
31	146/1	सुरेश पिता रामनारायण	बड़बेली	1.305	0.018
32	146/2	शिवनारायण पिता प्रभुलाल	बड़बेली	0.589	0.019
33	145	मांगीबाई पति मांगीलाल	बड़बेली	0.749	0.021
34	142/1	देवीसिंह पिता खेमा	बड़बेली	0.915	0.001
35	142/2	घिसलाल पिता खेमा	बड़बेली	0.915	0.001
36	142/3	बाबरू पिता खेमा	बड़बेली	0.915	0.002
37	142/4	शिवचरण पिता रामनारायण	बड़बेली	0.812	0.001
38	142/5	महेश पिता बैजनाथ	बड़बेली	0.105	0.002
39	142/6	शिवनारायण पिता रतनलाल	बड़बेली	0.915	0.002
40	133/1	रामलाल पिता रतनलाल	बड़बेली	0.431	0.007
41	133/2	देवाबाई बेवा बैजनाथ	बड़बेली	0.255	0.008
42	133/3	मांगीलाल मुकेश रामनाथसिंह प्रेमसिंह पिता खूबान सिंह	बड़बेली	0.180	0.007
43	133/4	देवीसिंह पिता खेमा	बड़बेली	0.083	0.007
44	133/5	राधेश्याम दत्तक बाबरू	बड़बेली	0.398	0.007
45	133/6	घिसलाल पिता खेमा	बड़बेली	0.397	0.007
46	134	हरनाथसिंह पिता बहादुर	बड़बेली	0.543	0.022
47	135/1/1	युवराजसिंह पिता झुंजारसिंह	बड़बेली	0.402	0.01
48	135/1/2	शक्ति सिंह पिता झुंजारसिंह	बड़बेली	0.399	0.011



49	135/2/1	राजेन्द्रसिंह पिता भूपेंद्रसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह	बड़बेली	0.801	0.012
50	135/2/2	वीरेन्द्रसिंह जयराजसिंह पिता सुरेंद्र सिंह	बड़बेली	0.801	0.01
51	139/1	करणसिंह पिता रतनलाल	बड़बेली	0.300	0.004
52	139/2	जगन्नाथ पिता रतनलाल	बड़बेली	0.299	0.003
53	139/3	कालू पिता रतनलाल	बड़बेली	0.299	0.003
54	139/4	मानसिंह पिता गुलाब	बड़बेली	0.224	0.003
55	139/5	राधेश्याम पिता गुलाब	बड़बेली	0.225	0.003
56	139/6	कालू पिता रतनलाल	बड़बेली	0.225	0.004
57	139/7	बालू पिता गुलाब	बड़बेली	0.225	0.003
58	136/1	मानसिंह पिता गुलाब	बड़बेली	0.056	0.005
59	136/2	कालू पिता रतनलाल	बड़बेली	0.057	0.004
60	139/1	करणसिंह पिता रतनलाल	बड़बेली	0.300	0.0012
61	139/2	जगन्नाथ पिता रतनलाल	बड़बेली	0.299	0.0012
62	139/3	कालू पिता रतनलाल	बड़बेली	0.299	0.0012
63	139/4	मानसिंह पिता गुलाब	बड़बेली	0.224	0.0012
64	139/5	राधेश्याम पिता गुलाब	बड़बेली	0.225	0.0012
65	139/6	कालू पिता रतनलाल	बड़बेली	0.225	0.0012
66	139/7	बालू पिता गुलाब	बड़बेली	0.225	0.0012
67	370/1	बालू पिता गुलाब	बड़बेली	1.024	0.00012
68	370/2	कालू पिता गुलाब	बड़बेली	1.024	0.00012
69	370/3	राधेश्याम पिता गुलाब	बड़बेली	1.024	0.00012
70	370/4	मानसिंह पिता गुलाब	बड़बेली	1.025	0.00012
71	370/5	कालू पिता रतनलाल	बड़बेली	1.366	0.00012
72	370/6/1	जगन्नाथ पिता रतनलाल	बड़बेली	1.366	0.00016
73	370/7/1	रणसिंह पिता रतनलाल	बड़बेली	0.366	0.00012
74	370/7/2	नारान सिंह पिता रणसिंह	बड़बेली	1.000	0.00012
75	369/3	हरिसिंह रामबाबू पिता कवरलाल	बड़बेली	0.632	0.002
76	369/4	दुलेसिंह पिता प्रभुनाथ	बड़बेली	* 0.632	0.0012
77	369/5/1	मांगीलाल पिता कालू	बड़बेली	0.506	0.0012
78	369/5/2	उकार बक्ष पिता देवीसिंह	बड़बेली	0.506	0.0012
79	369/6	हरी सिंह पिता पन्ना	बड़बेली	0.809	0.0012
80	369/7	शिवलाल पिता उकार	बड़बेली	0.633	0.0012
81	369/8	गोवर्धन पिता काशीराम	बड़बेली	0.632	0.0012
82	369/9/1	उकार बक्ष पिता देवीसिंह	बड़बेली	0.316	0.0012

83	369/9/2	मोतीलाल पिता मांगीलाल	बड़बेली	0.316	0.0012
84	369/10	प्रभुलाल पिता रमालाल	बड़बेली	0.380	0.0012
85	369/11	प्रभुलाल पिता रमालाल	बड़बेली	1.566	0.0012
86	8/1	रामप्रसाद पिता प्रभुलाल	बड़बेली	0.936	0.009
87	8/2/1	मांगीलाल पिता कालू	बड़बेली	1.012	0.009
88	8/2/1	उकारबा पिता देवीसिंह	बड़बेली	1.012	0.009
89	8/2/3/1	रामप्रसाद पिता पूरा	बड़बेली	0.981	0.009
90	8/2/3/2	लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल	बड़बेली	1.043	0.009
91	8/2/4	घोसालाल पिता शिवलाल	बड़बेली	1.011	0.009
92	8/2/5	रामलाल पिता शिवलाल	बड़बेली	1.011	0.012
<b>कुल योग</b>	<b>92</b>			<b>62.87</b>	<b>0.599</b>

**प्ररूप - घ**

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम जडावपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम जडावपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - जडावपुर		तहसील - खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	17/13	मानसिंह पिता देवीराम	जडावपुर	1.769	0.055
2	29	जगदीश पिता भवरलाल	जडावपुर	0.012	0.027

3	23	बद्रीलाल माता गजरीबाई रामलाल माता गंगाबाई	जडावपुर	0.182	0.004
4	21	भवरलाल पिता मानसिंह	जडावपुर	0.049	0.003
5	20	भवरलाल पिता मानसिंह	जडावपुर	0.555	0.021
6	1/11	मानसिंह चैनसिंह बापूलाल पिता देवीराम	जडावपुर	1.011	0.004
7	1/13	ग्यारसीराम पिता मन्ना	जडावपुर	2.023	0.005
8	1/6/1	जगदीश पिता भवरलाल	जडावपुर	0.191	0.005
9	1/6/2	किशन पिता गंगराम	जडावपुर	0.190	0.005
10	1/6/3	कवरलाल देवीसिंह पिता रामबा	जडावपुर	0.190	0.005
11	1/13	ग्यारसीराम पिता मन्ना	जडावपुर	2.023	0.071
12	1/12	खीमसिंह पिता धुला	जडावपुर	1.263	0.005
13	1/20/1	जगदीश पिता भवरलाल	जडावपुर	0.021	0.0013
14	1/20/2	किशन पिता गंगराम	जडावपुर	0.020	0.0013
15	1/20/3	कवरलाल देवीसिंह रामबा	जडावपुर	0.020	0.0014
16	1/17	शिवसिंह पिता हरलाल	जडावपुर	1.470	0.039
17	1/1	भावरजी पिता हीरालाल	जडावपुर	1.470	0.041
<b>कुल योग</b>	<b>17</b>			<b>12.459</b>	<b>0.294</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम करकरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम करकरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - करकरा		तहसील -खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	254/1/1	बिरमसिंह बनेसिंह कृष्णबाई अमरलाल किशन आ मांगीलाल रमेश आ मांगीलाल	करकरा	1.000	0.022
2	254/1/10/1	नारायणसिंह पिता केशर	करकरा	0.506	0.007
3	254/1/10/3	रामसिंह पिता घीसालाल	करकरा	0.506	0.007
4	254/1/10/4	फूलसिंह पिता केशर	करकरा	0.505	0.007
5	254/1/10/5	मनोहरसिंह पिता मांगीलाल	करकरा	0.17	0.007
6	254/1/10/6	अमृतसिंह पिता मांगीलाल	करकरा	0.167	0.007
7	254/1/10/7	हरिसिंह पिता मांगीलाल	करकरा	0.169	0.007
कुल योग	7			3.023	0.064

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम कमालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कमालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - कमालपुरा		तहसील -खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	8/18/1	श्रीमती सुष्मा पति मोहनलाल	कमालपुरा	1.045	0.02
2	8/18/2	कनीराम बिरबलाल भूरा रामकरण नारायण पिता भेरू	कमालपुरा	0.222	0.021
3	8/9/1	बद्रीलाल पिता शिवसिंग	कमालपुरा	1.392	0.008
4	8/9/2	राहुल जाटव दिप जाटव पिता मलकिशोर	कमालपुरा	0.506	0.008
5	8/27	रतनबाई बेवा हिन्दुसिंह	कमालपुरा	0.632	0.01
6	8/24	गोमदा प्रेम पिता हिरा	कमालपुरा	0.757	0.03
<b>कुल योग</b>	<b>6</b>			<b>4.554</b>	<b>0.097</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केवल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केवल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।					
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - खिलचीपुर			तहसील - खिलचीपुर		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	1121	सुन्दरवाई पति भवरलाल	खिलचीपुर	1.339	0.015
2	1003	नारायण बद्दीलाल बापूलाल पिता भवरलाल	खिलचीपुर	1.428	0.40
3	1004	नारायण बद्दीलाल बापूलाल पिता भवरलाल	खिलचीपुर	0.101	0.009
4	1003	नारायण बद्दीलाल बापूलाल पिता भवरलाल	खिलचीपुर	1.428	0.015
5	1005	प्यारेलाल नारायण बद्दीलाल	खिलचीपुर	0.065	0.004
6	1007	रोडमल खेमचंद डूंगरसिंह गोपाल पिता भवरलाल	खिलचीपुर	1.25	0.034
7	1011	रोडमल खेमचंद डूंगरसिंह गोपाल पिता भवरलाल	खिलचीपुर	0.024	0.002
8	1010	रोडमल खेमचंद डूंगरसिंह गोपाल पिता भवरलाल	खिलचीपुर	0.494	0.025
9	1018	बदनलाल चम्पालाल पाचूलाल पिता देवा	खिलचीपुर	1.012	0.021
10	1017/2	बदन चम्पालाल पाचूलाल पिता देवा	खिलचीपुर	0.405	0.028
11	1020/1/2	रामबाबू पिता फूलसिंह	खिलचीपुर	0.442	0.016
12	1026/1/2	सौरमबाई बनेसिंह	खिलचीपुर	0.759	0.019
13	1026/2/2	गजेन्द्रसिंह पिता स्व शिवराजसिंह	खिलचीपुर	0.466	0.019
14	1026/2/3	फूलसिंह शम्भू पिता प्यारजी	खिलचीपुर	0.38	0.034
15	1036/1	गोपाल पिता रतनलाल भावरीबाई	खिलचीपुर	1.291	0.044
16	1036/2	गायत्रीदेवी पति ताराचंद	खिलचीपुर	0.506	0.030
17	1146/16/2	पाचूलाल पिता देवा जाती घमार	खिलचीपुर	0.380	0.030
18	3/38	मंजुला पत्नी गोपालदास गुप्ता जाती महाजन	खिलचीपुर	1.012	0.030
कुल योग	18			12.782	0.775

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईलट परियोजना से ग्राम रूपपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रूपपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - रूपपुरा		तहसील - खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	185/1	कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ	रूपपुरा	0.367	0.028
2	184/1/1	बल्लभबाई पिता मांगीलाल मलबाई बेवा मांगीलाल	रूपपुरा	0.065	0.005
3	184/1/2/1	बिरमसीह पिता अनारसिंह	रूपपुरा	0.22	0.005
4	184/1/2/2	भगवानसिंह पिता अनारसिंह	रूपपुरा	0.22	0.007
5	186/2	मांगीलाल पिता जगन्नाथ	रूपपुरा	0.049	0.01
6	186/3	मांगीलाल पिता जगन्नाथ	रूपपुरा	0.065	0.01
7	179/2/3/1	बिरमसीह पिता अनारसिंह	रूपपुरा	0.089	0.004
8	179/2/3/2	भगवानसिंह पिता अनारसिंह	रूपपुरा	0.074	0.005
9	171	मांगूबाई पति प्रतापसिंह	रूपपुरा	0.065	0.002
10	172	जगदीश पिता प्रतापसिंह	रूपपुरा	0.065	0.007
11	173/1	जगदीश पिता प्रतापसिंह	रूपपुरा	0.05	0.005
12	173/2	जगदीश पिता प्रतापसिंह	रूपपुरा	0.051	0.004
13	131/1	लालजी पिता घिसा	रूपपुरा	0.039	0.007
14	131/2	रतनलाल पिता घिसा	रूपपुरा	0.038	0.007
15	128/1	बिरमसिंह लालजी पिता निराम	रूपपुरा	0.068	0.005
16	128/2	भवरलाल सुल्तानसिंह बल्लभबाई पिता मांगीलाल	रूपपुरा	0.063	0.004

17	178/1	जगदीश पिता प्रतापसिंह	रूपपुरा	0.164	0.005
18	178/2	कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ	रूपपुरा	0.266	0.005
19	178/3	जगदीश पिता प्रतापसिंह	रूपपुरा	0.076	0.007
20	102/1	कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ	रूपपुरा	1.265	0.001
21	102/2	जगदीश पिता प्रतापसिंह	रूपपुरा	1.114	0.001
22	102	कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ भवरी बाई केशर बाई पुत्री जगन्नाथ जाती सौंधिया	रूपपुरा	1.265	0.015
23	102/2	जगदीश पिता प्रताप जाती सौंधिया	रूपपुरा	1.114	0.015
24	94/1	लालजी पिता घिसा जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.253	0.022
25	92/1	प्रेमसिंह प्रताप सिंह कमलसिंह पिता शिवसिंह केशर बाई बेवा सिवसिंह जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.581	0.010
26	92/2	देवीलाल पिता बापूलाल जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.431	0.010
27	91/1	नीरभेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.575	0.027
28	83/1	मानसिंह पिता बिरमसीह चंद्रकलाबाई पुत्री बिरमसीह लालजी पिता कनीराम जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.330	0.012
29	83/2	श्रीमती नोरंगबाई पति आनरसिंग जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.330	0.012
30	82	भरतसिंह भगवानसिंह पिता भेरुसिंह भावरीबाई बेवा भेरुसिंह मंजूबाई पुत्री भेरुसिंह जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.599	0.020
31	81/2/1	लालजी पिता घिसा जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.303	0.013
32	81/2/2	रतनलाल पिता घिसा जाती सौंधिया	रूपपुरा	0.304	0.013
33	81/4/2	केशर पिता मांगीलाल जाती चमार	रूपपुरा	0.375	0.013
34	81/4/3	केशर पिता मांगीलाल जाती चमार	रूपपुरा	0.374	0.013
35	81/4/4	नारायण पिता भेरु जाती चमार	रूपपुरा	0.753	0.013
36	1/5	बदिया पिता देवा जाती चमार	रूपपुरा	0.692	0.014
37	1/6	चंपा पिता देवा जाती चमार	रूपपुरा	0.692	0.014
38	1/7	पुरसिंह रामबाबू पप्पू पिता पाच्या जाती चमार	रूपपुरा	0.692	0.014
39	1/8	मांगीलाल पिता देवा जाती चमार	रूपपुरा	0.692	0.014
40	1/9	मांगीलाल पिता चंपा जाती चमार	रूपपुरा	0.692	0.014



41	108	मानसिंह पिता बिरामसिंह चंद्रकलाबाई पुत्री बिरमसीह लालजी पिता कनीराम जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.065	0.003
42	107/2	नारान पिता भेरू जाती चमार	रूपपुरा	0.082	0.007
43	44/1	निर्भयसिंह पिता रामलाल जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.422	0.009
44	44/2	फतेसिंह पिता रामा जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.423	0.010
45	43	भवरलाल कालूसिंह , बिरमसीह ,पिता हरिसिंह रेशमबाई पुत्री हरिसिंह धापूबाई बेवा हरिसिंह जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.166	0.003
46	42	निर्भयसिंह पिता रामलाल जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.214	0.006
47	229/1	बद्रीलाल पिता नारायणसिंह जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.178	0.004
48	229/2	बद्रीलाल पिता नारायणसिंह जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.101	0.003
49	40/1	प्रेमसिंह प्रताप सिंह कमलसिंह पिता शिवसिंह केशर बाई पिता शिवसिंह जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.228	0.002
50	40/2/1	देवीलाल बल्लभसिंह पिता वापूलाल जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.120	0.001
51	40/3	बद्रीलाल पिता नारायणसिंह धापूबाई बेवा नारायणसिंह जाती सोंधिया	रूपपुरा	0.216	0.001
<b>कुल योग</b>	<b>51</b>			<b>17.735</b>	<b>0.461</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोगता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन 2013) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईपास परियोजना से ग्राम पाटड़ीखेडा तहसील खिलचौपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पाटड़ीखेडा तहसील खिलचौपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।					
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - पाटड़ीखेडा		तहसील - खिलचौपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	13/1/1	मांगीलाल रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरू शंकर मांगीलाल पिता देवा	पाटड़ीखेडा	2.780	0.016
2	49/1	मांगीलाल देवीसिंग बापूलाल कवरलाल बिराम पिता राता रमेश राजू पिता प्रभु हरकूबाई बेवा प्रभु	पाटड़ीखेडा	0.196	0.013
3	49/2	फूलसिंग हरचंद्र मोती देवसिंह पांचा पिता भेरू बट्टी किशन पिता कालू मांगीबाई पुत्री कासीबाई पुत्रिया कालू रामसिंह पिता जयसिंह जाती लोडा	पाटड़ीखेडा	1.256	0.013
4	13/1/2	मांगीलाल रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरू शंकर मांगीलाल पिता देवा	पाटड़ीखेडा	0.405	0.026
5	13/2/1	मांगीलाल पिता भेरू मांगीबाई पति मांगीलाल	पाटड़ीखेडा	1.128	0.018
6	32/1	मांगीलाल देवीसिंग बापूलाल कवरलाल बिराम पिता राता रमेश राजू पिता प्रभु हरकूबाई बेवा प्रभु	पाटड़ीखेडा	0.575	0.011
7	32/2	फूलसिंग हरचंद्र मोती देवसिंह पांचा पिता भेरू बट्टी किशन पिता कालू मांगीबाई पुत्री कासीबाई पुत्रिया	पाटड़ीखेडा	0.574	0.011
8	31	केशरबाई बेवा मांगीलाल रामगोपाल पि. मन्ना ही. 1/2 धापूबाई पति देव्या उर्फ देवीराम नरायणसिंग रामप्रसाद बापूलाल पिता देव्या उर्फ देविराम	पाटड़ीखेडा	1.226	0.018
9	31	केशरबाई बेवा मांगीलाल रामगोपाल पि. मन्ना ही. 1/2 धापूबाई पति देव्या उर्फ देवीराम नरायणसिंग रामप्रसाद बापूलाल पिता देव्या उर्फ देविराम	पाटड़ीखेडा	1.226	0.015
10	30	मांगीबाई रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरू शंकर मांगीलाल पिता देवा	पाटड़ीखेडा	1.226	0.029
11	29/1	नाथू पिता हास्ला	पाटड़ीखेडा	1.304	0.013
12	29/2	गंगाधर गिरधारी नारायण गोरीलाल पिता श्रीया मु. रोड़ी पि. श्रीया	पाटड़ीखेडा	0.773	0.014
13	11/1	केशर पिता मगला	पाटड़ीखेडा	0.834	0.029
कुल योग	13			13.503	0.226

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईटट परियोजना से ग्राम गिरधरपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गिरधरपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - गिरधरपुरा		तहसील -खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	67/28	मांगीलाल प्रभु मदनलाल पुरीलाल पिता कालू जाती लोढ़ा	गिरधरपुरा	0.733	0.0008
कुल योग	1			0.733	0.0008

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईटट परियोजना से ग्राम प्रेमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम प्रेमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम -प्रेमपुरा		तहसील -खिलचीपुर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	196/1	शामा पिता भोना	प्रेमपुरा	2.428	0.94
कुल योग	1			2.428	0.94

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम बमनगांव तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बमनगांव तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - बमनगांव		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	633/3	रामचरण पिता मांगीलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.506	0.005
2	631/1/2	रेशम बाई पति घीसालाल जाती माँग्या	बमनगांव	0.253	0.006
3	631/3	रामबक्ष पिता लक्ष्मी नारायण जाती दांगी	बमनगांव	0.500	0.006
4	233/4	सुल्तानसिंह पिता गंगाराम ग्यारसीबाई पति सुल्तान जाती चमार	बमनगांव	0.375	0.027
5	230/1	मनोहर पिता बापूलाल जाती ब्राम्हण	बमनगांव	0.999	0.022
6	228/3	बापूलाल पिता धुलजी जाती दांगी	बमनगांव	0.199	0.011
7	225/1	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.063	0.004
8	224/1	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.226	0.0007
9	224/1	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.226	0.007
10	224/2	छोटूलाल पिता रामसिंह जाती दांगी	बमनगांव	0.500	0.007
11	224/3	हेमराज पिता मांगीलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.727	0.007
12	213/1	वंशीलाल पिता किशन जाती दांगी	बमनगांव	0.543	0.031
13	60	ग्यारसीराम छोटूलाल गोरीलाल पिता रामसिंह जाती दांगी	बमनगांव	2.286	0.025

14	58	बद्रीलाल मांगीलाल रामनारायण गोकुल पिता भवरिया मु. सूरजवाई बेवा भवरिया रामप्रताप पिता भेरिया शिवनारायण रामलाल पिता काल्या लक्ष्मीनारायण पिता लाल्या जाती दांगी	बमनगांव	0.644	0.002
15	62/2	लक्ष्मीनारायण पिता लाल्या जाती दांगी	बमनगांव	0.640	0.006
16	63/1	शिवलाल पिता गुलजीराम जाती दांगी	बमनगांव	0.530	0.029
17	36/1	मुकेश कुमार पिता मदनलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.558	0.007
18	36/2	हरिसिंह पिता बापूलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.506	0.007
19	35/1/1	सत्यनारायण पिता रोडजी जाती दांगी	बमनगांव	1.855	0.011
20	35/2/2	मदनलाल पिता मोहनलाल जाती दांगी	बमनगांव	1.454	0.011
21	35/3/2	बापूलाल गोवर्धन पिता भवरलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.728	0.012
22	34/2	सुरेश पिता ग्यारसीराम जाती दांगी	बमनगांव	0.759	0.010
23	3/1/1/2	रतनलाल पिता प्रभुलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.379	0.008
24	3/2/2	दुलेसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौध्या	बमनगांव	0.759	0.008
25	3/1/1/2	रतनलाल पिता प्रभुलाल जाती दांगी	बमनगांव	0.379	0.027
<b>कुल योग</b>	<b>25</b>			<b>16.594</b>	<b>0.297</b>

प्ररूप - घ					
(नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 4 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईलट परियोजना से ग्राम हरयाली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम हरयाली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - हरयाली			तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	137/1/2	रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाती साँधिया	हरयाली	1.264	0.002
2	137/2/1	मनोहर बाई पुत्री प्रेमनारायण जाती महाजन	हरयाली	1.506	0.003
3	137/2/2	लालसिंह पिता श्रीलाल जाती साँधिया	हरयाली	0.551	0.002
4	137/2/3	मदनलाल पिता रामलाल जाती सुतार	हरयाली	0.500	0.003
5	137/3	सर्जनसिंह पिता देवीसिंह जाती साँधिया	हरयाली	2.908	0.002
6	135	किशनलाल पिता हिन्दुसिंह बिराम पिता प्रेमसिंह जसवन्तसिंह कौसल्याबाई पिता प्रेमसिंह गंगाबाई बेवा प्रेमसिंह रामकलाबाई पुत्री हिन्दुसिंह जाती साँधिया हरिसिंह कैलाश पिता मोतीलाल शैतानबाई रतनबाई सोरमबाई पुत्री मोतीलाल कुंकुबाई बेवा मोतीलाल जाती साँधिया देवसिंह पिता मेहताब बादनबाई बेवा मेहताब प्रेमसिंह पिता इंदरसिंह मदनसिंह पिता गंगाराम रतन पिता केशर मांगीलाल पिता बनेसिंह लालता बाई द्वारकाबाई पिता बनेसिंह सुन्दरबाई बेवा बनेसिंह जाती साँधिया	हरयाली	4.553	0.019
7	131	बंशीलाल पिता बिरमसिंह जाती साँधिया	हरयाली	0.559	0.003
8	137/1/2	रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाती साँधिया	हरयाली	1.264	0.006
9	137/2/2	लालसिंह पिता श्रीलाल जाती साँधिया	हरयाली	0.551	0.006
10	137/2/3	मदनलाल पिता रामलाल जाती सुतार	हरयाली	0.500	0.006
कुल योग	10			14.156	0.052

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लसूडली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लसूडली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरूपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - लसूडली		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	231/1/2	विश्वनाथ पिता प्रेमसिंह मुस्कान कुंवर पुत्री प्रेमसिंह ना पा कर्ता माता चिन्ताकुंवर पति	लसूडली	0.075	0.084
कुल योग	1			0.075	0.084

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।					
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - सोनखेड़ाकला		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोक्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	675/1	जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.316	0.007
2	675/2	जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.291	0.008
3	666/1	पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती मांगीलाल जशोदाबाई बेवा रामप्रसाद जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.073	0.003
4	666/1/2	जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.012	0.003
5	666/3	उकार पिता किशनलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.928	0.004
6	641/2	श्रीलाल पिता गोपी जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.089	0.004
7	641/5	छितराम पिता शिवलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.102	0.007
8	645	गणपत पिता शिवलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.304	0.004
9	576/1	मु बालू बाई बेवा शिवसिंह रमेश चंद्र पिता शिवसिंह जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.904	0.003
10	576/2	जगदीश रामबगस पिता रामरतन मु. छीता बाई बेवा रामरतन जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.904	0.003
11	634/2	मांगू पिता दोला जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.151	0.0005
12	568/1/2	कालू लाल पिता माधूलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.316	0.035
13	571/1/1	रामप्रताप पिता किशन जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.085	0.023
14	553	नाथूलाल पिता देवचंद्र जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	1.113	0.015
15	555/2	रोडजी पिता किशनलाल जाती दांगी	सोनखेड़ा कला	0.893	0.009
16	702/2	गंगाधर पिता भेरूलाल जाती बलाई	सोनखेड़ा कला	0.253	0.04
17	702/6	नाथू पिता जगा जाती चमार	सोनखेड़ा कला	0.167	0.04
कुल योग	17			6.901	0.209



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक 4 सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम गूंगाहैड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गूंगाहैड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - गूंगाहैड़ा		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	696/1	कैलाश पिता रामचंद्र जाती बलाई	गूंगाहैड़ा	0.150	0.006
2	696/3	रामचंद्र पिता कैन्हयालाल जाती बलाई	गूंगाहैड़ा	0.533	0.014
3	686/2/1	नारायण पिता हरलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.268	0.015
4	689/2/1/3	रामप्रसाद, रायसिंह ,पन्नालाल राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.532	0.014
5	689/3	राधेश्याम पिता रामलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.063	0.015
6	686/4	शिवलाल पिता गुलाब जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.379	0.009
7	681/1	गौराबाई पत्नी रामबाबू जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.619	0.003
8	681/4/1	बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.190	0.003
9	681/4/2	बद्रीलाल रामप्रसाद भूलीबाई पिता गोरीलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.021	0.004
10	175/2/1	बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.316	0.005
11	175/2/2	बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.102	0.005
12	175/3	रामचरण पिता भेरूलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	0.418	0.006
13	169/3	सूरज सिंह पिता दयालसिंह जाती राजपूत	गूंगाहैड़ा	0.569	0.016
14	179	रामचरण पिता भेरूलाल जाती दांगी	गूंगाहैड़ा	1.254	0.007

15	183/3	प्रल्हादसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत दांगी	गूंगाहेड़ा	0.025	0.003
16	181/2/1/2	जयनारायण पिता भगीरथ जाती ब्राह्मण	गूंगाहेड़ा	0.213	0.01
17	182/2/1/2	मनोहर पिता जगन्नाथ जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.093	0.008
18	182/4	जगन्नाथ पिता किशनलाल जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.200	0.008
19	185/1/1	राधेश्याम पिता राम रतन जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.164	0.009
20	185/5	रामचरण पिता नाथूलाल जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.292	0.009
21	202/2	धर्मद्रसिंह पिता रघुराजसिंह जाती राजपूत	गूंगाहेड़ा	0.500	0.011
22	210/2	कृष्णपालसिंह पिता गणपतसिंह विक्रमसिंह पिता नारान सिंह अमृतसिंह पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत	गूंगाहेड़ा	0.316	0.021
23	213	राजेन्द्रसिंह, जितेंद्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह जाती राजपूत	गूंगाहेड़ा	4.541	0.031
24	220/2	रामप्रसाद रायसिंह पन्नालाल राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.448	0.001
25	222/2	रघुराजसिंह पिता सोनाथसिंह छापता कुंवर बाई बेवा सोनाथसिंह जाती राजपूत	गूंगाहेड़ा	2.036	0.028
26	74/1	रघुराजसिंह पिता सोनाथसिंह छापता कुंवर बाई बेवा सोनाथसिंह जाती राजपूत	गूंगाहेड़ा	0.044	0.003
27	76/3/1	रघुनाथ पिता हजारीलाल जाती मेहतर	गूंगाहेड़ा	0.285	0.011
28	30/1	जगदीश पिता लक्ष्मण जाती चमार	गूंगाहेड़ा	0.423	0.009
29	19/2	कैलाश चंद्र पिता प्रभुलाल जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.151	0.009
30	17/2	मदनलाल पिता कालूराम जाती दांगी	गूंगाहेड़ा	0.259	0.008
31	15	कैलाश चंद पिता बापदास जाती बैरागी	गूंगाहेड़ा	0.567	0.014
कुल योग	31			15.971	0.315

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गाड़ाहेट तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गाड़ाहेट तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - गाड़ाहेट		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	802/2	चौधमल चम्पलाल रामनारायण प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाती दांगी	गाड़ाहेट	0.879	0.011
कुल योग	1			0.879	0.011

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम भादाहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम भादाहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , विछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम -भादाहेडी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	449/1	भवरलाल पिता मांगीलाल जाती दांगी	भादाहेडी	0.735	0.003
2	449/2	विजयसिंह पिता मांगीलाल जाती दांगी	भादाहेडी	0.580	0.002
3	450/1/1	भवरलाल पिता मांगीलाल जाती दांगी	भादाहेडी	0.250	0.001
4	450/1/2	विजयसिंह पिता मांगीलाल जाती दांगी	भादाहेडी	0.250	0.001
5	450/2/1	प्रेमसिंह पिता पुरसिंह जाती दांगी	भादाहेडी	0.500	0.001
6	450/2/2	बालूसिंह पिता हिन्दुसिंह जाती दांगी	भादाहेडी	1.00	0.001
7	450/3/1	शिवचरण रमेश चंद्र पिता भवरलाल जाती दांगी	भादाहेडी	0.428	0.001
8	450/3/2	शिवचरण रमेश चंद्र पिता भवरलाल जाती दांगी	भादाहेडी	0.428	0.002
9	451/1	दीपचंद मोहनलाल पिता मेहताब आशा मुकेश रमेश पिता मांगीलाल ना बा सर प. माता मु रतनबाई वि. मेहताब जाती कुम्हारा	भादाहेडी	0.367	0.002
10	451/2	दीपचंद मोहनलाल पिता मेहताब आशा मुकेश रमेश पिता मांगीलाल ना बा सर प. माता मु रतनबाई वि. मेहताब जाती कुम्हारा	भादाहेडी	0.366	0.001
कुल योग	10			4.904	0.015

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम बरखेड़ाभौजा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बरखेड़ाभौजा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरुपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - बरखेड़ाभौजा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	615/1	बनेसिंह पिता लालजीराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.981	0.005
2	615/2	भरतसिंह नागर पिता हरिनारायण जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.543	0.005
3	615/3	हरिनारायण आ गंगाधर सोनी बाई बेवा गंगाधर जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.571	0.005
4	613/1	दिनेश कुमार पिता गुलाबसिंह विष्णुप्रसाद पिता गुलाबसिंह जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.425	0.005
5	609/4	कालू पिता गब्बा जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.427	0.012
6	570/1	लक्ष्मीचन्द रामचरण पिता धुला रामचरण रामचरण पिता धुला जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.429	0.004
7	567/2	प्रेमनारायण गोकुल रमेश रामचंद्र पिता काशीराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.118	0.011
8	571/1	रोडमल पिता नन्दरम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.558	0.001
9	571/3	नारायणसिंह पिता शिवलाल जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.040	0.001
10	547/2/1	श्रीमती गौताबाई पति राजाराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.026	0.005
11	542/1	इदेखा पिता प्यारा जाती पिंजरा	बरखेड़ा भौजा	0.130	0.006
12	542/2	मांगीलाल बापूलाल हीरालाल पिता नाथूलाल जाती दांगी	बरखेड़ा भौजा	1.089	0.006

13	542/3/1	चुन्नीलाल नन्दलाल बद्दीलाल पिता प्रताप जाती धाकड़ , किशोर हरिओम पिता रामलाल जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.311	0.007
14	537/2/2	रामबाबू पिता लक्ष्मीनारायण जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.012	0.004
15	537/3	जयनारायण पिता लक्ष्मीचंद जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.250	0.003
16	117/1	जगदीश पिता देवीसिंह जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.821	0.010
17	116/1	देवीलाल पिता जगन्नाथ जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.441	0.003
18	116/2	शिवलाल पिता जगन्नाथ जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.449	0.004
19	116/4/1	पुरीलाल नारायणसिंह पिता मांगीलाल भावरीबाई बेवा मांगीलाल जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.339	0.003
20	116/4/2	ललित नागर पिता गुलाबचंद जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.280	0.004
21	115/7/2	सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.176	0.006
22	115/8	घनसिंह पिता रमा जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.130	0.007
23	110/1	गुलाबचंद पिता टीकाराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.169	0.004
24	110/3	पीरूलाल पिता बनेसिंह रेशमबाई बेवा बनेसिंह जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.190	0.004
25	110/6	सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता मोतीलाल सोदराबाई दुपतीबाई पुत्री मोतीलाल	बरखेड़ा भौजा	0.263	0.004
26	110/7	नारायण आ खानाराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.267	0.004
27	109/1	गुलाबचंद पिता टीकाराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.026	0.002
28	110/3	पीरूलाल पिता बनेसिंह रेशमबाई बेवा बनेसिंह जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.190	0.002
29	109/5	मनीराम पिता बापू	बरखेड़ा भौजा	0.089	0.002
30	109/6	सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता मोतीलाल सोदराबाई दुपतीबाई पुत्री मोतीलाल	बरखेड़ा भौजा	0.044	0.002
31	109/7	नारायण आ खानाराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.045	0.002
32	105/1	मथरी बाई बेवा लक्ष्मीचन्द सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.152	0.002
33	105/3/2	घनसिंह पिता रमा जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.095	0.002
34	105/4	सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता मोतीलाल सोदराबाई दुपतीबाई पुत्री मोतीलाल	बरखेड़ा भौजा	0.222	0.002
35	105/5	नारायण आ खानाराम जाती धाकड़	बरखेड़ा भौजा	0.223	0.003
36	101/4	रायसिंह पिता बापूलाल जाती मोंग्या रायसिंह केशरसिंह पिता बापूलाल गंगाबाई लालता बाई रेशमबाई पुत्री बापूलाल शैतानबाई बेवा बापूलाल जाती मोंग्या	बरखेड़ा भौजा	1.000	0.021
37	101/5	धीसालाल पिता शिवलाल जाती बलाई	बरखेड़ा भौजा	0.250	0.021
कुल योग	37			11.771	0.194

**प्ररूप - घ**  
**(नियम 6 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लट्टरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लट्टरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - लट्टरी		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	128/4	शिवलाल पिता मोहनलाल जाती दांगी	लट्टरी	0.351	0.003
2	128/5	कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.195	0.004
3	128/6	आनोख सिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत दांगी	लट्टरी	0.200	0.003
4	128/7	शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत दांगी	लट्टरी	0.200	0.004
5	97/1/1	फुलकुंवर बेवा जगन्नाथसिंह , भवरकुंवरबाई पिता जगन्नाथसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.037	0.005
6	97/1/2	भवरलाल पिता चोथमल जाती दांगी	लट्टरी	0.078	0.004
7	97/2/1/1	प्रेमसिंह पिता रामचंद्र सावित्रीबाई पिता प्रेमसिंह जाती बलाई	लट्टरी	0.610	0.005
8	97/2/1/4	धुरीलाल पिता काशीराम जाती चमार	लट्टरी	0.610	0.004
9	97/2/1/7	रामचन्द्रर पिता चेना जाती बलाई	लट्टरी	0.600	0.005
10	95/4	गोपालसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.214	0.001
11	95/4	गोपालसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.214	0.006

12	127/1/1	कैलाश नारायण पिता शंकरलाल जाती ब्राम्हण	लट्टरी	0.135	0.010
13	125/2	अनोखासिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.125	0.006
14	112/1	प्रतापसिंह पिता रामनाथसीह जाती राजपूत	लट्टरी	0.291	0.004
15	116/1/3/1	महेन्द्रसिंह पिता विजयसिंह प्रकाशकुंवर बेवा विजयसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.621	0.001
16	116/1/3/2	हजारीलाल पिता गोरीलाल जाती दांगी	लट्टरी	0.379	0.001
17	116/1/3/3	कैलाश नारायण पिता शंकरलाल जाती ब्राम्हण	लट्टरी	0.506	0.001
18	116/1/5	पन्नालाल पिता नाथूलाल जाती दांगी	लट्टरी	0.506	0.001
19	116/2/1/1	चोधमल पिता गंगाधर जाती दांगी	लट्टरी	0.517	0.001
20	116/2/1/3	फूलकुंवर बेवा जगन्नाथसिंह भवरकुंवर बाई पिता जगन्नाथसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.649	0.001
21	39/1/1/5	शंकरसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.504	0.001
22	39/1/1/6	शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.800	0.001
23	39/1/1/7	कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	1.200	0.001
24	39/1/1/9	चंदरसिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	1.000	0.002
25	39/1/4	फतेसिंह पिता शिवसिंह जाती साँधिया	लट्टरी	0.506	0.002
26	49/2	नितेश कुमार पिता कैलाश नारायण जाती ब्रह्मण	लट्टरी	0.253	0.009
27	50/2	अनोखसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.700	0.004
28	39/1/1/1	प्रतापसिंह पिता रामनाथसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.264	0.004
29	39/1/1/5	शंकरसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.504	0.004
30	39/1/1/6	शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.800	0.005
31	39/1/1/7	कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	1.200	0.004
32	39/1/1/8	कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	0.550	0.004
33	39/1/1/9	चंदरसिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत	लट्टरी	1.000	0.005
<b>कुल योग</b>	<b>33</b>			<b>16.319</b>	<b>0.116</b>



प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक 9 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रतनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रतनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - रतनपुरिया		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2/1/1/2	कुंकुबाई पति लक्ष्मीनारायण जाती दांगी	रतनपुरिया	0.253	0.001
2	2/2	पुरीलाल पिता नाथू जाती दांगी	रतनपुरिया	0.138	0.001
3	50/1	सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.190	0.012
4	48/1	आनार पिता धुलजी जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.771	0.008
5	48/2	हिन्दुसिंह पिता आमरसिंह जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.771	0.008
6	55	धीरपसिंह पिता प्यारजी जगदीश पिता प्यारजी जाती साँध्या	रतनपुरिया	1.275	0.008
7	58/2/1	सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.208	0.007
8	58/2/3	प्यारजी पिता पूरा जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.208	0.007
9	61	हीरालाल पिता उकार बादनबाई पति बापूलाल जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.328	0.005
10	62	चन्दनसिंह पिता करणसिंह दरयाव बाई बेवा करणसिंह जाती साँध्या	रतनपुरिया	0.368	0.005
11	36/1	रतन , मदनलाल उमराव श्यामा पिता नांदिया जाती चमार	रतनपुरिया	0.129	0.004

12	36/2/2	रतन , मदनलाल उमराव श्यामा पिता नांदिया जाती चमार	रतनपुरिया	1.000	0.003
13	72/1/1	सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.506	0.003
14	72/4/1/1	शिवसिंह पिता मांगीलाल जाती दांगी	रतनपुरिया	0.318	0.002
15	72/4/1/2	दरियावसिंह पिता नरेभसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.595	0.002
16	34	फतेसिंह पिता शिवसिंह जाती दांगी	रतनपुरिया	0.757	0.004
17	72/3/1	प्यारजी पिता केशर कमलसिंह पिता गिरवरसिंह भावरीबाई बेवा गिरवरसिंह केशर साँधिया	रतनपुरिया	1.037	0.005
18	72/4/1/2	दरियावसिंह पिता नरेभसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.595	0.006
19	72/1/1	सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.506	0.002
20	72/3/2/1	रामचरण पिता झब्बलाल जाती दांगी	रतनपुरिया	0.114	0.002
21	72/5	मांगीलाल पिता नारान जाती दांगी	रतनपुरिया	0.757	0.003
22	73/2	रामा पिता गोपाल जाती चमार	रतनपुरिया	0.299	0.007
23	72/1/2	दत्तक पुत्र पिता भगवानसिंह पिता बिहारी पुत्र अमरसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	2.743	0.001
24	72/2/1/1	नारन सिंह पिता विजयसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.525	0.001
25	72/2/1/2	तेजसिंह पिता बजेसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.525	0.001
26	72/3/2/2	घीसालाल पिता झब्बलाल जाती दांगी	रतनपुरिया	0.216	0.001
27	72/4/2	पर्वतसिंह पिता दरियावसिंह जाती साँधिया	रतनपुरिया	0.425	0.001
28	72/5	मांगीलाल पिता नारान जाती दांगी	रतनपुरिया	0.757	0.001
29	81/5/2	भवरलाल पिता बनेसिंह जानीबाई बेवा बनेसिंह जाती चमार	रतनपुरिया	0.251	0.007
कुल योग	29			16.565	0.118

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम गुनाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गुनाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - गुनाखेड़ी		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	587/1/1	राधेश्याम पिता देवनारायण जाती दांगी	गुनाखेड़ी	1.100	0.001
2	587/2/2	चुन्नीलाल पिता नरसंगलाल जाती दांगी	गुनाखेड़ी	1.011	0.001
3	588/2	गणपत पिता प्यारा हजारी पिता कनीराम जाती चमार	गुनाखेड़ी	0.506	0.004
4	588/3/1/2	सजनबाई द्वुपतीबाई पुत्री जगन्नाथ जाती चमार	गुनाखेड़ी	0.188	0.004
5	588/7	छीतर पिता जगन्नाथ प्रभुलाल पिता रोडजी जाती बलाई	गुनाखेड़ी	0.506	0.004
6	588/10	रामप्रसाद पिता नंदा सजनबाई पति रामप्रसाद जाती चमार	गुनाखेड़ी	0.506	0.004
7	588/3/1/1	जगन्नाथ पिता कालू जाती चमार	गुनाखेड़ी	0.065	0.014
8	532/1/1/1	कुशालसिंह पिता रामलाल जाती दांगी	गुनाखेड़ी	0.130	0.001
9	532/1/2/2	बृजमोहन ओमप्रकाश पिता भेरूसिंह जाती दांगी	गुनाखेड़ी	1.006	0.001
10	532/2/2/2	बिजेसिंह पिता रामलाल जाती दांगी	गुनाखेड़ी	0.156	0.001
11	532/3/3	प्रभुलाल पिता जगन्नाथ जाती दांगी	गुनाखेड़ी	0.255	0.001
12	532/3/5/2	लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाती दांगी	गुनाखेड़ी	0.102	0.001
कुल योग	12			5.531	0.037

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम ब्यावरा कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ब्यावरा कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - ब्यावरा कला		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	1225/1	प्रेमसिंह लक्ष्मी नारायण देवीलाल पिता भेरूसिंह जाती भील	ब्यावरा कला	1.164	0.006
2	1224	रामप्रसाद पिता किशनलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	1.202	0.011
3	1228/1	लक्ष्मीनारायण पिता चोथमल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.124	0.001
4	1228/2	शिवचरण पिता विजयसिंह गीताबाई बेवा विजयसिंह जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.468	0.001
5	1228/2/3	राहुल दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण ना. बा. सर पर लक्ष्मीनारायण आ गोवर्धन जाती दांगी	ब्यावरा कला	1.208	0.001
6	1228/3	रामबाबू गिरिराज पिता छबिलाल मु. गुडडीबाई बेवा छबिलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.740	0.002
7	1223/2	शिवचरण पिता विजय सिंह जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.500	0.014
8	1222	श्रीनाथ पिता प्रभुलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	1.785	0.012
9	1221	मांगीलाल रामप्रसाद राधेश्याम पिता प्रेमनारायण जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.696	0.010
10	1184	फूलसिंह पिता शिवलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.518	0.001
11	1175/1	बलवान मांगीलाल पिता चन्द्रलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.430	0.002
12	1175/2	सुरेश पिता रामगोपाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.784	0.001

13	1174	बलवान मांगीलाल पिता चन्द्रलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.429	0.005
14	1175/1	बलवान मांगीलाल पिता चन्द्रलाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.430	0.003
15	1175/2	सुरेश पिता रामगोपाल जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.784	0.004
16	1173	शिवलाल पिता जगन्नाथ जाती दांगी	ब्यावरा कला	1.335	0.009
17	1172	गोकुल , रामचरण , देविसिंह पिता पन्ना गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.077	0.001
18	1171	गोकुल , रामचरण , देविसिंह पिता पन्ना गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.101	0.002
19	1170	गोकुल , रामचरण , देविसिंह पिता पन्ना गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.113	0.001
20	1138	गोकुल , रामचरण , देविसिंह पिता पन्ना गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.214	0.004
21	1137	शिवलाल पिता भगीरथ जाती दांगी	ब्यावरा कला	0.316	0.009
<b>कुल योग</b>	<b>21</b>			<b>13.418</b>	<b>0.100</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डकट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम बरगोलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बरगोलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - बरगोलिया		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	136/1	पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती भील	बरगोलिया	0.354	0.002
2	136/2/1	मोटियाबाई पिता शिवनारायण भवरलाल पिता शिवनारायण जाती दांगी	बरगोलिया	0.821	0.001
3	136/2/2	राहुल पिता बद्रीलाल जाती दांगी	बरगोलिया	0.190	0.002
4	136/3	पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती भील	बरगोलिया	0.583	0.001
5	136/4	ग्यारसीराम पिता मदनलाल जाती दांगी	बरगोलिया	0.858	0.002
6	136/5	शिवलाल पिता गिरधारी जाती भील	बरगोलिया	0.937	0.002
7	136/6	शिवनारायण पिता मोहनलाल जाती दांगी	बरगोलिया	0.937	0.002
8	134/1	रामचरण फूलसिंह पिता कवरलाल जाती दांगी	बरगोलिया	0.759	0.004
9	134/2	शिवलाल पिता रामरतन जाती दांगी	बरगोलिया	0.872	0.004
10	134/3	कैन्हयालाल पिता पारथी जाती नाई	बरगोलिया	0.506	0.004
11	134/4	प्रभुनाथ सिंह छगनसिंह पिता केशरसिंह शिवनारायणसिंह विश्वनाथ सिंह पिता केशरसिंह जाती राजपूत	बरगोलिया	1.124	0.004
<b>कुल योग</b>	<b>11</b>			<b>7.941</b>	<b>0.028</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम ओडपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ओडपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।</p> <p>अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - ओडपुर		तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	35	गुलाब बाई पुत्री देवा जाती साँधिया	ओडपुर	1.263	0.012
2	34/1	कवरलाल पिता केशर जाती साँधिया	ओडपुर	0.269	0.005
3	34/2	शिवसिंह पिता केशर जाती साँधिया	ओडपुर	0.270	0.004
4	33	बनेसिंह पिता रामलाल जाती साँधिया	ओडपुर	0.595	0.015
5	48/16	बनेसिंह पिता रामलाल जाती साँधिया	ओडपुर	1.000	0.017
6	2	कवरलाल पिता केशर जाती साँधिया	ओडपुर	0.384	0.004
7	3/1/1	पर्वतसिंह पिता नारायणसिंह जाती लोढ़ा	ओडपुर	0.110	0.006
8	3/1/2	पर्वतसिंह पिता नारायणसिंह जाती लोढ़ा	ओडपुर	0.110	0.005
9	3/2/1	बनेसिंह विजयसिंह हिन्दुसिंह पिता रामलाल कमलसिंह ना. बा. पिता रामलाल सर माता मु. दरयावबाई बेवा रामलाल जाती साँधिया	ओडपुर	0.221	0.005
10	50/1	पर्वतसिंह पिता नारायणसिंह जाती लोढ़ा	ओडपुर	0.131	0.001
11	50/2	पर्वतसिंह पिता नारायणसिंह जाती लोढ़ा	ओडपुर	0.132	0.001
कुल योग	11			4.485	0.075

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम राजपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम राजपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - राजपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	138	मदनलाल पिता रमा भवरी बाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.886	0.003
2	151/13	करणसिंह मांगीलाल शिवसिंह पिता देवा रमकु बाई पुती देवा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.138	0.005
3	151/14/1	देवीलाल पिता गंगाराम जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.148	0.005
4	151/18	करणसिंह मांगीलाल शिवसिंह पिता देवा रमकु बाई पुती देवा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.154	0.005
5	151/39	मदनलाल पिता रामा भावरीबाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.774	0.005
6	151/47	पूरा पिता नग्गा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.251	0.005
7	151/67	मदनलाल पिता रामा भावरीबाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.470	0.005
8	151/68	हरिसिंह भगौरथ नरभे सिंह पिता देवीलाल सम्पतबाई पुरीबाई पुत्री देवीलाल किसनीबाई बेवा देवीलाल जाती लोढ़ा प्रभुलाल गणपत पिता रामलाल रोडीबाई पुत्री रामलाल जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.327	0.005



9	151/91/2	दरियाव बाई बेवा प्रभुलाल लालसिंह रामसिंह दिनेश सेंदरी बाई नर्मदाबाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.225	0.005
10	151/92/1	दरियाव बाई बेवा प्रभुलाल लालसिंह रामसिंह दिनेश सेंदरी बाई नर्मदाबाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.247	0.005
11	134	बंशीलाल पिता चतरा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.530	0.012
12	151/59/1	राधाकिशन पिता भीमा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.104	0.002
13	151/59/2	नारायणसिंह पिता भीमा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.104	0.002
14	151/59/3	फूलसिंह पिता भीमा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.104	0.002
15	151/83	रोड़ीसिंह पिता भेरू कांता बाई पुत्री भेरू जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.356	0.082
16	152	रोड़ीसिंह पिता भेरू कांताबाई पुत्री भेरू जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.368	0.005
17	153/1	हरिसिंह पिता भवरलाल कलबाई अमरिबाई संतोष बाई पुत्री भवरलाल जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.042	0.003
18	153/2	शंकर पिता गंगाराम जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.136	0.003
19	151/87	हरिसिंह भगीरथ नरभे सिंह पिता देवीलाल सम्पतबाई पुरीबाई पुत्री देवीलाल किसनीबाई बेवा देवीलाल जाती लोढ़ा प्रभुलाल गणपत पिता रामलाल रोड़ीबाई पुत्री रामलाल जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.089	0.023
20	22	मांगीबाई पुत्री प्यारा जाती लोढ़ा	राजपुरा	0.733	0.013
<b>कुल योग</b>	<b>20</b>			<b>6.186</b>	<b>0.195</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम नेश तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम नेश तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!					
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।					
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।					
ग्राम - नेश		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	87/8/34	रोडजी पिता चम्पा जाती चामर	नेश	0.500	0.018
2	87/8/30	पार्वतसिंह पिता नारन जाती चामर	नेश	0.500	0.007
3	99	मोड़सिंह पिता घिसा जाती लोढ़ा	नेश	0.517	0.012
4	87/8/23	भेरिया पिता मेहताब जाती चामर	नेश	0.500	0.013
5	93/2	गंगाबाई पति गुलाब जाती दांगी	नेश	0.696	0.026
6	92	भवरलाल पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा	नेश	0.809	0.017
7	108/1	फूलसिंह पिता कालू गोकुल रामचरण हरिसिंह पिता कालू जाती दांगी	नेश	0.461	0.005
8	108/2	गंगाबाई पति गुलाब जाती दांगी	नेश	0.461	0.005
कुल योग	8			4.444	0.103

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम चांदपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम चांदपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - चांदपुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	156	शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.845	0.004
2	152	शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	1.267	0.010
3	151	शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिंह पिता भोनसिंह मोहनबाई गुडडीबाई पुत्री भोनसिंह राधाबाई बेवा भोनसिंह गुर्जर	चांदपुरा	0.785	0.014
4	152	शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	1.267	0.004
5	149	मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.749	0.012
6	145	मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर	चांदपुरा	963	0.023
7	146	मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर	चांदपुरा	1.202	0.004
8	143	मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.178	0.004
9	113	मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.114	0.007

10	114	मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.012	0.001
11	119	लालसिंह पिता भावना जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.065	0.003
12	96	शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिंह पिता भोनसिंह मोहनबाई गुडडीबाई पुत्री भोनसिंह राधाबाई बेवा भोनसिंह गुर्जर	चांदपुरा	0.179	0.006
13	95	शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिंह पिता भोनसिंह मोहनबाई गुडडीबाई पुत्री भोनसिंह राधाबाई बेवा भोनसिंह गुर्जर	चांदपुरा	0.089	0.006
14	93	शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.255	0.004
15	87/1	नारायण पिता भेरू जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.070	0.004
16	87/2	रतनलाल पिता भेरू जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.070	0.004
17	87/3	हरिसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.139	0.003
18	2/1/1	बालूसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.273	0.004
19	2/1/2	चैनसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.208	0.003
20	2/1/3	भगवानसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.278	0.004
21	2/1/4	हरिसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.223	0.003
22	2/2	नारायण पिता भेरू जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.491	0.003
23	2/3	रतनलाल पिता भेरू जाती गुर्जर	चांदपुरा	0.491	0.003
<b>कुल योग</b>	<b>23</b>			<b>972.25</b>	<b>0.133</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम मोगियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोगियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।</p>					
ग्राम - मोगियापुरा		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	92/1	भोनेसिंह पिता नंदा जाती गुजर	मोगियापुरा	2.720	0.014
2	90/1/1	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.181	0.002
3	90/1/2	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.182	0.002
4	90/1/3	मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी	मोगियापुरा	0.363	0.002
5	90/1/4	मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी	मोगियापुरा	0.364	0.002
6	90/1/5	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.183	0.001
7	90/1/6	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.182	0.002
8	91/1/1	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.089	0.002
9	91/1/2	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.089	0.002
10	91/2	मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी	मोगियापुरा	0.178	0.001
11	90/1/1	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.181	0.001
12	90/1/2	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.182	0.002
13	90/1/3	मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी	मोगियापुरा	0.363	0.001
14	90/1/4	मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी	मोगियापुरा	0.364	0.001
15	90/1/5	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.183	0.002

16	90/1/6	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.182	0.003
17	107/1/1	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.164	0.003
18	107/1/2	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.164	0.003
19	106/1/1	रतिराम पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.136	0.001
20	106/1/2	गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी	मोगियापुरा	0.135	0.001
21	106/2	मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी	मोगियापुरा	0.272	0.001
22	108/1/1	मांगीलाल पिता गंगारम जाती दांगी	मोगियापुरा	0.381	0.004
23	108/2	गंगाधर पिता प्रहल्लाद जाती दांगी	मोगियापुरा	0.149	0.006
24	54/1/3/2	बल्लभ सिंह पिता बदन जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.156	0.002
25	54/1/3/3	शिव सिंह पिता बदन जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.156	0.002
26	54/1/4/1	शिवनारायण पुरसिंह पिता करणसिंह जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.234	0.002
27	54/1/6/1	रतनलाल पिता बंशीलाल जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.117	0.002
28	54/10/2/1	श्रीलाल पिता बंशीलाल जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.268	0.001
29	54/10/2/2	हेमराज पिता रतनलाल जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.269	0.001
30	54/10/2/3	धीरप सिंह पिता बंशीलाल जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.269	0.001
31	54/10/2/4	कुमरसिंह सिंह पिता बंशीलाल जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.268	0.001
32	54/11/1	बालूसिंह पिता श्रीलाल जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.477	0.001
33	54/11/2/1/1	जसवन्तसिंह पिता बनेसिंह जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.114	0.001
34	278/54	गंगाधर पिता प्रहल्लाद शांतिबाई पुत्री प्रह्लाद जाती दांगी	मोगियापुरा	0.583	0.019
35	53/1/1	रतनलाल पिता बंशीलाल जाती साँधिया दांगी	मोगियापुरा	0.056	0.003
36	53/1/2	धीरपसिंह पिता बंशीलाल जाती साँधिया दांगी	मोगियापुरा	0.055	0.003
37	53/1/3	कुमरसिंह पिता बंशीलाल जाती साँधिया दांगी	मोगियापुरा	0.055	0.003
38	53/1/4	श्रीलाल पिता बंशीलाल जाती साँधिया दांगी	मोगियापुरा	0.055	0.003
39	53/1/2	रंगलाल पिता जयकिशन राधेश्याम पिता छीतरमल जाती जाट	मोगियापुरा	0.222	0.003
40	53/2/1	श्रीलाल पिता फतेसिंह दरियाब बाई बेवा फतेसिंह जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.053	0.002
41	53/2/2	मांगीलाल पिता केशर जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.052	0.002
42	53/2/3	हरिसिंह पिता आनरसिंह जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.053	0.002
43	52/1	मांगीलाल पिता बदन जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.437	0.004
44	52/2/1	श्रीलाल पिता फतेसिंह दरियाब बाई बेवा फतेसिंह जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.048	0.004
45	52/2/2	मांगीलाल पिता केशर जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.049	0.004
46	52/2/3	कमलसिंह पिता आनरसिंह जाती साँधिया	मोगियापुरा	0.049	0.003
47	126	केशर पिता नाथू जाती चामर -या जमीन दोलाज दर्ज है	मोगियापुरा	0.368	0.009
कुल योग	47			11.850	0.137

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम दोलाज तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम दोलाज तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरुपा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - दोलाज		तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	220/1	रामबाबू पिता मोती जाती दांगी	दोलाज	0.190	0.001
2	220/2	बलबक्ष देवीलाल पिता घिसा देवीसिंह पिता पाचूलाल जाती दांगी	दोलाज	0.101	0.001
3	220/3	राधेश्याम रामबाबू कैन्हयालाल इंदरसिंह पिता रामलाल सुन्दरबाई बेवा रामलाल जाती दांगी	दोलाज	0.065	0.001
4	220/4	पुरसिंह, बद्दीलाल पिता गोपीलाल मांगीलाल , विष्णु पिता शिवसिंह भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी	दोलाज	0.178	0.001
5	36	फूलसिंह उकारबगस पिता देवीसिंह जाती दांगी	दोलाज	0.560	0.010
6	32	बलचनद पिता पुरालाल रतनलाल पिता बक्षु जाती ब्राम्हण	दोलाज	0.821	0.009
7	11/1	रोडमल पिता रामबक्ष पुरीबाई पिता रामबक्ष धापूबाई बेवा रामबक्ष जाती दांगी	दोलाज	0.125	0.0004
8	12/2/1	रामचरण पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.187	0.007
9	12/2/2	मांगीलाल पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.187	0.006

10	21	देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाती दांगी	दोलाज	0.275	0.003
11	15	राम बक्षु पिता कालूसिंह जाती दांगी	दोलाज	0.684	0.011
12	3/1	बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी	दोलाज	0.190	0.001
13	3/2	रतन पिता घिसा जाती दांगी	दोलाज	0.190	0.001
14	3/3	मनोहर पिता हीरालाल जाती दांगी	दोलाज	0.190	0.001
15	3/4	रतन पिता घिसा जाती दांगी	दोलाज	0.300	0.001
16	3/5	बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी	दोलाज	0.300	0.001
17	3/6	गोकुल लालजी मदनलाल भावरीबाई पिता नंदा उर्फ ननदराम जाती दांगी	दोलाज	0.300	0.001
18	3/7/1	मांगीलाल विष्णु भावरीबाई पिता शिवसिंह जाती दांगी	दोलाज	1.083	0.001
19	3/8	पुरसिंह पिता गोपीलाल मांगीलाल पिता शिवसिंह बद्रीलाल पिता गोपीलाल विष्णु पिता शिवसिंह भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी	दोलाज	0.650	0.001
20	3/9	बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी	दोलाज	0.750	0.001
21	17/1	पुरसिंह पिता गोपीलाल मांगीलाल पिता शिवसिंह बद्रीलाल पिता गोपीलाल विष्णु पिता शिवसिंह भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी	दोलाज	0.170	0.001
22	17/2	मनोहर पिता हीरालाल जाती दांगी	दोलाज	0.043	0.001
23	17/3	रतन पिता घिसा जाती दांगी	दोलाज	0.043	0.001
24	17/4	गोकुल लालजी मदनलाल भावरीबाई पिता नंदा उर्फ ननदराम जाती दांगी	दोलाज	0.043	0.002
25	102/1	बजेसिंह पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.175	0.002
26	102/2	हजारीलाल पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.175	0.002
27	102/3	शिवनारायण पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.175	0.002
28	102/4	रामप्रसाद पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.175	0.002
29	102/5	कैलाश पिता देवीलाल जाती दांगी	दोलाज	0.174	0.002
30	103/1	शिवलाल रामप्रसाद कैलाश पिता देवीलाल जाती दांगी शिवलाल गेंदालाल पिता मांगीलाल पनिबाई बेवा मांगीलाल गीताबाई बदमाबाई पुत्री मांगीलाल जाती चामर	दोलाज	0.543	0.001



31	103/2/1	राधेश्याम पिता बदनजी देवेंद्र पिता रतन जाती दांगी	दोलाज	0.535	0.001
32	103/2/2	राधेश्याम पिता बदनजी देवेंद्र पिता रतन जाती दांगी	दोलाज	0.008	0.001
33	103/3/1	मांगीलाल पिता हीरालाल जाती दांगी	दोलाज	0.505	0.001
34	103/3/2	रामगोपाल पिता हीरालाल जाती दांगी	दोलाज	0.505	0.001
35	120/1	पूरा , धुलिया पिता भगीरथ जाती चमार	दोलाज	0.251	0.003
36	120/5	पूरा , धुलिया पिता भगीरथ जाती चमार	दोलाज	0.255	0.002
37	120/9/2	रोडजी रामगोपाल पिता कवरलाल जाती दांगी	दोलाज	0.023	0.002
<b>कुल योग</b>	<b>37</b>			<b>11.12</b>	<b>0.086</b>

प्ररूप - घ (नियम 6 देखिए)					
<p>अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम ,2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईटट परियोजना से ग्राम गणेशपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गणेशपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।</p> <p>और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !</p> <p>अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगर्मा से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!</p>					
ग्राम - गणेशपुरा			तहसील - खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)		
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	37/1	देवीसिंह पिता रघुनाथ जाती सांधिया	गणेशपुरा	0.390	0.001
2	37/2	जगदीश पिता फतेसिंह जाती सांधिया	गणेशपुरा	0.309	0.002
3	2/1/4/1	मांगीलाल पिता कनीराम जाती सांधिया	गणेशपुरा	1.012	0.026
<b>कुल योग</b>	<b>3</b>			<b>1.71</b>	<b>0.029</b>

पल्लवी वैध, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन

क्र. 41-भू-अर्जन-राजस्व प्र. क्र.-003-अ-82-2022-23

उज्जैन, दिनांक 4 जनवरी 2023

प्रारूप - "घ"  
(नियम-8 के अंतर्गत)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू-अर्जन/783 दिनांक 20.05.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अगूत परियोजना के अंतर्गत- ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायीं तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायीं तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 जून 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के मोटिरा बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगभो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	663/1	0.274
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	661/1 662	0.240
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	655	0.052
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	658/1	0.0627
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	190	0.031
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/5	0.102
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/4	0.103
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	189/2 191 192	0.080
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	191/1	0.072
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	656 657	0.089
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	2746/6 2746/7	1.080
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	2690	0.021
उज्जैन	उज्जैन नगर	कस्बा उज्जैन	95 97 98/1	0.236

कल्याणी पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. एफ.एसएनटी-14-0090-2022-इकतालीस-1.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, 2022 (Madhya Pradesh Science, Technology & Innovation Policy, 2022) जारी करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंशुल गुप्ता, उपसचिव.

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश

**विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022****(MP-STIP 2022)**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,

मध्यप्रदेश शासन

## विषय तालिका

1. परिचय.....	
1.1. परिकल्पना.....	
1.2. उद्देश्य .....	
2. नीतिगत प्राथमिकताएं .....	
2.1. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना.....	
2.1.1. पारिस्थितिकी तंत्र की रचना.....	
2.1.2. विज्ञान का लोकप्रियकरण .....	
2.1.3. STI पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील करने हेतु पूरक नीतियां )Follow-up policies( .....	
2.1.4. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभिनव प्रयोगों एवं सफल उदाहरणों का अनुकरण:.....	
2.2. अनुसंधान एवं विकास .....	
2.2.1. फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास.....	
2.2.2. अनुसंधान एवं विकास व्यव .....	
2.2.3. अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन.....	
2.2.4. पारंपरिक ज्ञान, विरासत और मैदानी स्तर पर नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास .....	
2.2.5. जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास .....	
2.2.6. अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत लक्ष्य .....	
2.3. क्षमतावर्धन और कौशल विकास .....	
2.3.1. क्षमतावर्धन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना.....	
2.3.2. उत्कृष्टता केंद्र )CoE(.....	
2.3.3. क्षमतावर्धन के लिए नीतिगत लक्ष्य.....	
2.4. सुशासन में STI का उपयोग .....	
2.4.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स .....	
2.4.2. 5G .....	
2.4.3. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT).....	
2.4.4. ब्लॉकचेन .....	
2.4.5. ड्रोन .....	
2.4.6. ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी /.....	
2.4.7. क्वांटम कंप्यूटिंग .....	
2.4.8. रोबोटिक .....	
2.5. पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा .....	
2.5.1. नवाचार के लिए डेटा.....	
2.5.2. नीति निर्माण के लिए डेटा.....	

2.5.3. बेहतर प्रशासन के लिए डेटा.....	.....
2.5.4. समावेशन के लिए डेटा.....	.....
2.5.5. डेटा के मूल्य को पहचानना.....	.....
2.5.6. डेटा सुरक्षा.....	.....
2.6. उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय.....	.....
<b>3. नीति क्रियान्वयन की रूपरेखा.....</b>	<b>.....</b>
3.1. वित्तीय प्रबंधन.....	.....
3.2. प्रशासकीय तंत्र.....	.....
3.3. नीति की अवधि और अंतरिम समीक्षा.....	.....
<b>परिशिष्ट.....</b>	<b>.....</b>
A.1. परिशिष्ट-I.....	.....
मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी पहल और सफलता के उदाहरण.....	.....
A.2. परिशिष्ट-II: उभरती प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के उदाहरण.....	.....
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के संभावित उपयोग के उदाहरण.....	.....
ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के उदाहरण.....	.....
ड्रोन के संभावित उपयोग के उदाहरण.....	.....
A.3. परिशिष्ट III – शब्दकोष.....	.....

## 1. परिचय

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, पिछले कुछ वर्षों में तेज़ गति से विकास करते हुए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश पर विश्वास व्यक्त करते हुए, भारत ने वर्ष 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की है।

राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सतत प्रयासरत है। राज्य ने 550 बिलियन डॉलर के जीएसडीपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग रु. 11.69 लाख करोड़ था, और यह वित्तीय वर्ष 2019-2022 की अवधि में लगभग 12.57% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है।<sup>1</sup> अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और उन्नत औद्योगिक अधोसंरचना के साथ ही साथ, उपयुक्त नीति और निवेश के सम्मिश्रण से प्रदेश के विकास दर को और भी गति प्रदान की जा सकती है।

आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक विकास और सुशासन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले नित नए प्रयोगों और नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव ने विकास के स्थापित मापदंडों के पुनर्मूल्यांकन और नई नीतिगत पहलों को क्रियान्वयित करने की संभावनाएं प्रकट की हैं।

इस नीति का उद्देश्य मध्यप्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर उद्यम और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का है। यह नीति नागरिकों, उद्यमों और सरकार को एक समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु सहयोगात्मक नवाचार करने में सक्षम बनाएगी। यह नीति जमीनी स्तर पर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगी।

### 1.1. परिकल्पना

"मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति - 2022" (MPSTIP) समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने और अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की कल्पना करती है।

### 1.2. उद्देश्य

"मध्य प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति - 2022" (MPSTIP) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- i. मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) गंतव्य के रूप में स्थान दिलाना।
- ii. मानव संसाधन, निवेश, और ज्ञान आधारित श्रम शक्ति जैसे कारकों को सुदृढ़ करके वर्ष 2030 तक 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' (अपने मौजूदा 13 वें रैंक से) में मध्यप्रदेश को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिलाना।<sup>2</sup>

<sup>1</sup> भारतीय रिजर्व बैंक, "भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका" पर आधारित अनुमान यहां उपलब्ध है:

<https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=21102>

<sup>2</sup> इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इनोवेशन परिदृश्य और प्रदर्शन के आधार पर राज्यवार रैंकिंग प्रस्तुत करता है। मानव संसाधन, निवेश, ज्ञान आधारित श्रम शक्ति, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा, और कानूनी वातावरण पांच नवाचार सूचकांक हैं।

- iii. एक प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर मध्यप्रदेश को अनुसंधान प्रकाशन, स्टार्टअप, औद्योगिक डिजाइन संबंधी नवाचार और पेटेंट जैसे संकेतकों को सुदृढ़ कर प्रदेश में ज्ञान आधारित उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना।
- iv. विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य के समग्र व्यय को बढ़ाना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- v. मध्यप्रदेश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार (जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (SSB)) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- vi. एसटीईएम (STEM) प्रयोगों और प्रतियोगिताओं के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करके प्राथमिक स्तर से ही, विशेष रूप से छात्राओं के बीच एसटीईएम(STEM) शिक्षा को बढ़ावा देकर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकन अनुपात को बढ़ाना।
- vii. वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आदर्श ढांचे को विकसित करना।
- viii. धरातल की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को बढ़ावा देना।
- ix. कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में निजी उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक अनुसंधान, विकास और नवाचार अधोसंरचना का निर्माण करना।
- x. नवीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित सक्रिय, कुशल और पारदर्शी G2C और G2B प्रणालियां विकसित कर जन आवश्यकताओं का सटीक आंकलन कर घर पहुँच सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- xi. मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी, सेमीकंडक्टर, आईओटी, ब्लॉकचैन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, एआई और एआर/वीआर जैसी नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में विश्वस्तरीय मानव संसाधन का सृजन कर कौशल संवर्धन के क्षेत्र में अग्रेषित होना।
- xii. शासकीय डोमेन में उपलब्ध विशाल डेटा भंडार का लाभ उठाकर, गोपनीयता-संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक सर्वसुलभ सैंडबॉक्स वातावरण निर्मित कर डेटा आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी और उत्तरदायी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- xiii. नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, हस्तांतरण, अनुकूलन और उपयोग को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।


## 2. नीतिगत प्राथमिकताएं

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह नीति निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

### 2.1. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना

#### 2.1.1. पारिस्थितिकी तंत्र की रचना

यह नीति उद्योग, अकादमिक, स्टार्टअप, वैज्ञानिक संस्थान, समाज और सरकार, इन सभी हितधारकों के मध्य सूचना एवं ज्ञान संबंधी सहयोग, वित्त पोषण और नवाचार संबंधी समन्वयन स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी, जो एसटीआई गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। इस मंच का उद्देश्य ज्ञान के सृजन और नवाचार के लिए जरूरी बहु-हितधारक सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत करना है।



### पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रणनीतिक कार्य योजना (Strategic actions)

- विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ एक "इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप" (IPG) की स्थापना की जाएगी, जो नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के नोडल के रूप में कार्य करेगी।
- शिक्षा के प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और गणित विषय को छात्रों में लोकप्रिय कर उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर पर एसटीआईएम (STEM) विषयों का प्रसार बढ़ाने हेतु लक्षित गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। ग्रामीण, विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान एवं गणित की रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन, जिला स्तरीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नवाचार प्रतियोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर चलित विज्ञान प्रदर्शनियों के माध्यम से छात्रों एवं जनसाधारण को इन विषयों के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा।
- प्रासंगिक नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थानों (जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, आईआईआईटी, एनआईडी, एनआईएफटी, एनएलएस) की क्षमताओं का उपयोग करें और इन संस्थानों को मध्यप्रदेश के एक जिले को गोद लेकर (Adopt) उस जिले में स्थानीय रूप से विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।



- iv. सेमिनार और संगोष्ठी के माध्यम से नवाचार और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने एवं निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के माध्यम से स्टार्टअप को प्रारम्भिक वित्त-पोषण, मेंटरशिप, प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रथाओं का लाभ उठाने में मदद करने हेतु अग्रणी संस्थानों (जैसे आईआईटी, आईआईआईटी, आदि) में नवाचार समूहों, इन्क्यूबेटरों और एक्सेलेरेटरों की स्थापना की जाएगी।
- v. शासकीय कार्यों में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 'राज्य नवाचार कोष' की स्थापना की जायेगी। इसका उपयोग डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाने की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी किया जा सकता है।
- vi. मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में जमीनी स्तर पर नवाचारों, प्रकाशन, औद्योगिक डिजाइन, दायर किए गए पेटेंट आदि जैसे ज्ञान सृजन संबंधी संकेतकों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- vii. छात्रों को प्रारंभिक चरण से एस्टीईएम क्षेत्रों में अवसरों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करने के लिए सभी हितधारक समूहों (आर एंड डी समूह, अकादमिक, उद्योग प्रतिनिधियों) के साथ छात्रों को बातचीत की सुविधा देने के लिए परामर्श मंच उपलब्ध कराया जायेगा।
- viii. शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।
- ix. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोग, समन्वयन और अभिसरण के लिए एक मंच विकसित किया जायेगा।

### 2.1.2. विज्ञान का लोकप्रियकरण

इस नीति का उद्देश्य विज्ञान को अर्थपूर्ण, आकर्षक, सहयोगी और व्यावहारिक बनाकर छात्रों और समाज में लोकप्रियता दिलाना है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए उत्सुकता और सराहना पैदा कर, छात्रों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिज्ञासु बनाकर, विज्ञान सीखने की लालसा का सृजन करना है।

- i. म.प्र. शासन द्वारा एक छात्र-विज्ञान मंच (प्लेटफॉर्म) स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में छात्रों और युवा वयस्कों के लिए एक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के रूप में काम करेगा। मंच उन गतिविधियों के लिए सामग्री प्रदर्शित करेगा जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जैसे:
  - a. वीडियो, गाइड और किट के साथ छात्रों के लिए विज्ञान के प्रयोग।
  - b. कथानक एवं किस्सागोई के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने के लिए समृद्ध एनिमेटेड मल्टीमीडिया सामग्री विकसित की जाएगी।
  - c. विज्ञान मेले, प्रतियोगिता और संगोष्ठी के बारे में जानकारी।
  - d. लघु-स्तरीय प्रयोगों के लिए विद्यार्थी अनुदान।
  - e. विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान छात्रवृत्ति।
  - f. STEM पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए भारत और भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों के साथ अल्पकालिक विनिमय कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति।
  - g. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीविका के अवसरों का संग्रहण।

- h. उद्योग, विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप में युवाओं के लिए इंटरशिप एवं अवसर।
- i. क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के बारे में विचार करने हेतु छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय संदर्भ के साथ विज्ञान की चुनौतियों का संग्रहण।
- j. राज्य में वैज्ञानिक एवं सृजनात्मक शिक्षा के समस्त केन्द्रों की जानकारी।
- k. विज्ञान पर उपलब्ध भारतीय और वैश्विक सामग्री (वीडियो श्रृंखला, वृत्तचित्र और अध्ययन सामग्री सहित) तक पहुंच।
- l. उभरते प्रौद्योगिकी संसाधन जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सफल अनुप्रयोगों का संग्रहण।
- m. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सीएसआर गतिविधियों और अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उद्योग और निजी क्षेत्र के लिए मंच।
- ii. प्रमुख शिक्षण संस्थानों (जैसे IIT, NIT, IIIT, आदि) के सहयोग से रचनात्मक शिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र शिक्षा प्रणाली में प्रचलित विशिष्ट पठन-आधारित शैक्षणिक दृष्टिकोण के विपरीत व्यावहारिक अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक संसाधन के रूप में काम करेगा। यह केंद्र रोचक विज्ञान प्रयोगों के आधार पर वैचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित गतिविधियों में प्राध्यापकों एवं महाविद्यालयीन छात्रों को सम्मिलित करेगा और हाई-स्कूल के छात्रों को इंटरशिप, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से इस फोरम में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।
- iii. छात्रों के साथ-साथ पर्यटकों एवं आम जन में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए विज्ञान से परिपूर्ण शैक्षणिक और मनोरंजक विज्ञान केंद्र बनाने के लिए एक 'विज्ञान पार्क' योजना बनाई जाएगी। विज्ञान पार्क निम्नलिखित पहलुओं को समाहित कर, आकर्षण का केंद्र बनकर उभरने का प्रयास करेगा:
- a. एक विज्ञान संग्रहालय, जिसमें:
- विज्ञान अवधारणाओं और नवाचारों (विमानन, अंतरिक्ष, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु, आदि) को प्रदर्शित करने वाली विषयगत दीर्घाएँ।
  - 'विज्ञान आविष्कार गैलरी' जो विश्व के महानतम वैज्ञानिक आविष्कारों के इतिहास को प्रदर्शित करेगी।
  - इंटरैक्टिव विज्ञान प्रयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक 'एक्सप्लोरैटोरियम'(Exploratorium)।
  - एक तारामंडल जो खगोल विज्ञान कार्यक्रमों को प्रदर्शित करेगा और सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
- b. नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी की एक प्रदर्शनी जो स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करेगी।
- c. 'पारंपरिक और आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी', जो भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत और आधुनिक समय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। भारत के पारंपरिक विज्ञान जैसे आयुर्वेद तथा भारत की आधुनिक सफलताएँ जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारतीय विद्वानों एवं वैज्ञानिकों के योगदान को प्रदर्शित करेगी।

- d. विज्ञान फिल्मों, वृत्तचित्र, साइंस इवेंट्स (उदाहरण के लिए सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्च आदि) के प्रसारण विज्ञान वार्ताओं की मेजबानी और सेमिनार इत्यादि के आयोजन के लिए अत्याधुनिक थियेटर की स्थापना।
  - e. एक 'कोडिंग लैब' जो "लर्न टू कोड" पाठ्यक्रम और रोचक गतिविधियाँ संचालित करेगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
  - f. एक "क्यूरियोसिटी लैब" की स्थापना की जाएगी जो निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के साथ मिलकर विज्ञान संबंधी नए प्रयोग और रोचक अनुभव विकसित करेगी तथा जिज्ञासु वैज्ञानिकों का एक सक्रिय समूह बनाकर छात्रों को विज्ञान मॉडल एवं एप्लिकेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- iv. वैज्ञानिक महत्व के स्थलों में रुचि जगाने के लिए विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा:
- a. संभावित खौगोलिक-पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास (जैसे उज्जैन तारामंडल, डोंगला वेधशाला और प्रस्तावित मांडू एस्ट्रो-पार्क)
  - b. यूनेस्को के सहयोग से पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों और आध्यात्मिक विरासत स्थलों का विकास और संरक्षण और मध्यप्रदेश की स्थापत्य एवं वैज्ञानिक विरासत को प्रदर्शित करने की पहल।

### 2.1.3. STI पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील करने हेतु पूरक नीतियां (Follow-up policies)

MPSTIP का अधिकतम प्रभाव तब होगा जब नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मांग पक्ष के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष को भी शासकीय पहलों के माध्यम से समर्थन दिया जाए। मांग पक्ष को मजबूती देने के लिए मुख्यतः आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहन और तकनीकी उद्यमिता को समर्थन देना होगा। आपूर्ति पक्ष में, सरकार को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों का विकास सुनिश्चित करने वाले कौशल उन्नयन तंत्र के विकास और एक समृद्ध एवं खुला डेटा पारिस्थितिकी तंत्र (Open Data System) बनाने की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है -

#### i. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति (MPEIT)

सरकार का लक्ष्य नवाचार-आधारित विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देकर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज के माध्यम से एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगाढ़ बनाकर विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाने एवं मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने की है। इसे प्राप्त करने के लिए, राज्य शासन ने "मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश नीति और योजना, 2016" लागू की है। मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में बनाए रखने के लिए समय के साथ इसमें संशोधन भी किये गए हैं, परन्तु आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में मध्यप्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थलों में शामिल करने के लिए इस नीति की समीक्षा कर इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा।

इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को समर्थन देने की होगी। इन नीतियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NHM) एवं भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) जैसी राष्ट्रीय नीतियों के साथ संरेखित किया जाएगा।

#### ii. मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति (MPTSP)

मध्यप्रदेश का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अपने शैशवकाल में भी अत्यधिक सक्रिय और जीवंत है, जिसमें हजारों डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ने, पनपने और नवाचार-क्रांति का नेतृत्व

करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप के लिए विशेष वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं प्रदान करना होगा। मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022, जो एमएसएमई क्षेत्र के विकास के मॉडल पर आधारित है, को व्यापकता देते हुए सेवा/ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (जैसे फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक, लॉजिस्टिक्स और अन्य उपभोक्ता सेवाएं) में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने और स्टार्टअप को प्रारम्भिक वित्त-पोषण के रूप में समर्थन देने, प्राविधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में लगने वाली लागत को कम करने, पेटेंट-फंडिंग का समर्थन करने, और स्थानीय खरीद को आसान बनाने के लिए योजनाएं बनाएंगी, जिससे स्टार्टअप को अपने बिजनेस मॉडल और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

### iii. मध्यप्रदेश कौशल नीति (MPSP)

एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र जो राज्य में नवाचार-आधारित विकास की रीढ़ बनेगा, के विकास हेतु कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि आवश्यक होगी। म.प्र. के युवाओं को बाजार और तकनीकी-जगत की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के मध्य समन्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी। उद्योगों की आवश्यकता के अनुकूल प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान एवं पाठ्यक्रमों को डिजाइन किये जाने की प्रक्रिया में उद्योग संगठनों (जैसे NASSCOM, बीएफएसआई परिषद, आईएमएआई इत्यादि) की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को उद्योग-जगत के लिए तैयार करने के लिए कौशल-आधारित शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। नवीन तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑनलाइन और अन्य पाठ्यक्रमों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

### iv. मध्यप्रदेश डेटा नीति (MPDP)

वृहद् स्तर पर उपलब्ध डेटा का लाभ उठाने के लिए, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद एवं सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, नवाचार वित्त पोषण के लिए लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करने और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की डेटा-आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक डेटा नीति की आवश्यकता होगी। यह नीति डेटा गोपनीयता एवं मास्किंग संबंधी मापदंडों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए, सरकारी डेटाबेस को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखेगी।

### v. मध्यप्रदेश अनुसंधान एवं विकास नीति (MPRDP)

अनुसंधान एवं विकास नव-ज्ञान का सृजन कर, नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर नवाचार के एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में समाज के सतत आर्थिक विकास में सहायक होता है। यह नीति अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए एक सहायक प्रणाली विकसित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेगी।

## 2.1.4. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभिनव प्रयोगों एवं सफल उदाहरणों का अनुकरण:

सुशासन और नवाचार-आधारित विकास हेतु प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अतीत में कई पहल किये हैं। मध्यप्रदेश फसल बीमा पंजीकरण को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने और बीमा भुगतान एवं फसल संबंधी सलाह व उपज का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह छवियों के पैटर्न और रिमोट सेंसिंग मॉडल का उपयोग करने की पहल करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। डब्ल्यूईएफ के सहयोग से फूड इनोवेशन हब प्लेटफॉर्म का विकास, सीएम हेल्पलाइन और समाधान पोर्टल, समग्र पोर्टल और सार्थक एप्लिकेशन का समर्थन करने के लिए फेस रिकग्निशन मॉडल का उपयोग सरकार की अन्य प्रमुख पहलों में शामिल हैं। मध्यप्रदेश की कुछ अन्य सफल प्रयोगों का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इस नीति का एक उद्देश्य सरकार की ई-गवर्नेंस प्रणालियों के सुदृढीकरण में स्टार्ट-अप और उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी होगा।

## 2.2. अनुसंधान एवं विकास

इस नीति में निर्धारित दृष्टि और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण है। विविध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के निम्नांकित पहल अनुसंधानीय है:

### 2.2.1. फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास

इस नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मूलभूत अधोसंरचना और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में राज्य और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

### 2.2.2. अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर और अधिक व्यय करने में निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अनुसंधान सम्बंधित गतिविधियों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित होगा, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शासन द्वारा फिनटेक, रोबोटिक्स, मेडीटेक, स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के लिए बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने की योजना है।

### 2.2.3. अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन

इस नीति का उद्देश्य राज्य में अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी सोच विकसित करने के लिए आवश्यक तंत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जायेंगे -

- ऐसी निजी कम्पनियां जो राज्य में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगी।
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और जीआई मार्क के अनुसंधान एवं विकास पर होने वाली लागत राशि के नियत भाग का निर्वहन शासन द्वारा किये जायेंगे।

### 2.2.4. पारंपरिक ज्ञान, विरासत और मैदानी स्तर पर नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास

पारंपरिक ज्ञान और विरासत के साथ-साथ स्वदेशी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार निम्नलिखित पहल करेगी -

- उन्नत तकनीक के उपयोग से स्वदेशी कला को डिजिटाइज़ करने की पहल को बढ़ावा देना और डिजिटल उत्पाद (जैसे नॉन फंजिबल टोकन) बनाना।
- स्वदेशी कला को प्रमाणित करने के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ावा देकर कलाकारों को अपना पोर्टफोलियो बनाने और पहचान एवं लोकप्रियता पाने में मदद करना।
- सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए वीआर (VR) और एआर (AR) जैसे मल्टीमीडिया दृष्टिकोणों के उपयोग को बढ़ावा देना और तकनीकी के प्रयोग से संस्कृति को अनुभव करने के अभिनव तरीकों का इस्तेमाल करना<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Bekele MK, Pierdicca R, Frontoni E, Malinverni ES, Gain J. A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage. J Comput Cult Herit. 2018;11:1-36.

- iv. टी.के.डी.एल. (TKDL) के अनुरूप एक राज्य-स्तरीय 'पारंपरिक ज्ञान संग्रह' विकसित किया जाएगा, जो पारंपरिक ज्ञान, जनजातीय औषधियों और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, सत्यापन और प्रचार करेगा।
- v. आयुष, एमएफपी-पीएआरसी (MFP-PARC), और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सरकारी विभाग संयुक्त रूप से किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करने के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों के प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण पर कार्यशाला आयोजित करने की पहल करेंगे।
- vi. स्वदेशी जड़ी-बूटियों और पारंपरिक ज्ञान की व्यावसायिक क्षमता की पहचान करने के लिए आयुष और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों (जैसे बायोप्रोस्पेक्टिंग, जैव रासायनिक परीक्षण, अवयव एवं रचना विश्लेषण, नैनो तकनीक, कार्यात्मक जीनोमिक्स और प्रोटीओमिक्स-आधारित अनुसंधान आदि) के सहयोग की सुविधा के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना विकसित करना और उपयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के माध्यम से संभावित अविष्कारों का संरक्षण करना।
- vii. औषधीय पौधों पर आधारित उत्पाद के विकास पर कार्य कर रहे स्टार्टअप की मदद करने और उन्हें अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए पारंपरिक मेडिसिन इनक्यूबेटर का विकास।

### 2.2.5. जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास

वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने डीकार्बोनाइजिंग और शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना सर्वाधिक चिंतनीय विषयों में से एक है। मध्यप्रदेश शासन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु संबंधी तकनीकी पहलों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एआई, ब्लॉकचैन, कनेक्टेड डिवाइस, बायोटेक आदि जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास, कम जीएचजी उत्सर्जन के लिए प्रिंसीजन खेती, खाद्य उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालयों में अक्षय ऊर्जा विभागों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतियाँ और प्रोत्साहन योजनाएं क्रियान्वयित की जायेंगी।

### 2.2.6. अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत लक्ष्य

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में उल्लेखित प्रयासों तथा इनोवेशन इंडेक्स में मध्यप्रदेश की रैंकिंग बढ़ाने की आकांक्षा को फलीभूत करने के लिए राज्य निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहेगा-

- i. उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यय तथा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि करना।
- ii. प्रकाशन, पेटेंट, कॉपीराइट, परामर्श सेवाओं जैसे अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाकर 2025 तक म.प्र. के संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग बढ़ाने में मदद करना।
- iii. ज्ञान-आधारित रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
- iv. राज्य में निजी अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या में वृद्धि।
- v. राज्य द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की संख्या में वृद्धि।
- vi. 2030 तक इनक्यूबेटरों (विशेष रूप से तकनीकी इनक्यूबेटरों) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- vii. बुनियादी नवाचारों की संख्या बढ़ाना और न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) और लाभदायक व्यवसायिक मॉडल विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करें।

- viii. 2030 तक राज्य में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि
- ix. राज्य में दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि
- x. दायर किए गए ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या में वृद्धि
- xi. दायर किए गये औद्योगिक डिजाइन आवेदनों की संख्या में वृद्धि

### 2.3. क्षमतावर्धन और कौशल विकास

इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के कौशल संवर्धन के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण की दिशा में केन्द्रित प्रयास किये जायेंगे।

#### 2.3.1. क्षमता-वर्धन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना

- i. स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए शिक्षा संस्थानों और निजी उद्यमों के साथ साझेदारी की जायेगी तथा ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने की पहल की जाएगी, जिससे इन केंद्रों में नामांकित छात्र उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी भूमिकाओं के लिए आवश्यक नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी से सम्बंधित कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर सकें।
- ii. निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान और छात्रवृत्ति धनराशि का निर्धारण।
- iii. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों का चिन्हान्कित कर एवं इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर में पीएचडी करने वाले छात्रों का नामांकन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- iv. एसटीईएम पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मास्टर ऑफ साइंस (रिसर्च) (एमआरएस) कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर, स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान-उन्मुख ज्ञान सृजन और मानसिकता के विकास को प्रोत्साहित करना तथा पीएचडी ट्रेक में छात्रों का उन्मुखीकरण करना।
- v. STI पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत बहु-पक्षीय विमर्श और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने एवं ज्ञान और अनुभव के विनिमय को सुगम बनाने के लिए सेमिनार और सम्मेलनों के आयोजन में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- vi. STEM क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदेश के छात्रों तक इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तंत्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- vii. विदेशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और राज्य के विश्वविद्यालयों में अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अग्रणी प्राध्यापकों के दौरे की व्यवस्था करना।
- viii. हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए नागरिकों में डिजिटल कौशल विकास और जागरूकता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।
- ix. पॉलिटैक्निक पाठ्यक्रमों में जीवन-विज्ञान, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, एआर/वीआर, एआई/एमएल, आईओटी, डेटा विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

### 2.3.2. उत्कृष्टता केंद्र (CoE)

चिन्हांकित क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने, तथा उद्योगों विशेषकर MSME क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सुनिश्चित करने हेतु सक्षम मानव संसाधन का सृजन करने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित किये जायेंगे। ये प्रस्तावित केंद्र उद्योग क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर, व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, तथा ज्ञान आधारित उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से MSMEs और स्टार्टअप्स को व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं, वित्त पोषण संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

### 2.3.3. क्षमता-वर्धन के लिए नीतिगत लक्ष्य

क्षमता निर्माण और कौशल विकास की दिशा में इस नीति के माध्यम से शासन निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा:

- i. पीएचडी कार्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।
- ii. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों (स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तरों पर) में नामांकन बढ़ाना।
- iii. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ग्रेड A और उससे ऊपर के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाना।
- iv. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (NMEICT) से जुड़े कॉलेजों की संख्या में वृद्धि करना।
- v. व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।
- vi. व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।

## 2.4. सुशासन में STI का उपयोग

भारत ब्लॉकचेन, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को वृहत स्तर पर अंगीकृत कर लाभ उठाने की क्षमता विकसित कर चुका है। इन प्रौद्योगिकियों का उद्योग जगत एवं शासन दोनों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, विकास को गति देने, परियोजनाओं का विश्लेषण करने, समस्याओं का समाधान ढूंढने, उत्पादों के विकास, नए पैटर्न की पहचान, कारण-कारक सहसंबंधों का चित्रण आदि प्रक्रियाओं में इन प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्यप्रदेश का लक्ष्य एसटीआई (STI) के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देकर सुशासन का अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करने का है। इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावनाशील तकनीकों पर चर्चा की गई है।

### 2.4.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स

AI पूरी दुनिया को पूर्णतय: बदलने के लिए तैयार है। डेटा संग्रह और एकत्रीकरण, विश्लेषण और कंप्यूटर प्रसंस्करण शक्ति में प्रगति के साथ-साथ सोचने, समझने, सीखने, समस्या को हल करने और निर्णय लेने जैसी उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों के माध्यम से, AI मानव बुद्धि का पूरक बनकर उसे और समृद्ध करने के अवसर प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), मशीन लर्निंग, और वार्ता एवं इमेज रिकग्निशन जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति ने नीति-नियंताओं को को प्रतिक्रियावादी होने की बजाय समस्याओं के पुर्वानुमान लगा पाने की क्षमता प्रदान कर दी है।

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में रूट निर्धारण, वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण कर टैक्स सम्बन्धी धोखाधड़ी की पहचान इत्यादि AI और DA के संभावित उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, अन्य उदाहरणों की सांकेतिक सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट-II देखें।



### 2.4.2. 5G

5G मोबाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगली क्रांति है और 5G कनेक्टिविटी गति, उपयोगिता और अनुप्रयोगों के संदर्भ में पेश किए गए सुधारों के साथ दुनिया को और भी करीब लाएगा। ये सुविधाएं नेटवर्क से जुड़े देरी के समय को कम कर देंगी, इसे और अधिक विश्वसनीय बना देंगी और प्रौद्योगिकी के लिए सहज वास्तविक समय की पहुंच को सक्षम कर देंगी। कई नवीन अनुप्रयोग जैसे 5G उपकरणों से लैस अस्पताल जो दूरस्थ रोगी निगरानी को सक्षम करते हैं, स्मार्ट एंबुलेंस जो वास्तविक समय में डॉक्टरों के साथ संवाद करती हैं, डिजिटल वॉलेट जो निर्बाध वित्तीय लेनदेन बनाने के लिए फोन को कनेक्ट करते हैं, सिर्फ 5G तकनीक द्वारा संभव हो पायेंगे।

### 2.4.3. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग क्षमता के साथ एम्बेडेड (Embedded) उपकरण के एकीकरण को संदर्भित करता है जो एक नेटवर्क पर संचार करते हैं। विभिन्न उपकरण जैसे कोई डिवाइस, वाहन आदि जैसी भौतिक वस्तुएं, आपस में एक संपर्क बनाते हैं, तथा जानकारी का संचार कर सकते हैं और किसी अन्य स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी तक पहुंच सकते हैं। औद्योगिक IoT (IIoT) विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में इसके उपयोग को संदर्भित करता है।

### 2.4.4. ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन, अपरिवर्तनीय, एन्क्रिप्टेड, विकेन्द्रीकृत/वितरित लेजर(Ledger) तकनीक है जो डिजिटल भुगतान, डिजिटल पहचान, लॉजिस्टिक, रिकॉर्ड/दस्तावेज प्रबंधन और कई अन्य दैनिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, और शनैः-शनैः, पर स्पष्ट रूप से एक उभरती हुई तकनीक से मुख्यधारा की तकनीक में रुपान्तरित हो रही है। ब्लॉकचेन आधारित प्रूफ ऑफ कांसेप्ट और प्रारंभिक प्रारूप तेजी से उत्पाद एवं सेवाओं में उत्कृष्ट हो रहे हैं। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और व्यापकता (Scalability) में काफी सुधार हुआ है। औद्योगिक ब्लॉकचेन प्रक्षेत्र में भी नित नए कंसोर्टियम का गठन हो रहा है। इश्योरेंस जैसे टाइम-टेस्टेड उद्यमों को ब्लॉकचेन के माध्यम से स्वचालित होने से पहले अधिक परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है, पर मध्यस्थों और नियामकों की सीमित भूमिका वाले "गिग" अर्थव्यवस्था में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों का अनुप्रयोग तेजी से बढ़ेगा।

ब्लॉकचेन का उपयोग कर कृषि और जनजातीय उत्पादों (जैसे बासमती चावल, जनजातीय हस्तशिल्प) के प्रादुर्भाव (रूट) की ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग, और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वाहन, पंजीकरण), आदि में किया जा सकेगा। ब्लॉकचेन के उपयोगों की सांकेतिक सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-II देखें।

### 2.4.5. ड्रोन

ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) शासकीय प्रक्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने विभिन्न संभावित अनुप्रयोगों के कारण दुनिया भर में सर्वाधिक संभावनाशील प्रौद्योगिकियों में से एक बन कर उभरी है, जिसकी उपयोगिता न केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि नागरिक सेवा और सुशासन में भी इसके व्यापक उपयोग की संभावनाएं हैं। पर्यवेक्षण से लेकर परियोजनाओं की निगरानी तक, खोजबीन से लेकर रोकथाम तक और मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार से लेकर नई आवश्यकताओं के समाधान के रूप में; ड्रोन के अगणित उपयोग विविध उद्योग क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज, दुनिया भर में कई सरकारों ने ड्रोन का उपयोग उन कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया है जिनके लिए पहले भौतिक उपस्थिति एवं कई लोगों की आवश्यकता होती थी। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, पुलिस, आपदा, वन, सिंचाई, भूमि सर्वेक्षण, स्वास्थ्य, बिजली आदि में ड्रोन के कई अनुप्रयोग हैं।

दवाओं की डिलीवरी, प्रत्यारोपण के लिए अंगों की डिलीवरी, रेत खदान की निगरानी, कृषि में पोषक तत्वों और कीटनाशकों का छिड़काव, रैलियों और कार्यक्रमों आदि के दौरान भीड़ की निगरानी इत्यादि ड्रोन के संभावित उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। ड्रोन के अन्य उपयोगों की सांकेतिक सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट-II देखें।

### 2.4.6. ऑगमेंटेड रियलिटी / वर्चुअल रियलिटी

ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एवं वर्चुअल रियलिटी (VR) भौतिक दुनिया का एक दृश्य या श्रव्य निरूपण है जिसमें प्रासंगिक डिजिटल जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्मार्ट डिस्प्ले का उपयोग करके उपयोगकर्ता के समक्ष वास्तविक दुनिया के समरूप अभाषी दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। एआर-सक्षम स्मार्ट ग्लास वेयरहाउस कर्मचारियों को सटीकता के साथ ऑर्डर पूरा करने में मदद कर सकते हैं, एयरलाइन निर्माता विमानों की असेम्बली और बिजली कर्मचारी उपकरणों की मरम्मत में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक और आभासी दुनिया का यह सम्मिश्रण व्यवसायों और उद्योगों के एक बिलकुल नए क्षेत्र का सृजन कर रहा है।

### 2.4.7. क्वांटम कंप्यूटिंग

क्वांटम कंप्यूटिंग परिदृश्यों की एक अनंत श्रेणी का विश्लेषण एवं इन परिदृश्यों के अंतर्संबंधों के अध्ययन करने की क्षमता प्रदान करती है। यह प्रौद्योगिकी आने वाले कुछ वर्षों में व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुकूल होगी और आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग से जटिल समस्याओं और वृहत गणनाओं को हल करने के तरीके और इनमें लगने वाले समय दोनों में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित परिकल्पनाओं की अनंत श्रृंखला की क्रमिक गणना या परीक्षण करने की बजाय, इन परिदृश्यों को एक साथ संधान किया जा सकेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी खोजे जा सकेंगे जिन्हें जीवन भर हल करना असंभव था। धोखाधड़ी का पता लगाना, मानव जीनोम अनुक्रमण और प्रोफाइलिंग, बीमारी के लिए उपचार खोजना और एक मौजूदा रोगी के लक्षण प्रोफाइल की त्वरित तुलना दशकों से चल रहे वैश्विक केस आर्काइव के साथ करना, सघन शहरों में यात्री और वाणिज्यिक यातायात की रियल टाइम मॉडलिंग इत्यादि क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ प्रारंभिक अनुप्रयोगों में शामिल हो सकते हैं।

### 2.4.8. रोबोटिक

रोबोट मानवीय कार्यों और गतिविधियों को स्वचालित करने में सहायता स्वनियंत्रित और बुद्धिमत्ता युक्त मशीन हैं। रोबोटिक्स को अक्सर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है - (i) विशिष्ट अनुप्रयोग, जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोट शामिल हैं, (ii) बहुउद्देशीय रोबोट, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को स्वायत्तता पूर्वक निगमित कर सकते हैं, और (iii) संज्ञानात्मक रोबोट, जो निर्णय लेने और तर्क करने में सक्षम हैं और जटिल वातावरण में कार्य करने की क्षमता रखते हैं।

## 2.5. पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा

### 2.5.1. नवाचार के लिए डेटा

प्रौद्योगिकी कंपनियां और स्टार्टअप विभिन्न उपकरणों और एप्लीकेशंस से एकत्रित डेटा के विश्लेषण से उत्पन्न अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं। शासन के पास भी लोगों, सेवाओं आदि के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है। इस डेटा की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करके नवाचार और डेटा-संचालित सेवाओं/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश शासन विभिन्न सरकारी विभागों के पास उपलब्ध डेटासेट की पहचान करने के लिए पहल करेगी, डेटा गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करेगी, संस्थागत डेटा गोपनीयता तंत्र विकसित करेगी तथा सदस्यता-आधारित डेटा उत्पादों की संभावना का पता लगाने का प्रयास करेगी।

### 2.5.2. नीति निर्माण के लिए डेटा

साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सरकारी विभागों के बीच डेटा की साझेदारी महत्वपूर्ण है। डेटा उपयोग के लिए उपयुक्त सहमति तंत्र के साथ, सरकार डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए नवीनतम उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर सकती है। इस दिशा में, मध्यप्रदेश शासन विभिन्न विभागों में डेटा साझा करने और डेटा एकीकरण के लिए नीतिगत पहल करेगी।

### 2.5.3. बेहतर प्रशासन के लिए डेटा

शासन नागरिकों और व्यवसायों को शासकीय सेवा प्रदान करने के उपक्रम में बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रहण और संश्लेषण करती है, जिनमें से अधिकांश डिजिटल भी हैं। सुशासन की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए नागरिकों की सहमति से, शासन के पास मौजूद डेटा का विश्लेषण करके अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। मध्यप्रदेश शासन प्रयोग करने योग्य डेटा की उपलब्धता बढ़ाने, डेटा के जवाबदेह उपयोग (डेटा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, आदि) के लिए तंत्र विकसित करने और डेटा विश्लेषण की क्षमता और डेटा आधारित नीति एवं निर्णय की संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करेगी।

### 2.5.4. समावेशन के लिए डेटा

मध्यप्रदेश शासन बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक समावेशन का लक्ष्य पाने हेतु उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर शासकीय योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचाने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर प्रयास करेगी।

### 2.5.5. डेटा के मूल्य को पहचानना

व्यक्तिगत गोपनीयता के मापदंडों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए समाज का अधिकाधिक हित सुनिश्चित करने हेतु सरकार के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप आदि को प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। मध्यप्रदेश शासन व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए डेटासेट की पहचान, संवर्धन, पैकेजिंग और साझा करने के लिए नीतिगत पहल करेगी।

### 2.5.6. डेटा सुरक्षा

मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी कि डेटा का विश्वसनीय, सुरक्षित, और दायित्वपूर्ण ढंग से सुसंगत उपयोग किया जा सके। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने तक डेटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शासन व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से सम्बंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण करेगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने के बाद, सरकार कानूनी प्रावधानों के साथ ही साथ व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

## 2.6. उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संगठनों/संस्थानों के साथ गठजोड़ विशेष रूप से तकनीकी प्रगति के मामले में उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह के गठजोड़ से एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने में मदद मिलेगी। राज्य सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगा। इस गठजोड़ को एमओयू, शैक्षणिक संस्थानों के बीच परामर्श कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में क्रियान्वित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश के संस्थान और विश्वविद्यालय अल्पकालिक विनिमय कार्यक्रमों के निष्पादन, अनुसंधान सम्बंधित बुनियादी ढांचे/गतिविधियों को साझा करने और ज्ञान हस्तांतरण के लिए उत्कृष्टता संस्थान (विश्व ख्याति प्राप्त) के साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कौशल अंतर को पाटने, अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नई सफलता के नए आयाम प्राप्त करने के लिए सशक्त उद्योग-अकादमिक लिंकेज वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए संगठनों/उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग के लिए सरकारी विभागों और उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

### 3. नीति क्रियान्वयन की रूपरेखा

#### 3.1. वित्तीय प्रबंधन

मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार निधि (MP-STIF) मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाई जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों के लिए धन आवंटित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी बजट (STB) के रूप में एक बजट शीर्ष, बनाया जाएगा। इस बजट मद का उपयोग विशेष रूप से इस नीति से सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वयन लिए किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के सभी चिन्हित विभाग अपने संबंधित एसटीबी में अपने वार्षिक बजट का एक निश्चित प्रतिशत (सरकार द्वारा निर्धारित) आवंटित करेंगे। विभाग इस बजट का उपयोग अपने-अपने प्रोजेक्ट में कर सकेंगे। साथ ही एसटीआई (STI) प्रयासों और व्यय के व्यवस्थित आंकलन हेतु एक सांख्यिकीय तंत्र विकसित किया जाएगा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और बजट आवंटन प्रणाली में सहयोग देगा।

एसटीबी और एमपी-एसटीआईएफ के लिए दिशानिर्देश यथासमय पर जारी किए जाएंगे।

#### 3.2. प्रशासकीय तंत्र

मुख्य सचिव (अध्यक्ष), प्रमुख सचिव या विभागीय सचिव	<b>सर्वोच्च समिति</b> वार्षिक	नीति प्रशासन, अंतर विभागीय समन्वय, नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन
प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अध्यक्ष), अन्य हितधारक विभागों के सचिव या उनके प्रतिनिधि	<b>संचालन समिति</b> त्रैमासिक	रणनीतिक निर्देश, हितधारक सहयोग, नीति क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं नीति समीक्षा
परामर्शदाता, सलाहकार एवं विशेषज्ञ	<b>सलाहकार समिति</b> मासिक	नीति प्रारूपण, क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में सहायता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मजबूत किया जाएगा। निदेशालय जैसा संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तुरंत प्रभाव से एक रणनीतिक टीम को विभाग में रखा जाएगा। यह टीम विभिन्न परियोजनाओं का प्रबंधन करेगी जो इस नीति में निहित आदेशों को पूरा करने हेतु अनुपूरक नीतियों का मसौदा तैयार करने, निवेश के अवसरों का समन्वय करने और नीति क्रियान्वयन के लिए विभाग को समग्र सहयोग प्रदान करने आदि की दिशा में कार्य करेगी।

प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह भी स्थापित किया जाएगा। इसमें शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे और नीति और इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देंगे।

#### 3.3. नीति की अवधि और अंतरिम समीक्षा

यह नीति आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी। इसकी वैधता दस वर्ष अथवा नवीन नीति की घोषणा होने तक होगी। इस नीति की हर पांच साल में अंतरिम रूप से या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी तथा नियमित समय अंतराल में इस नीति के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

## परिशिष्ट

### A.1. परिशिष्ट-I

#### मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी पहल और सफलता के उदाहरण

मग्न में प्रमुख नवाचार-आधारित पहल और सफलता के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- i. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से 'फूड इनोवेशन हब प्लेटफॉर्म' जो की एक मल्टीस्टेकहोल्डर मार्केट-आधारित पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो राज्य में खाद्य और कृषि क्षेत्र में नवाचारों और उभरती प्रौद्योगिकियों को लागू करने पर केंद्रित है। यह मंच नवाचार, कार्यान्वयन और प्रभाव की सहयोगी शक्ति को खोलने और मजबूत करने के लिए एक सार्वजनिक-निजी-परोपकारी बाजार संचालित मॉडल प्रदान करेगा। इसका आसानी से अनुकरण किया जा सकता है और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए अन्य सरकारी मंत्रालयों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के भागीदारों के लिए जमीन तैयार करता है।<sup>4</sup>
- ii. भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण - 15 करोड़ से अधिक भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने और राजस्व प्रबंधन प्रणाली जैसे अन्य उपयोग के मामलों( जैसे भूमि, और निपटान सर्वेक्षण, फसल बीमा पंजीकरण, ई-रजिस्ट्री, आदि) के लिए डेटा का लाभ उठाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है।
- iii. उपग्रह चित्रों, सर्वेक्षण डेटा और किसानों द्वारा प्रदान किए गए लेआउट के संयोजन से बनाए गए फसल-विशिष्ट मानचित्रों ने फसल-बीमा प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मध्यप्रदेश में फसल बीमा पंजीकरण को राज्य के भू-अभिलेखों से जोड़ दिया गया है, जिससे गलत बीमा कवर को रोकने में सफलता मिली है। फसल-सलाह पैटर्न के लिए रिमोट सेंसिंग मॉडल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021 में, बीमा भुगतान में औसत उपज का अनुमान लगाने के लिए पहली बार उपग्रह-आधारित तकनीकी रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया था।
- iv. सीएम हेल्पलाइन और समाधान पोर्टल - ये सुशासन में अनुकरणीय डिजिटल पहल हैं जिसने लोक प्रशासन को मजबूत किया है, जनसंपर्क में सुधार किया है एवं जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई है। डिजिटल पहल के माध्यम से एक मजबूत जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और शासन के लिए पहल करने में मध्यप्रदेश राज्यों में सबसे आगे रहा है।
- v. समग्र पोर्टल - यह सरकार से उपभोक्ता (जी2सी) के बीच संवाद में सुधार के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक सामाजिक-सुरक्षा पहल है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में सभी पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता और सरकारी योजना-लाभ प्राप्त हो जिसके वे हकदार हैं। यह पहल सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कवर करती है, जैसे कि मातृत्व, छात्रवृत्ति, विवाह, पेंशन, गरीबी आदि से संबंधित और बजटीय एवं अन्य योजनाओं में सरकार की मदद करती है।
- vi. महू, मध्यप्रदेश में सैन्य कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) में क्वांटम लैब और भारतीय सेना द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों में मानव पूंजी के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण विकास हैं।
- vii. सार्थक ऐप का समर्थन करने के लिए फेस रिकग्निशन मॉडल - कौशल विकास निदेशालय (डीएसडी) कौशल विकास पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है जिसमें उम्मीदवार नामांकन करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षकों को एक दिन में प्रशिक्षण के

<sup>4</sup> <https://www.weforum.org/agenda/2022/09/madhya-pradesh-agriculture-food-system/>

प्रत्येक बैच के लिए उम्मीदवारों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। डीएसडी उम्मीदवार की उपस्थिति को ऑटो-रिकॉर्ड करने के लिए एक समाधान की तलाश कर रहा था जिसमें एक फेस डिटेक्शन मॉड्यूल विकसित किया गया था जो प्रशिक्षण के संबंधित बैच में ट्रेनर द्वारा ली गई तस्वीर में चेहरों का पता लगाता है और उनकी गिनती करता है।

## A.2. परिशिष्ट-II: उभरती प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के उदाहरण

यह खंड एक संदर्भ के रूप में ब्लॉकचेन, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित उपयोग के मामलों को प्रदान करता है। संबंधित विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से, अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त उपयोग के उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं।

### आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र	संभावित उपयोग के उदाहरण
स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मोतियाबिंद का पता लगाना</li> <li>• सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का पता लगाना</li> <li>• टेलीमेडिसिन</li> <li>• एआई-संचालित रोबोटिक सर्जरी</li> <li>• प्रारंभिक निदान प्रणाली</li> <li>• नर्सिंग सहयोग</li> </ul>
शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संसाधनों को नेविगेट करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान।</li> <li>• ज्ञान अंतराल की पहचान करने और उपयुक्त विषयों की ओर छात्रों को उन्मुख करने के लिए बुद्धिमान निर्देश डिजाइन के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा।</li> <li>• उपस्थिति निगरानी प्रणाली</li> <li>• इंटरएक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म</li> </ul>
स्मार्ट सिटी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लाइव और ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण के माध्यम से घटना प्रतिक्रिया समय में कमी।</li> <li>• रियल-टाइम ट्रैफिक पैटर्न की पहचान</li> <li>• पैदल यात्री और वस्तु का पता लगाना</li> <li>• निवारक रखरखाव और जोखिम मूल्यांकन</li> </ul>
करारोपण (टैक्सेशन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कर चोरी की जोखिम आधारित जांच</li> </ul>
आपदा प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आपात स्थिति की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करना</li> <li>• आपातकालीन कॉलों को उनकी अत्यावश्यकता के आधार पर वर्गीकृत करना</li> </ul>
कृषि	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कीट और रोग की पहचान</li> <li>• फसल भविष्यवाणी</li> </ul>

कार्यक्षेत्र	संभावित उपयोग के उदाहरण
दूरसंचार	<ul style="list-style-type: none"> <li>● नेटवर्क विश्वसनीयता और भविष्य उन्मुख रखरखाव</li> </ul>
खनन	<ul style="list-style-type: none"> <li>● एआई और आईओटी आधारित चेक गेट सर्विलांस</li> </ul>

### ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र	संभावित उपयोग के उदाहरण
रजिस्ट्री	<ul style="list-style-type: none"> <li>● भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली</li> <li>● संपत्ति कार्ड प्रबंधन प्रणाली</li> <li>● वाहन जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली</li> <li>● अंग और ऊतक दाताओं सहित स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली</li> <li>● छात्र जीवनचक्र प्रबंधन</li> </ul>
आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कृषि उत्पादों का ट्रैक और ट्रेस (अनार, सेब, आदि)</li> <li>● फार्मा आपूर्ति श्रृंखला</li> <li>● टीके की आपूर्ति-श्रृंखला/शीत-श्रृंखला</li> <li>● उत्पाद शुल्क आपूर्ति श्रृंखला, कॉफी आपूर्ति-श्रृंखला, चाय आपूर्ति-श्रृंखला</li> <li>● अंग और ऊतक वितरण प्रणाली</li> <li>● हिरासत की साक्ष्य श्रृंखला</li> </ul>
पहचान (आईडेंटिटी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुदान का वितरण</li> <li>● धन एकत्रीकरण</li> <li>● प्रमाणपत्र और दस्तावेज सत्यापन</li> <li>● पात्रता प्रबंधन</li> <li>● सार्वजनिक वितरण प्रणाली</li> <li>● स्व-संप्रभु डिजिटल पहचान</li> </ul>
अंकेक्षण और सत्यापन	<ul style="list-style-type: none"> <li>● वित्तीय समाधान और जोखिम प्रबंधन प्रणाली</li> <li>● भुगतान खाता बही</li> <li>● एटीएम समाधान</li> <li>● नौकरी क्रेडेंशियल्स का सत्यापन</li> </ul>

### ड्रोन के संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र	संभावित उपयोग के उदाहरण
--------------	-------------------------

कार्यक्षेत्र	संभावित उपयोग के उदाहरण
खनन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत खदान की पर्यवेक्षण और निगरानी</li> <li>• भंडार माप</li> <li>• विश्लेषण</li> <li>• सीमा सीमांकन</li> </ul>
होमलैंड सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अपराध एवं अपराधियों की ट्रैकिंग</li> <li>• रैलियों और कार्यक्रमों के दौरान भीड़ की निगरानी</li> <li>• यातायात योजना और निगरानी</li> <li>• अपराध जांच दृश्य मानचित्रण</li> <li>• बूटलेगिंग जैसी अवैध गतिविधियों की पहचान</li> </ul>
वन और वन्यजीव	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वन आवरण मानचित्रण</li> <li>• अवैध गतिविधियों की निगरानी</li> <li>• अवैध शिकार निगरानी</li> <li>• वन्यजीव गतिविधि निगरानी</li> <li>• हाइपरस्पेक्ट्रल का उपयोग कर बायोमास आकलन</li> </ul>
शहर और स्मार्ट सिटी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बेहतर योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए शहर/कस्बे का 3डी मॉडल</li> <li>• संपत्ति कर मानचित्रण</li> <li>• आधार नक्शा निर्माण</li> <li>• अतिक्रमणों की पहचान करें</li> <li>• योजना बनाने के लिए इलाके की मैपिंग</li> <li>• वाटरशेड विश्लेषण</li> </ul>
कृषि	<ul style="list-style-type: none"> <li>• फसल सर्वेक्षण और रकबा अनुमान</li> <li>• फसल की स्थिति का आकलन; फसल छिड़काव</li> <li>• प्रिसिशन खेती: उपयोग किए जाने वाले पानी और उर्वरकों की इष्टतम मात्रा का आकलन करना</li> <li>• भूमि स्वास्थ्य निगरानी; खेतों पर भांग का पता लगाना</li> <li>• बीमा दावे के लिए नुकसान का आकलन</li> </ul>
अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बिजली लाइनों का सर्वेक्षण, निगरानी और स्थिति का आकलन</li> <li>• पवन टरबाइन निरीक्षण</li> <li>• निर्माण प्रगति की निगरानी</li> <li>• भूमि सीमांकन और सर्वेक्षण</li> </ul>
आपदा प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रीयल-टाइम निगरानी</li> <li>• खोज और बचाव</li> <li>• हानि आकलन मानचित्रण</li> <li>• आपातकालीन सामानों की डिलीवरी</li> </ul>



कार्यक्षेत्र	संभावित उपयोग के उदाहरण
पर्यटन	<ul style="list-style-type: none"> <li>वन्यजीवों को कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों की निगरानी</li> <li>पर्यटन प्रचार गतिविधि</li> <li>संपत्ति की स्थिति की निगरानी और पर्यवेक्षण</li> </ul>
यातायात प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>रियल टाइम निगरानी, यातायात योजना और प्रबंधन में सुधार</li> <li>सड़क की सतह की स्थिति की निगरानी</li> <li>दुर्घटना की जांच</li> </ul>
स्वास्थ्य सेवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>महामारी नियंत्रण</li> <li>साफ-सफाई और स्वच्छता</li> <li>स्वास्थ्य सुविधाएँ</li> </ul>
ऑयल एवं गैस	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपातकालीन प्रतिक्रिया</li> <li>संपत्ति सुरक्षा निगरानी</li> <li>सुरक्षा</li> </ul>
बीमा	<ul style="list-style-type: none"> <li>दावा प्रबंधन और निपटान</li> <li>बेहतर मूल्य निर्धारण</li> <li>धोखाधड़ी से सुरक्षा</li> </ul>
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> <li>नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि का सीमांकन</li> </ul>

### A.3. परिशिष्ट III – शब्दकोष

संक्षिप्त रूप	विवरण
3D	श्री डायमेंशनल
5G	फिफथ जनरेशन
ADAS	एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
AI	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AIIMS	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
AR	ऑगमेंटेड रियलिटी
ATM	ऑटोमेटेड टेलर मशीन
AYUSH	आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी और होमियोपैथी
BFSI	बैंकिंग, फाइनेंसियल सर्विसेज और बीमा

CM	मुख्यमंत्री
CRRRI	केन्द्रीय रोड अनुसंधान संस्थान
DA	डाटा एनालिटिक्स
DPIIT	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DSD	कौशल विकास संचालनालय
DTC	दिल्ली परिवहन निगम
ESDM	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण
G2B	गवर्नमेंट टू बिजनेस
G2C	गवर्नमेंट टू कंज्यूमर
GERD	अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय
GHG	ग्रीन हाउस गैस
GI	जिओग्राफिकल इंडिकेशन
GoMP	मध्यप्रदेश शासन
GPS	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
GSDP	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
HEI	उच्च शिक्षण संस्थान
IAMAI	इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
IIT	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
IIM	भारतीय प्रबंधन संस्थान
IIT	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
IPG	नवाचार संवर्धन समूह
IPR	बौद्धिक संपदा अधिकार
IT	सूचन प्रौद्योगिकी
MCTE	मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

MFP- PARC	लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र
ML	मशीन लर्निंग
MoU	सहमति ज्ञापन (मेमोरैंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग)
MP	मध्यप्रदेश
MPDP	मध्यप्रदेश डेटा नीति
MPEIT	मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
MPRDP	मध्यप्रदेश आर एंड डी नीति
MPSP	मध्यप्रदेश कौशल नीति
MPSTIP	मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति
MPTSP	मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति
MRes	मास्टर ऑफ़ रिसर्च
MSME	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
MVP	न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद
NAAC	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
NASSCOM	नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
NFT	नॉन-फंजिबल टोकन
NID	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
NIFT	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
NIRF	नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क
NIT	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
NITI	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
NLP	नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग
NMEICT	नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
PG	स्नातकोत्तर

SSB	शांति स्वरूप भटनागर
STB	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बजट
STEM	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन
STI	विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार
STIF	विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार निधि
STIP	विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति
TKDL	पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी
UAV	मानव रहित हवाई वाहन
UG	स्नातक
UNESCO	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
VR	वर्चुअल रियलिटी
WEF	विश्व आर्थिक मंच

**MADHYA PRADESH**  
**SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION POLICY 2022**  
**(MP-STIP 2022)**



**Department of Science & Technology**  
**Government of Madhya Pradesh**

## Table of Contents

<b>1. Introduction</b> .....	
1.1. Vision .....	
1.2. Objectives .....	
<b>2. Policy Focus Areas</b> .....	
2.1. Building a Science, Technology, and Innovation Ecosystem .....	
2.1.1. Creating an ecosystem.....	
2.1.2. Strategic actions for the STI ecosystem .....	
2.1.3. Making science engaging and fun .....	
2.1.4. Follow-up policies for building the STI ecosystem .....	
2.1.5. Leverage learnings from technology initiatives and success stories: .....	
2.2. Research and Development .....	
2.2.1. R&D focus sectors.....	
2.2.2. R&D Expenditure.....	
2.2.3. R&D Incentives .....	
2.2.4. R&D for traditional knowledge, heritage, and grassroots innovation .....	
2.2.5. R&D for climate change and clean energy.....	
2.2.6. Goals and policy targets for R&D .....	
2.3. Capacity Building and Skill Development .....	
2.3.1. Strategic actions for capacity building .....	
2.3.2. Centre of Excellence (CoE) for STI .....	
2.3.3. Goal and policy targets for capacity building.....	
2.4. Leveraging STI for Good Governance .....	
2.4.1. Artificial Intelligence and Data Analytics.....	
2.4.2. 5G.....	
2.4.3. Internet of Things (IoT) .....	
2.4.4. Blockchain .....	
2.4.5. Drones .....	
2.4.6. Augmented Reality/Virtual Reality .....	
2.4.7. Quantum Computing .....	
2.4.8. Robotics.....	
2.5. Data for STI ecosystem .....	
2.5.1. Data for Innovation .....	
2.5.2. Data for Policy Making.....	
2.5.3. Data for Better Governance .....	
2.5.4. Data for Inclusion.....	
2.5.5. Unlocking the value of data .....	
2.5.6. Data Protection.....	
2.6. Collaboration with Institute of Excellence .....	
<b>3. Policy Implementation Framework</b> .....	
3.1. Financing framework.....	
3.2. Governance framework.....	
3.3. Policy Period and Interim Review .....	
<b>Annexures</b> .....	
A.1. Annexure-I .....	
Madhya Pradesh technology initiatives and success stories .....	
A.2. Annexure-II: Potential Use Cases of Emerging Technology .....	
Potential Use Cases of Artificial Intelligence and Analytics .....	
Potential Use Cases of Blockchain .....	
Potential Use Cases of Drones .....	
A.3. Annexure III – Glossary .....	

## 1. Introduction

India is celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav to mark its 75th anniversary of independence. The second most populous nation has grown steadily in the last few years to become the fifth largest economy on earth. Banking on its demographic dividends, India has confidently proclaimed its target of becoming a \$5 trillion economy by 2025-26.

Madhya Pradesh is striving hard to enhance its contribution in national GDP. The State has set a GSDP target of \$ 550 Bn and crafted an Atmanirbhar Madhya Pradesh roadmap to achieve this. State's domestic output was approximately Rs. 10 lakh crores in FY22, and it has grown at an annual growth rate of approximately 12.57% over the period FY2019-FY2022.<sup>1</sup> With its abundant natural resources and industrial infrastructure, it has the potential to accelerate its growth - given the right mix of government policy and investment.

Science, technology, and innovation play a significant role in driving economic growth, job creation, social development and good governance and are the key drivers behind productivity growth, which delivers greater economic output and returns. The pace of technological innovation and the emergence of new technologies have presented possibilities for a reassessment of growth avenues and embarking on new policy initiatives.

This policy aims to promote research, scientific temper, use of new technologies and innovation to develop a vibrant innovation ecosystem in Madhya Pradesh. This will enable citizens, enterprises, and government to contribute, collaborate and innovate towards a prosperous Madhya Pradesh. The policy will also emphasize the promotion of traditional knowledge systems, development of indigenous technologies, and innovation at the grassroots level to align with the national goal of 'Atmanirbhar Bharat'.

### 1.1. Vision

The "Madhya Pradesh Science, Technology, and Innovation Policy – 2022" (MPSTIP–2022) envisions building scientific temper in society, strengthening the innovation ecosystem, fostering Science & Technology (S&T) enabled entrepreneurship and citizen services, preserving traditional knowledge systems, and encouraging inclusion and participation of the grassroots levels in the research and innovation ecosystem.

### 1.2. Objectives

The "Madhya Pradesh Science, Technology, and Innovation Policy – 2022" (MPSTIP) has the following objectives:

- i. To position Madhya Pradesh as the top science, technology, and innovation (STI) destination.

<sup>1</sup> Estimates based on Reserve Bank of India, "Handbook of Statistics on Indian Economy", available here: <https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=21102>

- ii. To position Madhya Pradesh amongst the top 5 states in the 'India Innovation Index' by 2030 (from its existing 13th rank), through improvement in identified 'innovation enablers' such as human capital, investment, and knowledge workers.<sup>2</sup>
- iii. To build a vibrant STI ecosystem that will help Madhya Pradesh increase its knowledge output in terms of indicators such as – research publications, new businesses, startups, grassroots innovations, industrial designs filed, and patents filed.
- iv. To increase the state's overall expenditure on science and technology and increase the private sector's expenditure on R&D in the state.
- v. To foster a spirit of healthy competition amongst academic and research institutions of Madhya Pradesh and provide incentives for getting reputed national and international science and technology awards such as the 'Shanti Swarup Bhatnagar Award for Science and Technology (SSB)'.
- vi. To promote STEM education, especially amongst girls, right from the primary level by enriching the curriculum with STEM experiments and competitions. The target would be to increase the enrolment ratio in STEM courses at UG, PG and PhD levels.
- vii. To develop a model framework to conserve and promote the Traditional Knowledge Systems through scientific validation and appropriate commercialization.
- viii. To keep the innovations connected to grassroots needs.
- ix. To promote innovation-led growth across economic sectors like agriculture, healthcare, education, mining, energy, and infrastructure, and create the necessary R&D and innovation infrastructure required for private enterprises to drive growth in these sectors.
- x. To leverage emerging technologies for building proactive, efficient, and transparent G2C and G2B systems which would anticipate people's needs and deliver services at their doorstep.
- xi. To move up in the skilling value-chain by creating world-class human resources in new and emerging technologies such as Metaverse, Quantum Computing, 5G, Semiconductors, IoTs, Blockchain & Distributed Ledger Technologies, AI, and AR/VR.
- xii. To harness the power of data in promoting an open, privacy-preserving, and responsible innovation ecosystem for startups. The vast repository of government data can be leveraged for creating an accessible sandbox environment.
- xiii. To foster national and international linkages for enhanced technology transfer to facilitate the acquisition, adoption, and utilization of emerging technologies.

<sup>2</sup> The India Innovation Index presents state-wise rankings based on the innovation landscape and performance of the country's states and union territories. The five innovation index enablers are – human capital; investment; knowledge workers; business environment; safety, and legal environment.



## 2. Policy Focus Areas

The MPSTIP 2022 policy will focus on the following broad areas to achieve its objective and deliver on its vision.

### 2.1. Building a Science, Technology, and Innovation Ecosystem

#### 2.1.1. Creating an ecosystem

This policy would aim to create a robust ecosystem to provide a common forum for knowledge sharing, collaboration, funding, and innovation for stakeholders from industry, academia, startups, scientific bodies, society, and the government, which will serve as a hub for the implementation of STI initiatives. The aim is to strengthen multi-stakeholder collaboration for knowledge creation and innovation.



#### 2.1.2. Strategic actions for the STI ecosystem

- i. Establish an "Innovation Promotion Group" (IPG) with key stakeholders from different groups and regions to serve as a central node of the innovation ecosystem and act as its foremost driver.
- ii. Targeted initiatives at the school level to stimulate interest in science and math from an early stage and induce students to pursue STEM subjects at the senior-secondary and undergraduate levels. Initiatives will include – experimental science programs; establishment of science laboratories; exciting math and science competitions at block, district, and state levels; establishing a 'young scientist' award for every district; innovation challenges with reward incentives; science and mathematics exhibitions throughout the state especially in rural areas; and opportunities for school students to meet stakeholders from academia and industry to seek guidance and showcase experiments/ideas.
- iii. Engage the top institutes (IITs, IIMs, AIIMs, NITs, IIITs, NIDs, NIFTs) and encourage each one of them to adopt a district of MP for promoting locally relevant innovation and science education in that district.

- iv. Establishment of innovation clusters, incubators, and accelerators in institutions (such as IIT, IIIT, etc.) and as stand-alone bodies to – (i) help early-stage startups gain seed funding, mentorship, training, and leverage industry-best practices through interaction with private players; (ii) promote innovation, and exchange of ideas and experiences, through seminars, conferences, and meetups.
- v. Establish a 'State Innovation Fund' for promoting innovation and excellence in the functioning of government. It could also be used for viability gap funding for startups which work towards creating digital public goods.
- vi. Target to increase the number of recognized startups and incubation centres in MP and ultimately increase MP's knowledge output – a performance indicator in the India Innovation Index that is derived from indicators such as grassroots innovations; publications; new businesses, startups, industrial designs filed, patents filed, etc. – all of which will get a fillip through the ecosystem.
- vii. Mentorship forums to facilitate student interaction with the larger stakeholder group (R&D group, academia, industry representatives) to help students understand the opportunities and requirements in STEM fields from an early stage.
- viii. Establish an appropriate ecosystem in academic and research institutions to commercialize their research and products.
- ix. Develop a platform to facilitate collaboration and convergence between National and State level Academic and R&D Institutions.

### 2.1.3. Making science engaging and fun

This policy aims to re-introduce science to students, and society at large, by making it meaningful, engaging, collaborative and hands-on. The goal is to foster appreciation and wonder for scientific principles, and, in turn, give rise to an inquisitiveness about science and technology, a yearning for learning science, and inspire both students and young adults to participate in this envisaged transformation.

- i. An online student-science platform will be set up by the Government of MP which will serve as central science and technology repository for students and young adults in the state. The platform will host content for initiatives which will be developed through public-private partnerships, such as:
  - a. Science experiments for students with videos, guides, and kits.
  - b. Rich animated multimedia content will be developed to explain scientific concepts in an engaging story-telling manner.
  - c. Information about science fairs, state-level innovation challenges, competitions, and meetups.
  - d. Student grants for small-scale experiments.
  - e. Science scholarships for pursuing science and technology courses as well as courses on online platforms.

- f. Scholarships for short-term exchange programs with universities in India and outside India to pursue STEM courses.
  - g. Repository of careers in science and technology.
  - h. Internship or shadow opportunities for young adults in industry, university labs, R&D labs, and startups.
  - i. Science challenges with a local context to guide students to think about solving regional challenges and problems.
  - j. Information about all centres of scientific and creative learning in the state.
  - k. Access to Indian and global content on science – including video series, documentaries and learning content.
  - l. Emerging technology resources such as online courses and repository of use cases.
  - m. Forum for industry and private sector outreach for their science and technology-related CSR activities and R&D initiatives.
- ii. A centre for creative learning will be set up in collaboration with leading education institutes (such as IIT, NIT, IIIT, etc.). This centre will work as a resource for hands-on experiential learning as opposed to the typical reading-based pedagogical approaches prevalent in the education system. The centre will promote conceptual learning based in exciting science experiments and will onboard professors, and college students and provide opportunities for high-school students to get involved through internships, workshops, competitions, etc.
- iii. A 'Science Park' will be planned to create an educational and recreational science centre steeped in all-things science for students as well as tourists. The science park will host several attractions and initiatives, such as:
- a. A Science Museum, containing:
    - Thematic galleries showcasing science concepts and innovations (aviation, space, biology, genetics, natural ecosystems, climate, etc.)
    - 'Science Inventions Gallery' showcasing the history of the world's greatest scientific inventions.
    - An 'Exploratorium' showcasing interactive science experiments.
    - A planetarium which will host astronomy programs and organize stargazing events.
  - b. An emerging technology exhibit demonstrating case studies capturing innovative emerging technology applications for local problem-solving.
  - c. 'Traditional and modern Indian scientific exhibit', which will showcase themes from India's rich scientific legacy and modern-day achievements including – scholars and scientists and their

contributions from ancient times till the present; India's traditional sciences such as Ayurveda; India's modern successes and achievements such as India's space program.

- d. A state-of-the-art theatre to showcase science films; documentaries; stream science events (for example satellite, rocket launches, etc.); and host science talks and seminars.
  - e. A 'Coding lab' that will run "Learn to Code" courses and exciting activities and provide certifications to students in collaboration with the private sector.
  - f. A "Curiosity Lab" will be established that will partner with the private sector and academia to develop new science experiments and immersive experiences; encourage students to build science models and build and maintain an application to create a community of curious scientists.
- iv. Science-based tourism will be promoted to inspire interest in sites of scientific importance:
- a. Identification and development of potential Astro-tourism sites (like the Ujjain planetarium, Dongla observatory and the proposed Mandu Astro-park)
  - b. Development and conservation of archaeological sites, monuments, and spiritual heritage sites in collaboration with UNESCO and initiatives to showcase Madhya Pradesh's architectural scientific heritage.

#### 2.1.4. Follow-up policies for building the STI ecosystem

The MPSTI policy would have the maximum impact when it is supported by government initiatives on both sides of the innovation ecosystem curve – the demand side as well as the supply side. The key interventions on the demand side would be to promote investment in IT and electronics manufacturing and support tech entrepreneurship. From the supply side, the government would need to facilitate the development of high-quality human resources and create a thriving open data ecosystem. To achieve this, it is proposed to bring out government policies in the following four sectors -

##### i. Madhya Pradesh Electronics and Information Technology (IT) policy (MPEIT)

The government aims to promote investment in IT and electronics manufacturing to increase innovation-driven manufacturing and industrial activity; increase the share of manufacturing in MP's GSDP and deepen the STI ecosystem through the upstream and downstream linkages that increased manufacturing activity will generate. To achieve this, the state government launched the "Madhya Pradesh IT, ITes & ESDM Investment Policy and Scheme, 2016". This has been amended over time to maintain MP as an important investment destination in this sector. The policy will be reviewed and augmented to make MP among the most important investment destinations in the IT, ITes & ESDM sector.

The policy will also aim to support investment in strategic sectors like semiconductor, data centers and green hydrogen. Policies for these sectors would be closely aligned with National Policies like India Semiconductor Mission (ISM) and National Hydrogen Mission (NHM) of Government of India.

**ii. Madhya Pradesh Technology Startup Policy (MPTSP)**

Madhya Pradesh has a nascent and vibrant startup ecosystem, with thousands of DPIIT recognized startups. To enable this ecosystem to grow, thrive and lead the innovation-revolution from the front, the government would aim to provide special fiscal and non-fiscal incentives and schemes for startups. To bolster the Madhya Pradesh Startup policy 2022, which focuses on MSME-led growth, the government will promote startups in service/technology sectors – such as FinTech, HealthTech, EdTech, logistics, and other consumer services, and design schemes to support seed funding; reduce compliance costs; support patent-funding, and ease local procurement, all of which will help startups to focus on their business models and profitability.

**iii. Madhya Pradesh Skill Policy (MPSP)**

The STI ecosystem will grow and sustain through increased inclusion and participation of skilled labour, who will form the backbone of innovation-led growth in the state. To ensure that the youth of MP are market-ready and equipped to take on the challenges of the tech-world, a policy will be designed to encourage increased interaction of industry and education institutes and promote – industry and association feedback (such as NASSCOM, BFSI Council, IAMA) in curriculum design and identification of industry relevant courses; addition of skill-based learning to help final year students of degree/diploma courses to be job-ready; access to online and other courses focusing on emerging technologies, etc.

**iv. Madhya Pradesh Data Policy (MPDP)**

A data policy would be needed to leverage and unlock the value of data: derive analytical insights for research and product development; identify target areas for innovation-funding and support the data-requirements of the start-up ecosystem. Towards this end, this policy will aim to make government databases accessible. To ensure data privacy, the government would also take appropriate steps for data anonymization and masking.

**v. Madhya Pradesh R&D Policy (MPRDP)**

R&D develops new knowledge, technology and techniques and hence acts as a major driver of innovation which in turn leads to sustainable economic growth of a society. This policy will strive to provide a conducive environment to promote the role of the private sector in R&D and create a support system for R&D activities.

**2.1.5. Leverage learnings from technology initiatives and success stories:**

The government of Madhya Pradesh has taken several initiatives in the past to leverage technology solutions for better governance and innovation-led development and growth. MP is among the first states to link crop insurance registration with land records and use satellite images and remote sensing models for crop-advisory patterns and yield estimation for insurance payments. Other key initiatives of the government include – Food Innovation Hub Platform in collaboration with WEF; CM Helpline and Samadhan portal; Samagra portal; and face recognition model to support the Sarthak application. Further details of MP's success stories can be found in Annexure-I. This policy will also aim to encourage engagement of start-ups and industry for improvement of e-governance initiatives of the government.

## 2.2. Research and Development

Research and development in the science and technology sector is crucial for achieving the vision and objectives laid out in this policy. This policy recommends a variety of R&D initiatives:

### 2.2.1. R&D focus sectors

This policy aims to promote R&D to deliver innovation in sectors like biotechnology, agriculture, renewable energy, fintech, water conservation, climate change, infrastructure and logistics to drive economic growth for the state and the country. Strategic sectors like semiconductor and green hydrogen would also be a priority while promoting R&D investment in the state.

### 2.2.2. R&D Expenditure

The state government recognizes that there is a need to step up expenditure on R&D and encourage private enterprises to increase their investment in R&D activities. Private investment in R&D, with the right incentives, will deliver productivity growth for the companies and make them more competitive, and deliver direct and indirect economic and human capital benefits for Madhya Pradesh through economic linkages. The government will also earmark funds for focused R&D in areas like FinTech, Robotics, MedTech, clean energy and green hydrogen, among others.

### 2.2.3. R&D Incentives

The policy aims to set up a framework to provide incentives to the private sector for R&D investment in the state. These incentives will be in the following areas –

- i. The government will provide incentives for private companies that will set up R&D labs in the state.
- ii. A portion of the cost incurred for R&D for patents, trademarks, industrial designs, and GI marks will be covered by the government.

### 2.2.4. R&D for traditional knowledge, heritage, and grassroots innovation

This policy will focus on promoting traditional knowledge and heritage as well as indigenous grassroots innovation. Towards this end, the government will –

- i. Promote initiatives to digitize indigenous art using advanced technology and create digital products (such as Non-Fungible Tokens).
- ii. Promote the use of blockchain to authenticate indigenous art and help artists build their portfolio and claim recognition.
- iii. Promote the use of multimedia approaches such as VR and AR for the dissemination of cultural heritage and transform the way culture is experienced.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Bekele MK, Pierdicca R, Frontoni E, Malinverni ES, Gain J. A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage. J Comput Cult Herit. 2018;11:1–36.

- iv. A state-level 'Traditional Knowledge Repository' will be developed in line with TKDL, which will seek to document, validate, and promote traditional knowledge, tribal medicines, and practices.
- v. Government departments such as AYUSH, MFP-PARC, and Science & Technology will jointly take initiatives to organize workshops on primary and secondary processing of medicinal and aromatic plants to provide farmers with an alternate income source.
- vi. Develop necessary R&D infrastructure in HEIs to facilitate collaboration of AYUSH and modern scientific technologies (like Bioprospecting, Biochemical testing, composition analysis, nanotechnology, functional genomics, and proteomics-based research etc.) to identify the commercial potential of indigenous herbs and traditional knowledge and protect potential discoveries through suitable Intellectual Property Rights (IPRs).
- vii. Development of a Traditional Medicine incubator to help startups working on medicinal plant-based product development and provide them with seed funding for R&D work.

#### 2.2.5. R&D for climate change and clean energy

The prospect of decarbonizing and achieving net zero emissions is one of the most pressing challenges facing the global economy at the present time. The government of MP aims to promote clean energy, green hydrogen, and climate-tech initiatives in its efforts towards sustainable development and the use of advanced technology solutions – such as AI, blockchain, connected devices, biotech, etc. – to meet climate change challenges. Investment in areas such as – the development of electric vehicles; precision farming for lower GHG emissions; biotechnology in food production; establishment of renewable energy departments in universities – will be encouraged through appropriate initiatives and incentives for the private sector.

#### 2.2.6. Goals and policy targets for R&D

With the efforts of this policy towards R&D, and with the aspiration to increase the MP's ranking in the Innovation Index, the state will aim to achieve the following targets -

- i. Increase expenditure on higher and technical education and expenditure on R&D.
- ii. Increase research activities like publications, patents, copyrights, consultancy activities that will help in raising the NIRF ranking of the institutes within MP by 2025.
- iii. Increase in knowledge-intensive employment.
- iv. Increase in the number of private R&D units in the state.
- v. Increase in the number of R&D Institutions funded by the state.
- vi. Increase the number of incubators (especially tech incubators) significantly by 2030.
- vii. Increase the number of grass root innovations and provide support to develop minimal viable products (MVP) and profitable business models.
- viii. Increase in the number of DPIIT-recognized startups in the state by 2030.

- ix. Increase in the number of patent applications filed in the state.
- x. Increase in the number of trademark applications filed.
- xi. Increase in the number of designs in industrial design applications filed.

## 2.3. Capacity Building and Skill Development

The government will have substantial focus on building human capital to achieve the objectives of the policy.

### 2.3.1. Strategic actions for capacity building

- i. Partner with education institutes and private enterprises to set up innovation centers in schools and universities. Initiatives will be taken to prepare course curriculums to ensure that students enrolled in these centers can pursue courses that add skill for R&D roles or emerging technology-related roles in the industry.
- ii. Earmark funds to provide additional grants and scholarships to those pursuing R&D in universities and R&D labs set up by the private sector.
- iii. Facilitate identification of frontier research areas for PhD students in science and technology and promote enrollment and research in these areas by providing incentives.
- iv. Promote the establishment of Master of Science (Research) (MRes) programs in STEM courses with the possibility of movement to PhD-track to encourage research-oriented knowledge output and mindset at the master's level.
- v. Promote knowledge-sharing and provide financial support for organizing seminars and conferences within the STI ecosystem to enable multi-stakeholder discussions and industry-academia collaborations.
- vi. Encourage science and technology departments at universities to partner with the private sector to create online courses in STEM fields and set up mechanisms for providing this content to students across the state.
- vii. Promote collaboration with universities abroad and arrange short to medium-term term professor visits to teach courses at universities in the state.
- viii. Initiate special programs to impart digital skills and awareness to citizens to make at least one person digitally competent in every household.
- ix. Courses in the emerging areas of life sciences, geo-spatial technologies, AR/VR, AI/ML, IoT, data science, semiconductors, robotics, renewable energy technology and drone technologies etc. will be introduced in polytechnic courses.

### 2.3.2. Centre of Excellence (CoE) for STI

A center of excellence (CoE) for emerging technologies in collaboration with the private sector will be set up in the state to encourage innovation in key sectors and provide human capital support to MSMEs for leveraging technology for their businesses. The proposed centers will host subject matter experts from the industry; host



programs for businesses and startups; create knowledge products to support MSMEs and startups and serve as a hub for assistance – relating to business, technology, procedure, funding, etc. – for all stakeholders.

### 2.3.3. Goal and policy targets for capacity building

With the efforts of this policy towards capacity building and skill development, the government will aim to achieve the following targets:

- i. Increase enrolment in PhD programs.
- ii. Increase enrolment in engineering and technology courses (at undergraduate, postgraduate, and diploma levels).
- iii. Increase the number of higher education institutions with National Assessment and Accreditation Council (NAAC) grade A and above.
- iv. Increase the number of colleges connected through National Mission on Education through Information and Communication Technology (NMEICT).
- v. Increase enrollment in vocational education courses.
- vi. Increase enrollment in professional skill development courses.

## 2.4. Leveraging STI for Good Governance

India is ready for emerging technologies such as blockchain, drones, artificial intelligence, the internet of things, augmented reality, virtual reality, robotics, etc. These are going to play a crucial role in government and industry alike, whether it is planning or decision-making; accelerating development or analyzing deployment, problem-solving or product development; discovering new trends or drawing out correlations. Madhya Pradesh aims to be a leader in leveraging STI in good governance. A few of these technologies are discussed in this section.

### 2.4.1. Artificial Intelligence and Data Analytics

AI is poised to disrupt our world. With intelligent machines enabling high-level cognitive processes like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making, coupled with advances in data collection and aggregation, analytics and computer processing power, AI presents opportunities to complement and supplement human intelligence and enrich the way people live and work. Recent advancements in natural language processing (NLP), machine learning, and speech and image recognition have made it possible for the government to predict and anticipate problems rather than react to them.

A few examples of potential usage of AI&DA are – route planning of public transport, tax entity and tax fraud-related analytics, etc. For an indicative list of use cases, please refer to Annexure II.

### 2.4.2. 5G

5G is the next revolution in cellular technology and will bring the world closer with the enhancements it offers in terms connectivity speed, utility, and applications. Features associated with 5G would help reduce delay times and enable seamless real-time access to technology. There are several innovative applications of 5G technology – hospitals equipped with 5G devices that enable remote patient monitoring; smart ambulances that communicate

with doctors in real time; digital wallets that connect phones, wearables, cars, and other devices to create seamless financial transactions; and 5G-enabled factories in which connections can be maintained among more sensors than ever before.

#### 2.4.3. Internet of Things (IoT)

The Internet of Things (IoT) refers to an aggregation of endpoints embedded with sensors, software, network connectivity and computing capability that are uniquely identifiable and communicate over a network. The endpoints, which are physical objects such as devices, vehicles, appliances, become interconnected, make themselves recognizable, and can communicate information about themselves and access information that has been provided by another source. Industrial IoT (IIoT) refers to its use in the manufacturing and industrial sectors.

#### 2.4.4. Blockchain

Blockchain, the immutable, encrypted, decentralized/distributed ledger technology that is disrupting digital payments, digital identity, logistics, records/documents management and many other day-to-day activities, is slowly but surely moving from an emerging technology to a mainstream technology. The proof of concepts, especially using permissioned blockchains, are being scaled to pilots and are being moved to production. The security and scalability of blockchain platforms has improved significantly. We are also witnessing the formation of more consortiums and collaborations in the enterprise blockchain space. Specific use-cases rooted in centuries-old industries such as insurance may need more trials before being automated. Adoption of blockchain platforms would be faster in the "gig" economy considering the role of third-party intermediaries must be limited or eliminated.

A few examples of potential usage of blockchain are - track and trace of agricultural and tribal products (like basmati rice, tribal handicrafts); digital records management (like health, education, vehicles, registration), etc. For an indicative list of use-cases, please refer to Annexure-II.

#### 2.4.5. Drones

Drone or unmanned aerial vehicle (UAV) is poised to play a huge role in the government space. Drone Technology has become one of the most promising emerging technologies across the globe due to its various potential applications, not just limiting to military usage, but also to civilian and governance usage. Multiple industries are utilizing drones for myriad tasks—from surveillance to monitoring of projects, from detection to prevention, and from improving current methods/processes to transforming and innovatively handling new requirements. Today, multiple governments across the world have started using drones for tasks which previously required physical presence/many people. There are many applications of drones in various sectors such as agriculture, mining, police, disaster, forest, irrigation, land survey, health, power etc. For indicative list of use-cases, please refer to Annexure-II.

A few examples of potential usage of drones are – delivery of medicines; delivery of organs for transplant; sand mine monitoring and surveillance; spraying nutrients and insecticide in agriculture; and crowd monitoring during rallies and events, etc. For an indicative list of use-cases, please refer to Annexure-II.

#### 2.4.6. Augmented Reality/Virtual Reality

Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) constitutes an audio or visual overlay on the physical world that uses a display to provide digital content to augment a user's real-world view. Augmented reality (AR) presents digital information, objects, or media in the real world through a mobile device or headset which may appear as either flat graphical overlay or as a '3D' object, while VR immerses users in a fully digital environment through a headset or surrounding display. The blending of the physical and virtual worlds is revealing a new area for businesses and industries to explore.

#### 2.4.7. Quantum Computing

Quantum computing's significance lies in its ability to comprehend and simultaneously consider an infinite range of scenarios. The technology will move to commercial use in a few years and will be a significant breakthrough in IT. This dramatic shift will affect both how and how quickly computers are able to solve increasingly complex problems. Instead of performing calculations or testing infinite combinations of hypotheses sequentially, quantum computers can process almost infinite combinations of scenarios simultaneously – finding answers to questions that would otherwise be impossible to solve in a lifetime. Some early applications may include – fraud detection; sequencing human genomes and profiling; finding treatments for disease and instantaneously comparing a current patient's symptom profile with a global case archive going back decades; modelling and optimizing passenger and commercial traffic in real time across high-density cities and commuter belts, etc.

#### 2.4.8. Robotics

Robots offer sensing, control, and intelligence to automate and assist human tasks and activities and have a variety of applications that will transform operations with new capabilities. Robotics is often segmented into three areas – (i) application specific, which includes robots designed to conduct specific tasks, (ii) multipurpose robots, which can perform several functions and movements and may function autonomously, and (iii) cognitive robots, which are capable of decision making and reasoning which enables them to function within complex environments.

### 2.5. Data for STI ecosystem

#### 2.5.1. Data for Innovation

Technology companies and startups are built on data-driven insights gathered from various devices and applications. The government too has large volumes of data about people, services, etc. Enabling easier access to data can stimulate innovation and data-driven services/products. Hence, the GoMP would take initiatives to identify datasets available with various government departments; define data quality standards; institute data privacy mechanisms and explore the possibility of subscription-based data products.

#### 2.5.2. Data for Policy Making

Data sharing within government departments is crucial for strengthening evidence-based policymaking. With appropriate consent mechanisms for data usage in place, the government can use the latest tools and technologies at its disposal for data-driven and evidence-based informed policymaking. Towards this end, the

GoMP will take policy initiatives for data sharing and data integration across various departments of the government.

### 2.5.3. Data for Better Governance

The government stores and processes a large amount of data as part of government service delivery to citizens and businesses, most of which are also digital. With the consent of citizens, the data residing with the government may be analyzed to draw insights for improving governance. The GoMP will strive to increase the availability of usable data, establish mechanisms for accountable usage (data security, data privacy, etc.), and enhance the capacity and culture for data analysis.

### 2.5.4. Data for Inclusion

The government will target to leverage data for better inclusion to ensure that social benefits and schemes reach the individuals and families they are meant for.

### 2.5.5. Unlocking the value of data

The data with the government may be utilized for the good of society by providing it to academic & research institutions, start-ups, etc. to fuel innovation while preserving individual privacy. The GoMP will take policy initiatives for dataset identification, enrichment, packaging, and sharing while protecting individual privacy.

### 2.5.6. Data Protection

The GoMP will establish mechanisms to ensure data is trustworthy, secure, and responsibly & coherently used. To provide for data protection till the Personal Data Protection bill is enacted, the government will adopt industry best practices on personal data protection. Once the Personal Data Protection bill is enacted, the government will ensure compliance to the legal provisions as well as industry best practices on personal data protection.

## 2.6. Collaboration with Institute of Excellence

Collaboration with organizations/institutes of national as well as international repute would pave the path to excellence especially in terms of technological advancements. Such collaborations would help the STI ecosystem to grow with existing support. The state, with due policy support, would collaborate with such Institutes of excellence in various sectors for sustainable growth. This collaboration can be executed in form of MoUs, mentorship programs among academic institutions and technology transfer. Institutes and universities of Madhya Pradesh will strive to collaborate with Institute of Excellence (of global repute) for execution of short-term exchange programs, sharing research infrastructure/activities and knowledge transfer. An ecosystem with sound industry-academia linkage is also of utmost importance in bridging the skill gap, advancing research, and achieving new breakthrough. Government departments and industries will also be supported for collaboration with organizations/institutes of excellence for promotion of R&D activities and technology transfer.

## 3. Policy Implementation Framework

### 3.1. Financing framework

The Madhya Pradesh Science, Technology, and Innovation Fund (MP-STIF) will be created by the Government of Madhya Pradesh.

A budget head, known as Science and Technology Budget (STB), shall be created to allocate funds to science and technology initiatives. This budget head shall be utilized exclusively for the purpose of implementation of this policy. All identified departments of the Government of Madhya Pradesh shall allocate a certain percentage (to be determined by the government) of their annual budget in their respective STB. The departments shall be able to utilize this budget in their respective projects. A statistical mechanism to trace and track the progress of STI initiatives and expenditures shall be developed to facilitate data driven decision support and budget allocation system.

The guidelines for STB and MP-STIF shall be released in due course.

### 3.2. Governance framework

Chief Secretary (Chair), Principal Secretaries or Secretaries of departments	<b>Apex Committee</b> Annual	Policy Governance, Interdepartmental coordination, Review and implementation of the policy
Principal Secretary Science and Technology (Chair), Secretaries or their representatives from other stakeholder departments	<b>Steering Committee</b> Quarterly	Strategic Direction, Stakeholder Collaboration, Policy Implementation, Monitoring and Policy Review
Consultants, Advisors, Experts	<b>Strategic Team</b> Monthly	Support in policy drafting, Implementation, Monitoring

The Department of Science & Technology will be strengthened. An institutional mechanism like a Directorate will be created. A strategic team will be immediately placed in the department to support the implementation of this policy. The team will manage various projects that will be initiated to fulfill the mandate of this policy; help in drafting new policies; coordinate investment opportunities and provide overall support to the department for policy implementation.

A Science and Technology Advisory Group under the chairmanship of Principal Secretary, Science and Technology will also be established. It will consist of representatives and experts from academia and industry and will advise on all matters relating to the policy and its implementation approach.

### 3.3. Policy Period and Interim Review

This Policy shall come into force with effect from the date of issuance of Government order and shall remain in force for a period of ten years or till the declaration of a new or revised policy, whichever is earlier. Periodic Impact assessment studies will be conducted to review the policy in interim every five years, or as needed.

## Annexures

### A.1. Annexure-I

#### Madhya Pradesh technology initiatives and success stories

Key innovation-led initiatives and success stories in MP are given below:

- i. The 'Food Innovation Hub Platform' in collaboration with the World Economic Forum - a multistakeholder market-based partnership platform focused on deploying innovations and emerging technologies in the food and agriculture sector in the state. This platform will provide a public-private-philanthropic market-driven model to unlock and strengthen the collaborative power of innovation, implementation, and impact. It can be readily emulated and lays the groundwork for other government ministries as well as private sector partners to collaborate with the government.<sup>4</sup>
- ii. Land Record Modernization – an ambitious initiative to digitize over 15 crore land records and leverage the data for other use cases, such as revenue management system; land, and settlement surveys; crop insurance registration; e-registry, etc.
- iii. Crop-specific maps created by combining satellite images, survey data and layouts provided by farmers have provided crucial information for all stakeholders in the crop-insurance system. In Madhya Pradesh, crop insurance registration has been linked with the land records of the state, which has succeeded in preventing erroneous insurance cover. Remote sensing models for crop-advisory patterns have been deployed. Further, in FY21, satellite-based technical remote sensing was used for the first time for estimating the average yield in insurance payments.
- iv. CM Helpline and Samadhan Portal - These are exemplary digital initiatives in good governance that have strengthened public administration, improved public relations, accountability, and transparency. MP has been a frontrunner among the states in its initiatives for governance and for setting up a robust public grievance redressal mechanism through digital initiatives.
- v. Samagra Portal – A social-security initiative of the Government of MP to improve Government-to-Consumer (G2C) interaction. It ensures that all eligible families in the state receive the financial assistance and government scheme-benefits they are entitled to. This initiative covers all social security schemes of the government, such as those relating to maternity, scholarships, marriage, pension, poverty, etc. and helps the government in budgetary and other planning.
- vi. Quantum Lab at Military College of Telecommunication Engineering (MCTE) in Mhow, Madhya Pradesh and Artificial Intelligence Centre set up by the Indian Army are significant developments towards building human capital in areas such as Quantum Key Distribution, Quantum Communication, Quantum Computing and Post Quantum Cryptography.

<sup>4</sup> <https://www.weforum.org/agenda/2022/09/madhya-pradesh-agriculture-food-system/>

- vii. Face recognition model to support Sarthak App – The Directorate of Skill Development (DSD) conducts various courses on skill development wherein candidates enroll and undergo training. The trainers are required to record the attendance of the candidates for each batch of training in a day. DSD was looking for a solution to auto-record the candidate's attendance wherein a Face Detection module was developed that detects and counts the faces in an image captured by the trainer in the respective batch of training.
- viii. CM Helpline Portal– (Also available over call '181') which acts as a bridge between citizens and the Government and helps to lodge grievances and get timely resolution. A citizen can lodge a grievance if he/she is facing a problem and needs resolution from the government/state departments. The Government of MP is also working towards prediction model of CM Helpline complaints using machine learning which would help departments to take proactive action to avoid/reduce complaints and will be a step ahead from 'Good Governance to Proactive Governance'.

## A.2. Annexure-II: Potential Use Cases of Emerging Technology

This section provides the potential uses cases of emerging technologies such as blockchain, drones, artificial intelligence as a reference. The respective departments, in consultation with Department of Science and Technology, may identify suitable use cases as per their respective priorities.

### Potential Use Cases of Artificial Intelligence and Analytics

Domain	Potential Use Cases
Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cataract detection</li> <li>• Public health emergencies detection</li> <li>• Telemedicine</li> <li>• AI-powered Robotic Surgery</li> <li>• Preliminary Diagnosis system</li> <li>• Nursing Assistant</li> </ul>
Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification of students who require additional guidance or assistance to navigate resources.</li> <li>• Different and personalized learning through intelligent instruction design to identify knowledge gaps and orient students towards appropriate topics.</li> <li>• Attendance monitoring systems</li> <li>• Interactive Learning platforms</li> </ul>
Smart Cities	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incident response time reduction through analysis of live and historical data.</li> <li>• Identify real-time traffic patterns</li> <li>• Pedestrian and object detection</li> <li>• Preventive maintenance and risk assessment</li> </ul>
Taxation	Risk-based investigation of tax evasion
Disaster Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring social media to identify emergencies</li> <li>• Classifying emergency calls based on their urgency</li> </ul>
Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pest and Disease Identification</li> </ul>

Domain	Potential Use Cases
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crop prediction</li> </ul>
Telecom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Network credibility and predictive maintenance</li> </ul>
Mining	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AI and IoT based check gate for surveillance</li> </ul>

### Potential Use Cases of Blockchain

Domain	Potential Use Cases
Registry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Land Record Management System</li> <li>• Property Card Management System</li> <li>• Vehicle Lifecycle Management System</li> <li>• Health Record Management System including organ and tissue donors</li> <li>• Student Lifecycle Management</li> </ul>
Supply-Chain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Track and trace of agricultural products (pomegranates, apples, etc.)</li> <li>• Pharma supply chain</li> <li>• Vaccine Supply-Chain/Cold-Chain</li> <li>• Excise Supply Chain, Coffee Supply-Chain, Tea Supply-Chain</li> <li>• Organ and tissue distribution system</li> <li>• Evidence Chain of Custody</li> </ul>
Identity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribution of Grants</li> <li>• Fundraising</li> <li>• Certificate and Document Attestation</li> <li>• Eligibility Management</li> <li>• Public Distribution System</li> <li>• Self-Sovereign Digital Identity</li> </ul>
Audit & Verification	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial Reconciliation and Risk Management System</li> <li>• Payment Ledger</li> <li>• ATM Reconciliation</li> <li>• Validation of job credentials</li> </ul>

### Potential Use Cases of Drones

Domain	Potential Use Cases
Mining	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mines/minerals monitoring and surveillance</li> <li>• Stockpile measurement</li> <li>• Volumetric analysis</li> <li>• Boundary Demarcation</li> </ul>



Domain	Potential Use Cases
Homeland Security	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crime offenders tracking</li> <li>• Crowd monitoring during rallies and events</li> <li>• Traffic planning and monitoring</li> <li>• Crime investigations scene mapping</li> <li>• Identification of illegal activities such as bootlegging</li> </ul>
Forest and Wildlife	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forest cover mapping</li> <li>• Illegal activities monitoring</li> <li>• Poaching monitoring</li> <li>• Wildlife activity monitoring</li> <li>• Biomass estimation using hyperspectral</li> </ul>
Urban and Smart City	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D model of a city/town for better planning and decision making</li> <li>• Property tax mapping</li> <li>• Base map creation</li> <li>• Identify encroachments</li> <li>• Terrain mapping for planning</li> <li>• Watershed analysis</li> </ul>
Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crop survey and acreage estimation</li> <li>• Crop condition assessment; Crop spraying</li> <li>• Precision Farming: assessing the optimal quantity of water and fertilizers to be used</li> <li>• Land health monitoring; Detection of cannabis on fields</li> <li>• Damage Assessment for insurance claim</li> </ul>
Infrastructure projects	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power lines survey, monitoring, and condition assessment</li> <li>• Wind turbine inspection</li> <li>• Construction progress monitoring</li> <li>• Land demarcation and surveying</li> </ul>
Disaster Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Real-time surveillance</li> <li>• Search and Rescue</li> <li>• Damage assessment mapping</li> <li>• Delivery of emergency goods</li> </ul>
Tourism	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring of tourists to ensure minimal disturbance to wildlife</li> <li>• Tourism promotional activity</li> <li>• Asset condition monitoring and surveillance</li> </ul>
Traffic Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improve traffic planning and management on Real-time monitoring</li> <li>• Road surface condition monitoring</li> <li>• Accident investigation</li> </ul>
Healthcare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epidemic Control</li> <li>• Cleanliness &amp; Hygiene</li> <li>• Healthcare delivery</li> </ul>
Oil & Gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emergency Response</li> <li>• Asset Safety Monitoring</li> <li>• Security</li> </ul>

Domain	Potential Use Cases
Insurance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Claim Management and settlements</li> <li>• Improved Pricing</li> <li>• Protection against Fraud</li> </ul>
New and Renewable Energy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demarcation of available land for New and Renewable energy projects</li> </ul>

### A.3. Annexure III – Glossary

Abbreviations	Description
3D	Three Dimensional
5G	Fifth Generation
ADAS	Advanced Driver Assistance Systems
AI	Artificial Intelligence
AIIM	All India Institute of Medical Sciences
AR	Augmented Reality
ATM	Automated Teller Machines
AYUSH	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BFSI	Banking, financial services and insurance
CM	Chief Minister
CRRRI	Central Road Research Institute
DA	Data Analytics
DPIIT	Department for Promotion of Industry and Internal Trade
DSD	Directorate of Skill Development
DTC	Delhi Transport Corporation
ESDM	Electronic System Design and Manufacturing
G2B	Government to Business
G2C	Government to Consumer
GERD	Gross Expenditure on Research and Development
GHG	Greenhouse gases
GI	Geographical Indication

GoMP	Government of Madhya Pradesh
GPS	Global Positioning System
GSDP	Gross State Domestic Product
HEI	Higher Education Institution
IAMAI	Internet and Mobile Association of India
IIT	Indian Institute of Information Technology
IIM	Indian Institute of Management
IIT	Indian Institute of Technology
IPG	Innovation Promotion Group
IPR	Intellectual Property Rights
IT	Information Technology
MCTE	Military College of Telecommunication Engineering
MFP- PARC	Minor Forest Produce Processing & Research Centre
ML	Machine Learning
MoU	Memorandum of Understanding
MP	Madhya Pradesh
MPDP	Madhya Pradesh Data Policy
MPEIT	Madhya Pradesh Electronics and Information Technology
MPRDP	Madhya Pradesh R&D Policy
MPSP	Madhya Pradesh Skill Policy
MPSTIP	Madhya Pradesh Science, Technology, and Innovation Policy
MPTSP	Madhya Pradesh Technology Startup Policy
MRes	Master of Research
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
MVP	Minimum Viable Product
NAAC	National Assessment and Accreditation Council
NASSCOM	National Association of Software and Service Companies
NFT	Non-fungible token

NID	National Institute of Design
NIFT	National Institute of Fashion Technology
NIRF	National Institutional Ranking Framework
NIT	National Institutes of Technology
NITI	National Institution for Transforming India
NLP	Natural language processing
NMEICT	National Mission on Education through Information and Communication Technology
PG	Postgraduate
SSB	Shanti Swarup Bhatnagar
STB	Science and Technology Budget
STEM	Science Technology Engineering Management
STI	Science Technology Innovation
STIF	Science Technology and Innovation Fund
STIP	Science Technology and Innovation Policy
TKDL	Traditional Knowledge Digital Library
UAV	Unmanned aerial vehicle
UG	Undergraduate
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VR	Virtual Reality
WEF	World Economic Forum

**राजस्व विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र. F. REV-6-0001-2023-सात-शा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है, कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जबलपुर जिले की तहसील मझौली एवं पाटन की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील पौडा एवं कटंगी सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

**अनुसूची**

क्र.	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाएँ
1	2	3	4	5	6
1	पाटन (मुख्यालय पाटन)	तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21 एवं 28 से 37 कुल 31 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	पाटन (मुख्यालय पाटन)	तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के हल्का नंबर 22 से 27 एवं 38 व राजस्व निरीक्षक मंडल पाटन के 39 से 80 तक कुल 49 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।	उत्तर में- प्रस्तावित तहसील कटंगी जिला जबलपुर एवं तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह पूर्व में- तहसील पनागर एवं तहसील आधारताल दक्षिण में- तहसील शहपुरा एवं तहसील गोरखपुर पश्चिम में- तहसील शहपुरा जिला जबलपुर एवं तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह

2	मझौली (मुख्यालय मझौली)	तहसील मझौली राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली का पटवारी हल्का नंबर 25 कुल 01 पटवारी हल्का तथा राजस्व निरीक्षक मंडल पौडा के पटवारी हल्का नंबर 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे	मझौली (मुख्यालय मझौली)	तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली के पटवारी हल्का नंबर 01 से 24 एवं 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।	उत्तर में- तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पूर्व में- नवीन प्रस्तावित तहसील पौडा जिला जबलपुर दक्षिण में- नवीन प्रस्तावित तहसील कटंगी एवं तहसील पनागर जिला जबलपुर पश्चिम में- तहसील जबेरा जिला दमोह
3	-	-	पौडा (मुख्यालय पौडा)	तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल पौडा के पटवारी हल्का नंबर 43 से 85 कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	उत्तर में- तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पूर्व में- तहसील डीमरखेडा जिला कटनी दक्षिण में- तहसील पनागर एवं तहसील सिहोरा जिला जबलपुर पश्चिम में- शेष तहसील मझौली
4	-	-	कटंगी (मुख्यालय कटंगी)	तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21 एवं 28 से 37 कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली का प.ह.न. 25 कुल 01 पटवारी हल्का इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	उत्तर में- शेष तहसील मझौली जिला जबलपुर एवं तहसील जबेरा जिला दमोह पूर्व में- तहसील पनागर एवं शेष तहसील मझौली जिला जबलपुर दक्षिण में- शेष तहसील पाटन जिला जबलपुर पश्चिम में- तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

क्र. एफ-01-21-2023-सात-शा-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है, कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार रीवा जिले के अनुविभाग त्योंथर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग जवा सृजित करने तथा नीचें दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

क्र.	विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात अनुविभाग एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात अनुविभाग की सीमाएँ
1	2	3	4	5	6
1.	त्योंथर (मुख्यालय त्योंथर)	तहसील जवा के समस्त प.ह.न. 01 से 87 तक अपवर्जित होंगे।	त्योंथर (मुख्यालय त्योंथर)	अनुविभाग त्योंथर में पटवारी हल्के क्रमांक 01 से 100 तक शेष रहेंगे।	उत्तर में- जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) पूर्व में- जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) दक्षिण में- तहसील नईगढ़ी व मनगवां पश्चिम में- तहसील जवा
2.	--	--	जवा (मुख्यालय जवा)	अनुविभाग जवा में तहसील जवा के समस्त प.ह.न. 01 से 87 तक समाविष्ट होंगे।	उत्तर में- जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) पूर्व में- तहसील त्योंथर दक्षिण में- तहसील सिरमौर व तहसील सेमरिया पश्चिम में- जिला बांदा (उत्तर प्रदेश)

3/ ' प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुमन रायकवार, अवर सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

क्र. 560-स्था. सैट-2022.—डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्र. A-4535-दो-2-54-2022.—श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4545-दो-2-33-2019.—श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 10 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2022

क्र. A-4582-दो-3-91-2008.—श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-4584-दो-2-63-2022.—श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।



अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्र. C-6518-दो-2-57-2009.—श्री एफ. एच. काजी, एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी, एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

पितृत्व अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए.(एस.ए.) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. B-5997-दो-3-66-2007.—श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. B-5999-दो-2-57-2012.—श्री यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2022 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2022

क्र. B-5842-दो-2-40-2020.—श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 2 से 8 दिसम्बर 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-6157-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**अभिषेक गौड़**, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र. D-2602-दो-2-81-2018.—श्री काशिफ नदीम खान, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 2 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-2604-दो-2-56-2016.—श्री प्रेम नारायण सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-3-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-2606-दो-2-54-2011.—श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-2608-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी

2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2610-दो-2-22-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2612-दो-2-22-2019.—श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2022

क्र. C-5955.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) (मिनिस्ट्रीयल कौडर)/सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर)/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) (ट्रांसलेटर काडर) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400/- (7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स-56100+177500) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त कॉलम नंबर (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी :—

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आर. एस. चौधरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), (मिनिस्ट्रीयल कौडर), मुख्यपीठ, जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
2.	श्री बी. के. श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), (मिनिस्ट्रीयल कौडर), खण्डपीठ, इन्दौर.	खण्डपीठ, इन्दौर	रिक्त पद पर
3.	श्री मुन्नालाल मिश्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), (मिनिस्ट्रीयल कौडर), मुख्यपीठ, जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
4.	श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
5.	श्रीमती गीता नायर, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
6.	श्रीमती पी. पद्माराव, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
7.	श्रीमती बीनू पिल्लई, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), खण्डपीठ, ग्वालियर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर
8.	श्री आशीष दत्ता, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
9.	श्री मोन्सी एम. साइमन, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर
10.	श्री हरि कुमार सी. जी. नायर, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर), खण्डपीठ, इन्दौर.	खण्डपीठ, इन्दौर	रिक्त पद पर
11.	श्री विपिनचंद गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), (ट्रांसलेटर कौडर), मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्र. A-4557.—(1) श्री सत्येन्द्र शर्मा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 7600 (7 वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900-211700) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. उक्त पदोन्नति ई-कोर्ट एवं रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के निर्णय के अधीन होगी.

(2) श्री सत्येन्द्र शर्मा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उनकी सेवाएं खण्डपीठ, ग्वालियर में संलग्न की जाती है.

क्र. A-4559.— श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 7600 (7 वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900-211700) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर

अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. उक्त पदोन्नति ई-कोर्ट एवं रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के निर्णय के अधीन होगी.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

### मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्र. 5444-स्था.—श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2022 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 10 व 11 दिसम्बर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
डी. एन. मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.